खण्ड–518, अंक–04
गुरुवार, 05 ज्येष्ठ, शक संवत् 1944
(26 मई, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2022)

(खण्ड 518 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वित्तीय वर्ष 2022-2023 आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	7-44
सदस्यों हेतु मध्यान्ह भोजन के सम्बन्ध में सूचना... ...	44
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
जनपद मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री श्रीकान्त गोस्वामी के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	47
जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना में खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी से ग्राम मुण्डिया नसी पुल तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	48
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरियाकला में उच्च शिक्षा संस्थान बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सिकन्दराबाद को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक निघासन के निवासीगणों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेंसिंग, लाइट, बफर जोन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में अवंतिका देवी मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र में काली नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	50
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत माल, मलिहाबाद और काकोरी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	50-51
जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद शामली के ग्राम भैसानी इस्लामपुर पलठेडी में राजकीय इण्टर कालेज के अधूरे पड़े निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय स्थित कस्बा बबुरी को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड देवा में निर्मित सड़क की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा कीरतपुर में मार्ग व नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	53
मा0 सदस्यों की सूचनाओं की संख्या 90 दिन के सापेक्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53-57
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	57-63
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1207/ग्यारह-2-21-9(47)-17 उ0प्र0अधि0-1-2017 आदेश(210)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1208/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (211)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1209/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (212)-2-2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	63
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1226/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (213)-2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1216/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (214)-2021 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1217/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (215)-2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021(सदन के पटल पर रखी गयी)	64
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1206/ग्यारह-2-21-9(47)-17-टी0सी0 163 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (216)-2021 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	64
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1389/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (217)-2021 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021(सदन के पटल पर रखी गयी)	65
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1390/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (218)-2021 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	65
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1391/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (219)-2021 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	65
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-2022-9(114) 2012-टी0सी0-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (220)-2022 दिनांक 03 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	65
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-08/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-175 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (221)-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	66

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-टी0सी0-167-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (222)-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	66
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1211/ग्यारह-2-21-9(47)-17-टी0सी0-168-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (223)-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	66
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-176-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (224)-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	66
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-11/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (225)-2022 दिनांक 07 जनवरी, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उ0प्र0 माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन) नियमावली-2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-91/ग्यारह-2-22-9(42)-17-टी0सी0-59-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (227)-2022 दिनांक 16 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	67
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-117/ग्यारह-2-22-9(47)-17 टी0सी0 178-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (228)-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम-2017 (चौवनवां संशोधन) नियमावली-2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-230/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-179-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (230)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-231/ग्यारह-2-22-9(47)-17 -टी0सी0-180-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (231)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-232/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-181-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (232)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68-69

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-233/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-182-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (233)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2022 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-848/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी नियम-2017-आदेश (199)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-422/ग्यारह-2-21-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (174)-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	72

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9-(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	72
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	72
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	72-73
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और जिला उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	73
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2017-2018 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	73
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2019-2020 (विलम्ब के कारणों सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	73
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	73-152
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से 14, जनपद लखनऊ से व जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	152-154
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	154-155
श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	155
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	155
श्री इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (व्यपगत)	155-156
श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	156
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	156

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	157
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 27 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	157-160
श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	160
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	160
श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 02 व कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	161
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	161-162
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	162-163
श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	163-164
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा, जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	164
श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	164-165
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)	166
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	166
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (व्यपगत)	167-168
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	168
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	168-169

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (व्यपगत)	169
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2022-2023 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना ...	169-170
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2022-2023 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा पंचायती राज समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	171-172
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	172-174
जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में 132 के0वी0ए0 का बिजली घर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	174-177
जिला नगरीय विकास अभिकरण लखनऊ द्वारा कार्यों में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	177-178
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	178-179
जनपद फिरोजाबाद के अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	179-181
जनपद कानपुर नगर के सुजातगंज चंदारी क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 पेयजल परियोजना के संबंध में श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	181-182
नत्थियाँ	183-199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 26 मई, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-378

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संत कबीर नगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फर नगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल कुमार अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संत कबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
26. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
27. अभिजीत सिंह साँगा, श्री — कानपुर नगर
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
39. अशरफ अली खान, श्री — शामली
40. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
43. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
44. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
45. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
46. आर0के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
47. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
48. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
49. आशा मौर्या, श्रीमती — सीतापुर
50. आशुतोष टण्डन "गोपाल जी", श्री — लखनऊ
51. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
52. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
53. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
56. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
57. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर

58. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
59. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
60. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
61. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
62. ओमकुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
65. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फर नगर
66. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
67. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
68. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
69. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
70. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
73. कैलाश, श्री चंदौली
74. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
75. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
76. गणेश चन्द्र, श्री संत कबीर नगर
77. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
78. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
79. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरेया
80. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
81. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
82. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
83. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
84. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
85. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फर नगर
86. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
87. चन्द्र प्रकाश, श्री फतेहपुर
88. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
89. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
90. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
91. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
92. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
93. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
94. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
95. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
96. जयमंगल, श्री महाराजगंज
97. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
98. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
99. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
100. जाहीद, श्री भदोही
101. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
103. जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
104. जीत लाल, श्री प्रतापगढ़
105. जैकिशन, श्री गाजीपुर
106. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
107. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
108. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
109. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
110. तूफानी सरोज, श्री जौनपुर
111. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
112. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकर नगर
113. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
114. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
115. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
116. दिनेश, श्री मेरठ
117. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
118. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
119. दीपक कुमार मिश्र शाका, श्री देवरिया
120. दुधराम, श्री बस्ती
121. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
122. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
123. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
124. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
125. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
126. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
127. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
128. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
129. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
130. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
131. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद

132. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
133. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
134. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
135. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
136. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
139. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
140. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज, श्री जौनपुर
143. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
144. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
145. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
146. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
147. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
148. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
149. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
150. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
151. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
152. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
153. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
154. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
155. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
156. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
157. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
158. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
159. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
160. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
161. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
162. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
163. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
164. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
165. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
166. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
167. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
168. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
169. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
172. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
173. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
174. बाबूराम, श्री पीलीभीत
175. बाबूलाल, श्री आगरा
176. बावन सिंह, श्री गोण्डा
177. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
178. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
179. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
180. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
181. बेचई, श्री आजमगढ़
182. बेदी, श्री गाजीपुर
183. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
184. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
185. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
186. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
187. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
188. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
189. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
190. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
191. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
192. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
193. मनीष रावत, श्री सीतापुर
194. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
195. मनोज कुमार पाण्डेय , श्री रायबरेली
196. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
197. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
198. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
199. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
200. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
201. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
202. महेन्द्र, श्री अमरोहा
203. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती

204. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
205. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
206. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
207. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
208. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
209. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
210. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
211. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
212. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
213. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
214. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
215. मेघश्याम, श्री मथुरा
216. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
217. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
218. मोहम्मद हसन रूमी, श्री कानपुर नगर
219. मो0 नासिर, श्री मुरादाबाद
220. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
221. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
222. योगेश वर्मा, श्री खीरी
223. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
224. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
225. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
226. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
227. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
228. रमाकांत यादव, श्री आजमगढ़
229. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
230. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
231. रमेश, श्री जौनपुर
232. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
233. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
234. रवि शर्मा, श्री झांसी
235. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
236. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
237. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
238. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
239. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
240. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
241. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
242. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
243. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
244. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
245. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
246. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
247. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
248. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
249. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
250. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
251. राजमणि, श्री प्रयागराज
252. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
253. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
254. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
255. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
256. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
257. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
258. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
259. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
260. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
261. राजेश चौधरी श्री मथुरा
262. राजेश त्रिपाठी श्री गोरखपुर
263. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
264. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
265. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
266. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
267. रामकेश निषाद, श्री बांदा
268. रामखिलाड़ी सिंह, श्री संभल
269. रामदुलार, श्री सोनभद्र
270. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
271. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
272. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
273. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
274. राम फेरन, श्री श्रावस्ती

275. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
276. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
277. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
278. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
279. राहुल बच्चा, श्री कानपुर नगर
280. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
281. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
282. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
283. लकी यादव, श्री जौनपुर
284. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
285. लक्ष्मी राज, श्री बुलन्दशहर
286. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
287. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
288. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
289. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फर नगर
290. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
291. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
292. विनय कुमार, श्री गोण्डा
293. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
294. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थ नगर
295. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
296. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
297. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
298. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
299. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
300. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
301. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
302. विपुल दुबे, श्री भदोही
303. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
304. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
305. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
306. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
307. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
308. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
309. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
310. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
311. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
312. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
313. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
314. शशांक वर्मा, श्री खीरी
315. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
316. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
317. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
318. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
319. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
320. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
321. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थ नगर
322. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
323. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
324. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
325. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
326. संग्राम सिंह, श्री बलिया
327. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
328. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
329. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
330. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
331. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
332. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
333. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
334. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
335. सतीश चन्द्र शर्मा, डॉ0 बाराबंकी
336. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
337. सभाकुंवर, श्री देवरिया
338. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
339. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
340. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
341. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
342. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
343. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
344. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
345. साकेन्द्र प्रताप, श्री बाराबंकी
346. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज

347. सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	364. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थ नगर
348. सुचि, श्रीमती	बिजनौर	365. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
349. सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	366. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
350. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	367. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
351. सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी	368. स्वामी ओउमवेश, श्री	बिजनौर
352. सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच	369. हंसु राम, श्री	बलिया
353. सुरभी, डॉ0	फर्रूखाबाद	370. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
354. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री	कुशीनगर	371. हरिओउम, श्री	कासगंज
355. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया	372. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
356. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	373. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
357. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	374. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
358. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	375. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
359. सुरेश राही, श्री	सीतापुर	376. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
360. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	377. हिमांशु यादव, श्री	बदायूं
361. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद	378. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़
362. सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री	गाजीपुर		
363. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया		

नोट- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), कारागार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह), आयुष एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र दयालु), संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह सैनी), अल्पसंख्यक (राज्य मंत्री) (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-01, मा0 वित्त मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूँगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन-कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुए जाति, धर्म और समुदाय के समीकरण को नकार कर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुए हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिए चुना हो।

(बजट भाषण जारी)

हमारी सरकार का वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत् विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया। माफियाओं, गुण्डों और दंगाइयों के आतंक से जन-सामान्य को राहत दिलाई। प्रदेश में उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन-प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं विशेषकर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कीर्तिमान स्थापित किये गये।

मान्यवर, यह सबके समक्ष है कि पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी का जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियां कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आये, की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल मार्ग-निर्देशन में बड़ी सूझ-बूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशवासी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है। यह कहने में

अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी। मैं इन दोनों अप्रतिम नेताओं को यह पंक्तियां समर्पित करता हूँ-

"वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या
जब धाराएं प्रतिकूल न हों।"

मान्यवर, हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया।

गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई, 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है। यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77 हजार 500 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

हमने **इन्वेस्टर्स समिट-2018** का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को **इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा। कोविड कालखण्ड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाये रखने हेतु **विशेष हेल्प डेस्क** संचालित किया गया।

राज्य सरकार एक्सप्रेस-वे, जलमार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मोडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश **5 एक्सप्रेस-वे** वाला **देश का पहला प्रदेश** बन गया है।

लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जायेगा।

विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवन्तरि हेल्थ पार्क, अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, आई0आई0टी0-जी0एन0एल0 ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेन्ट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरेल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्टरियां आदि के सम्बन्ध में द्रुत गति से कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित **एक जनपद-एक उत्पाद** के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए **देश में द्वितीय स्थान** प्राप्त किया है।

प्रदेश स्तर पर अन्तर्जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की **वन नेशन वन राशन कार्ड योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई, 2020 से मार्च, 2020 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया जिस पर लगभग 4801 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। **इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है जिसका विस्तार अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक कर दिया गया है।**

प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 03 करोड़ मजदूरों को मार्च, 2022 तक 500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना।

पिछले 05 वर्षों में **प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत** प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये गये।

एंटी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 398 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी है। 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

पिछले पांच वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अग्रणी राज्यों में आ चुका है।

मान्यवर, माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है और तभी हम यह दावा कर सकते हैं कि -

''जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता,
काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना।
मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनके जलना है,
जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना।''

कानून व्यवस्था

सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति **जीरो टॉलरेंस** की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाये जाने एवं आपराधिक/असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दुर्दान्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 3,762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51696 एवं एन0एस0ए0 में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रदेश स्तर पर 50 चिन्हित माफिया व इनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफिया चिन्हित कर जैसे आपराधिक माफिया, भू-माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ-तस्कर माफिया व अन्य माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यन्त प्रभावी कार्यवाही की गई है।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत प्रदेश की 403 विधान सभा सीटों पर चुनाव निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल सम्पन्न हुए। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा

सोशल मीडिया, डिजिटल वालण्टियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गई जिसके परिणामस्वरूप कोई अफवाह वृहद् रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्यवाही की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी वृहद घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गई।

आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ए0टी0एस0 सेन्टर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में ए0टी0एस0 सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा) ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु **उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल** का गठन किया गया है जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत यू0पी0-112 (डायल 100) योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारम्भ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किये जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र/शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उ0प्र0 फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।

पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है। अतः देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दृष्टि से प्रदेश को

01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कोविड-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रही जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे।

''मंजिल उन्हीं को मिलती है,
जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता,
हौंसलों में उड़ान होती है।''

किसान

हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र, 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपये से 77,530 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रदेश में **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये हैं।

मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी सम्मिलित किया गया है योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना** के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।

कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्तल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्तल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को **मुफ्त सिंचाई सुविधा** उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्टल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिकटन धान खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूँ क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिकटन गेहूँ का क्रय किया गया।

वर्ष 2020-21 में रुपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का **अल्पकालिक ऋण** प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2021-2022 में लगभग रुपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए।

महिला

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए **महिला हेल्प डेस्क** की स्थापना की गयी है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है।

महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु **03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन** लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है।

अगस्त, 2020 में गठित **महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन** का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है।

महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के आह्वान में यू0पी0एस0ई0ई0-2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में **मिशन शक्ति कार्यक्रम** के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

बाल कल्याण

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। **दस्तक कार्यक्रम** इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है।

सिक एण्ड न्यूबार्न केयर यूनिट्स के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु को रोका है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुए सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है और 2103 ब्लाक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर **कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों** को जिलों से ब्लाक तक ले जाने के लिए बजटीय प्रावधान किया जा रहा है।

कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ/प्रभावित हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था **उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना** का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा दोनों/अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु **उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)** का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

नये सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से **बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है।** जरूरतमंद परिवारों को नकद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। कार्यक्रम के अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम आये हैं और **कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है।**

आपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है जिसने पिछले वर्षों में गिरावट के रुझानों को उलट दिया है।

युवाओं के लिए

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2021 से **निःशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना** प्राम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा वितरित किये जा रहे हैं। **लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** इस हेतु **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **नयी उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020** के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में **मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना** का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है।

जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में **मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय** का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी, 2022 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारत सरकार की **खेलो इण्डिया एक जनपद-एक खेल** योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना कराये जाने की योजना है।

खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-2022 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।

रोजगार

प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से **01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में** रोजगार उपलब्ध कराया गया। **60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार** से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में **युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।** मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जहां **जून, 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी है।**

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें **4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और **04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में **मनरेगा योजनान्तर्गत** 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों** की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-2022 **में लगभग 3 लाख 97 हजार 28 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ।**

प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित **ग्राम सचिवालयों** के सुचारु संचालन हेतु **56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा इन्ट्री आपरेटर्स** का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयों को स्थापित कराया गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 नये पद सृजित किये गये हैं, जो आगामी वर्षों में भरे जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुजुर्ग, पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक

मण्डल में 01-01 **अटल आवासीय विद्यालयों** की स्थापना करायी जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कामगारों/श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किये जाने हेतु **उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग** का गठन किया गया है।

शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना** के अन्तर्गत 08 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश के 10 शहरों में 19 **मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स** का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए **आश्रय योजना** के अन्तर्गत 130 **शेल्टर होम** क्रियाशील किये जा चुके हैं।

मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स हो, उद्योग-धंधे हों, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने का विजन दिया। हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ, विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है। यहां पर मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं-

''गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक,

अम्बर तक तो वही उड़ेंगे, जिनके अपने पर होंगे।''

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड समय में की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुष्मान भारत-मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु **राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा** योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गयी है।

राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से आच्छादित हैं व 14 जनपदों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में 02 एम्स (गोरखपुर व रायबरेली), आई0एम0एस0 बी0एच0यू0, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल अलीगढ़ संचालित हैं।

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पी0पी0पी0 नीति घोषित की गयी है जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कालेज स्थापित किये जायेंगे।

- **लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022** के अनुरूप एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लख**नऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 14 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में निर्माणाधीन नये **मेडिकल कालेजों** के लिए 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना** हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की निर्धन आबादी को **असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा** मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुष

गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है।

- **फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग** के लिए **'पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान'** तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु **'अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन'** का कार्यान्वयन किया जायेगा जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना** के अन्तर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आप्टिकल फाइबर केबिल नेटवर्क** पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में **डिजिटाईजेशन** को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बन्द पड़ी वस्त्रोद्योग इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्य योजना बनायी गयी है।

- लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लम्बे, 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे** का संचालन नवम्बर 2021 से प्रारम्भ हो चुका है तथा **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे** का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको शीघ्र जन-सामान्य के लिए सुलभ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे** का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है।

- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर** परियोजनान्तर्गत 8640 करोड़ रुपये के 62 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

- लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के **सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर** विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **मेरठ से प्रयागराज** तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 **लेन गंगा एक्सप्रेस-वे** परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है जिसके लए 695 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस-वे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।

लोक निर्माण

- सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रुपये 18 हजार 561 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 04 हजार 747 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामों एवं बसावटों को **सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों** से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 01 हजार 965 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित होने/ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के **बाईपास एवं रिंग रोड** तथा **चौराहों पर फ्लाईओवर** आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2022-2023 के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रमुख/अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूंजी मद में 1750 करोड़ अर्थात् कुल 3750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- हमारी सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में 20 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रुपये 2751 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- तटबंधों का निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु रुपये 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

- एल0टी0आई0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु रुपये 600 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु रुपये 310 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु रुपये 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रुपये 423 करोड़ एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रुपये 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु 130 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2021-2022 के बजट में **जल जीवन मिशन** के अन्तर्गत 15,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 19,500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना** हेतु 1000 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है।

नागरिक उड्डयन

- प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की **रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम** के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा **उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति** प्रख्यापित की गयी है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- आने वाले कुछ समय में आमजन को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट्स से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी।

- **लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2022** के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के एक **एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेन्टर** के साथ रख-रखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने तथा अयोध्या में **मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे** का निर्माण पूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

- वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली दिये जाने का रोस्टर निर्धारित है।
- वर्ष 2021-2022 में माह अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 17.50 घंटे, तहसील क्षेत्र में 21.11 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.21 घंटे आपूर्ति की गई।
- ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी।
- वर्ष 2019-2020 में विद्युत उत्पादन 33 हजार 79 मिलियन यूनिट, वर्ष 2020-2021 में विद्युत उत्पादन 33 हजार 425 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2021-2022 में विद्युत उत्पादन 35 हजार 21 मिलियन यूनिट रहा।
- दिनांक 01 जनवरी, 2022 से **निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।**
- प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं यथा घाटमपुर, ओबरा सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 6100 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3667 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं। लगभग 2433 करोड़ रुपये की लागत की पारेषण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना **रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम** भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है जिसे 03 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 5530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2021-2022 तक 705 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये एवं 1413 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गयी।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए **ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर** का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक 1819 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित की गयी हैं।

- प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 251 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की गयी है।

- **बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जायेगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश में **जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा** के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गयी है जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो इथेनॉल, मैथेनॉल, बायो गैस, बायो सी0एन0जी0, प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आवास

- **उ0 प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2018** में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने तथा विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान की छूट प्रदान किये जाने हेतु फरवरी, 2020 को अधिसूचना निर्गत की गयी है। उक्त निर्णय से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क एवं वेयरहाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- दुर्बल, अल्प, लघु, मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु **अफोर्डेबल हाउसिंग** उपलब्ध कराये जाने के लिए **अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि-2021** निर्गत की गयी है। इससे दुर्बल, अल्प, लघु मध्यम वर्ग वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे।

- निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ई0डब्लू0एस0 इकाइयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुए इसे 500 रुपये निर्धारित

किया गया है। इससे ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी।

- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए0एच0बी0** घटक के अन्तर्गत कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 1,32,493 भवन स्वीकृत किये गये हैं। अद्यतन 89 परियोजनाओं के अन्तर्गत 70489 भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
- **अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड** के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- **दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर0आर0टी0एस0 कारीडोर** का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- **वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना** 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

नगर विकास

- भारत सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)** की शुरुआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रुपये प्रस्तावित है।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021** में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।
- भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उक्त योजना हेतु **अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन के अन्तर्गत सहायता-अमृत 2.0** के अन्तर्गत 2000 करोड़ रुपये तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजना** हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **केन्द्र स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रुपये तथा **राज्य स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 05 शहर सम्मिलित हैं।
- प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव तथा आर्थिक गतिविधियों की प्रचुरता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इनके कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने हेतु नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय अत्यावश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक **प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप** के गठन का निर्णय लिया गया है।
- **महाकुम्भ मेला-2025 प्रयागराज** के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना** हेतु 215 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं** के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 7000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0 कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया एवं मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरां जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस0ई0सी0सी0-2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रय विहीन कच्चे तथा जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 से अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वर्ष 2022-2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2022 के क्रम में **मनरेगा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन किया गया है।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन** योजनान्तर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर (18 गैर जनजातीय एवं 01 जनजातीय क्लस्टर) चयनित किये गये हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में 3,414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

- पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत** वर्ष 2022-2023 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 रुपये की दर से तथा 1460 सामुदायिक शौचालयों हेतु

3 लाख रुपये की दर से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। योजना हेतु 1788 करोड़ 18 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गांव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को **ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन** से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना** अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना** हेतु वर्ष 2022-2023 में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना** हेतु 01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

- प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रदेश में उत्तरोत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत् है।
- वर्ष 2020-2021 में 619.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।
- **नमामि गंगे स्वच्छता अभियान** के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबन्ध योजना के लिए 97 करोड़ 42 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45.44 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।
- **गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान** हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंस हेतु चीनी मिल से न्यूनतम दूरी की बाध्यता 15 किमी0 से घटाकर 7.5 किमी0 कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार 277 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाइसेंस निर्गत हुए।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

- प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित कर क्रियाशील किया गया है।
- कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु गोण्डा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नव स्थापित कृषि महाविद्यालयों को गत वर्ष से क्रियाशील बनाया गया है।
- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर कैम्पस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न फसलों की नवीन प्रजातियों को वर्ष 2021-2022 में विकसित किया गया है जो विमोचित की जा चुकी हैं तथा कुछ विमोचन के लिए तैयार हैं।

दुग्ध विकास

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में 8615 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 1.86 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दूध की बिक्री की गयी।
- भारतीय गोवंश द्वारा दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप **नन्द बाबा पुरस्कार** से सम्मानित किया जायेगा।
- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लांट के निर्माण हेतु 08 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद वाराणसी में ग्रीन फील्ड डेरी प्लांट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लांट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लांट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम** के अन्तर्गत खुरपका-मुहपका एवं ब्रूस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2030 तक प्रदेश

को खुरपका-मुंहपका से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य है। खुरपका-मुहपका टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन 1,79,717 टीकाकरण एवं ब्रूस्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 18,69,166 टीकाकरण किया गया है।

- **निराश्रित/बेसहारा गौवंश** की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है।
- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश** की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 **गौ-आश्रय केन्द्र** स्थापित हैं।
- निराश्रित/बेसहारा गौवंश के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6195 **गौ-आश्रय स्थल** स्थापित हैं जिनमें 09 लाख 67 हजार 923 गौवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं।
- **मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गौवंश सहभागिता योजनान्तर्गत** 01 लाख 31 हजार से अधिक गौवंश इच्छुक लाभार्थियों की सुपुर्दगी में दिये गये हैं।

मत्स्य

- प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्यकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वर उपयोग करना है।
- मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु **मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए 02 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिए **निषादराज बोट सब्सिडी योजना** प्रस्तावित है जिसके लिए 02 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे), गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए 01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योग लगाने हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 लागू की गयी है जो उद्यमिता विकास के साथ ही कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य सम्वर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है।
- असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु **प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए 120 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की **ब्याज अनुदान** योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- **अयोध्या में सीपेट केन्द्र** के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 75000 कारीगरों को प्रशिक्षित कर टूलकिट उपलब्ध कराया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नये औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 जनपदों प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भू-तत्व एवं खनिकर्म

- विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
- खनन से जुड़ी सेवाओं, यथा साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन, बाढ़ द्वारा जमा उपखनिज के व्यवस्थापन, परियोजनाओं के निर्माण के दौरान निकले उपखनिज के निस्तारण, खनिज भण्डारण अनुज्ञा, उपखनिज परिहार हेतु पट्टा निष्पादन तथा खनिज

परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही ऑनलाइन समयबद्ध ढंग से निष्पादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार** योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत उक्त धनराशि का 34 प्रतिशत खादी कामगारों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा, विपणन विकास हेतु 33 प्रतिशत एवं खादी संस्थाओं को 33 प्रतिशत धनराशि सहायता के रूप में दिये जाने हेतु प्राविधानित है जिससे खादी के उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि होगी।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से **झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना** संचालित किये जाने हेतु 08 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- हथकरघा बुनकरों की परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पवरलूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिये जाने हेतु **मुख्य मंत्री बुनकर सौर योजना** के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। इसके अन्तर्गत अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जो उ0प्र0 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी।
- **उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021** के अन्तर्गत 03 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने और 20,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

बेसिक शिक्षा

- शैक्षिक सत्र, 2021-2022 में 1,32,912 परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। वर्ष 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में **स्कूल चलो अभियान** के अन्तर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है।
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शैक्षिक सत्र 2021-2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ **निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोजा** की धनराशि पी0एफ0एम0एस0-डी0बी0टी0 मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार पर सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई, जिससे 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक विद्यालयों में गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय **मध्याह्न भोजन योजना** संचालित है। विद्यालयों में सभी जाति एवं धर्म के छात्र/छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाईचारे की भावना के विकास में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2 करोड़ छात्रों को आच्छादित किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आपरेशन कायाकल्प** के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहा है। अब तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालयों का काया-कल्प कराया जा चुका है।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक पहुंच का विस्तार करने के लिए समस्त बाल विद्यालयों में सह-शिक्षा की व्यवस्था करते हुए 268 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास एवं 03 नये सैनिक स्कूल संचालित किये गये हैं।
- सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **संस्कृत शिक्षा** को व्यवसायपरक् बनाने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश करते हुए एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **समग्र शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक एवं रोजगारपरक् शिक्षा उपलब्ध कराये जाने एवं **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में **तीन नये राज्य विश्वविद्यालयों** में मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 75 **नये राजकीय महाविद्यालयों** की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- उच्चतर शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **निजी विश्वविद्यालय अधिनियम तथा नियमावली-2022** प्रख्यापित की गयी है। 03 नये निजी विश्वविद्यालय संचालित किये गये हैं।
- छात्रों को **मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण** प्रदान किये जाने हेतु सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्था अर्थात् 217 संस्थाएं हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में सत्र, 2021-2022 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

49 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में है जिन्हें निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किया जाना है।

- वर्तमान में 1266 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 1,26,436 है।
- प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैनपावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-2023 में न्यूज एज ट्रेड्स के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किया जाना व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- वाराणसी, गोरखपुर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गयीं, जिनमें लगभग 2000 लोक कलाकारों को रोजगार प्राप्त हुआ।
- **महर्षि वाल्मीकि जयंती** के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण पाठ/रामचरित मानस पाठ/भजन गायन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग देश के 1000 कलाकारों ने प्रतिभाग किया।
- वाराणसी में **संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र** की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये तथा **संत कबीर संग्रहालय** की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **जनजातीय संग्रहालयों** के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **रामजन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग** के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या में जन-सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ऑनलाइन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली** हेतु साफ्टवेयर वेबसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यटन

- **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018** के अन्तर्गत प्रदेश में 6931.81 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है।
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कुल 10 करोड़ 01 लाख पर्यटक आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 01 लाख है।
- प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2021 में भी **अयोध्या में दीपोत्सव** का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जला कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।
- वाराणसी में **देव-दीपावली, महाशिवरात्रि, बैलून फेस्टिवल, बरसाना में भव्य रंगोत्सव, लखनऊ-रेजीडेन्सी में आजादी का अमृत महोत्सव पर ड्रोन एवं लेजर शो** का आयोजन किया गया।
- **उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद्** हेतु 03 करोड़ 50 लाख रुपये तथा **उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास** हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास** एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। वर्षाकाल-2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन तथा गंगा किनारे वनीकरण योजना के अन्तर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ-साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

- प्रदेश की जनता को पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील तथा जागरूक बनाने हेतु **इको टूरिज्म** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- वर्ष 2022-2023 में **सारनाथ डियर पार्क** में वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य में गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद् संरक्षण योजना, राज्य आद्र भूमि संरक्षण और प्रबन्ध की स्थापना योजना हेतु 03 करोड़ 77 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान, गोरखपुर सोसाइटी हेतु कॉर्पस फण्ड की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में 12 प्रमुख नदियों का 141 बिन्दुओं पर सघन अनुश्रवण तथा 319 नालों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण नदी/नालों में नहीं किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 110 सीवेज उत्प्रवाह संयंत्रों, 07 संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं 1560 अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- वर्ष 2021-2022 में **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** हेतु 13,77,213 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 1672 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु** 479 करोड़ 07 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स प्लान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

- **उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज** के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि** में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रुपये 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। **अधिवक्ता कल्याण निधि** हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में **अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास** हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- **अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को** निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक **एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों** को 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- **मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना** के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रुपये की सहायता पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब तक 12 लाख 68 हजार लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले **पोषाहार हेतु** 1675 करोड़ 29 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं हेतु संचालित **मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना** के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 74 हजार 326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत लगभग 94 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया।

- महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए **मिशन शक्ति** को पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया गया है और हम इसके चौथे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

परिवहन

- जनता को सुरक्षित, सुलभ, सतत्, मितव्ययी व इको फ्रेण्डली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। यात्रियों को सुगम टिकटिंग व सूचना प्रणाली हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इंटरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

- विगत पांच वर्षों से रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत लगभग 51.52 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा से लाभान्वित किया गया है।

- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जन-सामान्य को सड़क यातायात की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरान्त बस संचालन प्रारम्भ किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को, लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिशील है।

राजस्व

- **राज्य आपदा मोचक निधि** हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड** हेतु 541 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष 14.98 लाख कृषकों को 526.13 करोड़ रुपये का कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया पूर्व चेतावनी तंत्र पूरे देश में इस प्रकार का एक अभिनव मॉडल है, जिसमें मौसम विभाग द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड मौसम पूर्व चेतावनियों व एलर्ट को बिना किसी टाइम लैग के साफ्टवेयर इंटीग्रेशन के माध्यम से एस0एम0एस0 व आई0वी0आर0एस0 काल्स द्वारा पोर्टल में दर्ज लगभग 1.25 करोड़ जनता को रियल टाइम में प्रेषित कर उन्हें बचाव हेतु जानकारी दी जाती है।
- प्रथम बार सरकार की आपदा राहत योजनाओं को आम-जनमानस के बीच सुगमता से पहुंचाने के लिए तथा आपदा से होने वाली क्षति को दर्ज करने हेतु जनता को ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **आपदा प्रहरी** ऐप विकसित किया गया है।

मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 24 हजार 477 करोड़ रुपये (1,24,477 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 49 हजार 152 करोड़ रुपये (49,152 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29 हजार 692 करोड़ रुपये (29,692 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10 हजार 887 करोड़ रुपये (10,887 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181,10 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है।

प्राप्तियां

- कुल प्राप्तियां 5 लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपये (5,90,951.71 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल प्राप्तियों में 4 लाख 99 हजार 212 करोड़ 71 लाख रुपये (4,99,212.71 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 67 हजार 153 करोड़ 76 लाख रुपये (3,67,153.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 20 हजार 655 करोड़ रुपये (2,20,655 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का

अंश 01 लाख 46 हजार 498 करोड़ 76 लाख रुपये (1,46,498.76 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 06 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 04 लाख 56 हजार 89 करोड़ 6 लाख रुपये (4,56,089.06 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 24 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (24,567.26 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 6 हजार करोड़ रुपये (6000 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 18 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (18,567.26 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 40 हजार 550 करोड़ 03 लाख रुपये (40,550.03 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष 21 हजार 982 करोड़ 77 लाख रुपये (21,982.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 43 हजार 123 करोड़ 65 लाख रुपये (43,123.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ 97 लाख रुपये (81,177.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है।

मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्ग निर्देशन में तैयार किया गया बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। हमने अपने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए इस प्रकार संतुलित ढंग से आवंटित किया गया है कि न केवल उन क्षेत्रों में विकास हो, अपितु विभिन्न क्षेत्र अन्त्योदय रूप से समग्र विकास में योगदान करें। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊर्जा से परिपूर्ण नेतृत्व में हम अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे, हम महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनायेंगे, हम कृषि, विनिर्माण, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की कार्य शैली के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा-

"तेरे जुनूं से नतीजा जरूर निकलेगा,
इसी स्याह समन्दर से नूर निकलेगा।"

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वन्दे मातरम्।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

[12:29] सदस्यों हेतु मध्याह्न भोजन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। पूरा बजट हम सब लोगों के टैबलेट पर है। इसमें 3253 पेजेज हैं। इसमें जो आपने डाउनलोड किया है, सभी मा0 सदस्यों को मैं यह जानकारी दे दूं कि इस पूरे बजट की जितनी भी प्रतियां हैं, वह सारी इसमें उपस्थित हैं। अब आज मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों का भोजन है और आज जब तक यह विधान सभा चलेगी तब तक यह दोपहर का भोजन करायेंगे और शाम को चाय भी पिलायेंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल आपसे एक घंटे के लिए अनुरोध किया था, लेकिन अब थोड़ा समय ज्यादा लग गया।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले भोजन वाली बात करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, दोपहर में सभी मा0 सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए सदन को स्थगित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 02:00 तक के लिए कर दें। थोड़ा विलम्ब हो जायेगा, क्योंकि सभी लोग भोजन करेंगे। आप सभी लोग सादर भोज पर आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है, अब हम दोबारा 02:00 बजे बैठेंगे। धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष ने भोजनावकाश के लिए सदन की कार्यवाही अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की।)

(अपराह्न 2:00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[2:00] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 के अन्तर्गत आज 58 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से निम्नलिखित 16 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद मिर्जापुर के उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्रीकान्त गोस्वामी के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में है, तीसरी सूचना इं0 सचिन यादव की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना में खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री अताउर्रहमान की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी से ग्राम मुण्डिया नसी पुल तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरियाकला में उच्च शिक्षा संस्थान बनवाये जाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री लक्ष्मीराज सिंह की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सिकन्द्राबाद को उच्चीकृत किये जाने के

संबंध में है, सातवीं सूचना श्री शशांक वर्मा की जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक निघासन के निवासीगणों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेन्सिंग, लाइट बफर जोन बनाये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री संजय शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में अवंतिका देवी मंदिर को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र में काली नदी की सफाई कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत माल, मलिहाबाद और काकोरी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बॉसडीह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के ग्राम भैसानी इस्लामपुर व पलठेडी में राजकीय इण्टर कालेज के अधूरे पड़े निर्माण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय स्थित बबुरी को विकास खण्ड बनाये जाने के संबंध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड देवा में निर्मित सड़क की जांच कराये जाने के संबंध में है, सोलहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा बीरापुर में मार्ग व नाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मारुखपुर नैडी नाविक रामगढ़ रसूलपुर सराय सम्पर्क मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग है जिसका मरम्मत और निर्माण का कार्य विगत 5-7 साल पूर्व किया गया था। वर्तमान समय में यह मार्ग पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। यह सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड चन्दौली के अन्तर्गत आता है। यह सम्पर्क मार्ग बाबा किनाराम स्थली जैसे बड़े पर्यटन स्थल को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ चन्दौली सकलडीहा सैदपुर से जुड़कर सैदपुर घाट पर बने गंगा नदी में पुल के माध्यम से पूर्वांचल को भी जोड़ने का काम करता है। वर्तमान समय में यह मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूरी तरह से गड्ढायुक्त/जर्जर हो चुका है जिसका मरम्मत/निर्माण का कार्य कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। पर्यटन की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है जहां बाबा किनाराम स्थली पर हर साल लाखों लोगों का आवागमन होता रहता है। आम जनमानस के आवागमन जनहित एवं पर्यटन को बढ़ावा देते हुए उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत एवं निर्माण कार्य आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की आपसे मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री श्रीकान्त गोस्वामी के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह -

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक (श्री श्रीकान्त गोस्वामी) द्वारा मनमाने तरीके से बिना टेण्डर कराये ठेकेदार तिलोत्मा देवी को 26 महीने तक काम दिया गया और सांठ-गांठ के तहत करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया। जबकि दिनांक 05-08-2019 को पीईजी भवानीपुर डिपो के लिए है0ट्रा0 ठेकेदार व्यवस्था हेतु ई-मेल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसकी लागत धनराशि रुपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) थी।

इसके बाद 31-01-2020 को बिना ई-टेण्डरिंग के भवानीपुर प्रथम का ठेका मनमाने ढंग से दिया गया। विशेष बात यह है कि जिस ठेके की जमानत धनराशि रुपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मांगी गयी थी उसी ठेके को मात्र रुपये 50,000/- (पचास हजार) जमा कराकर ठेका तिलोत्मा देवी को दे दिया गया और नियमित ठेके की तरह 2 वर्ष से अधिक 26 माह तक एडीसीएचसी के नाम पर कार्य कराया गया। पीएजी भवानीपुर प्रथम के सम्बन्ध में जमानत धनराशि रुपये 37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार) तथा बैंक गारंटी रुपये 75,00,000/- (पचहत्तर लाख) जमा कराया जाता है, परन्तु प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा तिलोत्मा देवी से सांठ-गांठ करके मात्र रुपये (पचास हजार) की जमानत धनराशि जमा कराकर पूरे माह कार्य कराया गया।

प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी ठेका यदि 2,00,000/- (दो लाख) से अधिक हो तो बिना ई-टेण्डरिंग/ऑनलाइन के नहीं दिया जा सकता। अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना में खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जसराना विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक टी0टी0एस0पी0 टंकियां हैं। इनमें लगभग सभी टंकियां खराब पड़ी हुई हैं। इस वजह से लोगों को दैनिक कार्यों हेतु पानी की आपूर्ति ना होने से प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आवश्यक रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हर घर नल योजना भी संचालित की गयी है। जसराना विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 टंकियों को मरम्मत की आवश्यकता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल मरम्मत का कार्य शुरू कराये जाने की मांग करता हूँ। सादर प्रणाम।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी से ग्राम मुण्डिया नसी पुल तक सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अताउर्रहमान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी से ग्राम मुण्डिया नसी पुल तक सड़क बहुत खस्ता हालत में है। अक्सर एक्सीडेन्ट होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यह सड़क जनपद पीलीभीत को भी जोड़ती है। इस सड़क पर यातायात भी बहुत रहता है। इस सड़क का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है जिससे जनहानि को भी बचाया जा सके।

मैं सदन के माध्यम से अविलम्ब कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरियाकला में उच्च शिक्षा संस्थान बनवाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरियाकला परिक्षेत्र में उच्च शिक्षा का अभाव है। काफी दूर तक उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण शिक्षार्थियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर से भूमि की उपलब्धता की जांच की जा चुकी है एवं उच्च शिक्षा के संस्थान की स्थापना हेतु प्रबल संस्तुतियां की गयी हैं। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संस्थान की नितान्त आवश्यकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा उच्च शिक्षा संस्थान का उक्त परिक्षेत्र दियोरियाकला में स्थापना भी करायी जाय।]

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सिकन्द्राबाद को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय स्थित है। तात्कालिक गम्भीर अवस्था में मरीजों हेतु उक्त चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध नहीं है जिस कारण से कई बार विलम्ब से उपचार की दशा में मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनहित में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सिकन्द्राबाद को उच्चीकृत करते हुए 'मिनी एम्स' आदि चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक निघासन के निवासीगणों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेन्सिंग, लाइट, बफर जोन बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शशांक वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी का ब्लाक निघासन दुधवा नेशनल पार्क के निकट का क्षेत्र जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय न किये जाने के कारण 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 16 व्यक्ति जंगली जानवरों का शिकार हो गये हैं। इस क्षेत्र में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेन्सिंग, लाइट (प्रकाश), बफर जोन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। काफी समय से क्षेत्रवासियों द्वारा इसकी मांग की जा रही है, परन्तु वन विभाग एवं प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक इस क्षेत्र के निवासीगणों की जान एवं फसलों की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे इस क्षेत्र के निवासीगणों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक निघासन के निवासीगणों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेन्सिंग, लाइट (प्रकाश), बफर जोन बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में अवन्तिका देवी मंदिर को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-67, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में अवन्तिका देवी का मंदिर गंगा किनारे स्थित है। यह अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ है तथा यहां मंदिर के साथ-साथ एक संस्कृत महाविद्यालय व कई आश्रम स्थित हैं। यहां पर नवरात्रों में विशाल मेले लगते हैं जिसमें लाखों लोग गंगा स्नान व दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ-साथ अनेकों पर्वों पर पूर्णिमा तथा अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को जोड़ने वाली सड़क मात्र 03 मीटर चौड़ी है जिससे आये दिन वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि मार्ग में पड़ने वाले गांव के नागरिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आयेदिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इस मंदिर को जोड़ने वाली सड़क सफीनगर, दरावर, मौहम्मदपुर, अवन्तिका देवी का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र में काली नदी की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र से एवं सीमा पर काली नदी नाम की एक नदी बहती है जिसके सहारे आबादी एवं किसानों की कृषि योग्य भूमि स्थित है। गन्दगी के कारण इस नदी की हालत बहुत खराब है। आज तक इसकी सफाई नहीं हुई है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसकी सफाई करायी जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत माल, मलिहाबाद और काकोरी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल, विकास खण्ड मलिहाबाद, विकास खण्ड काकोरी में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय बनवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि विधान सभा क्षेत्र के तीनों विकास खण्ड में राजकीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को लखनऊ जाना पड़ता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र उच्च शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए माल, मलिहाबाद और काकोरी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराने का कष्ट करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी।]

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सरधना के फलावदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है। किन्तु उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में न तो पूर्ण स्टाफ है और न ही सामुदायिक केन्द्रों पर मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस कारण से आस-पास के क्षेत्र के मरीजों को 50 किलोमीटर शहर जाना पड़ता है या निजी क्षेत्र के अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ रहा है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक चिकित्सकों की तैनाती नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बलिया की मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिए राजकीय महाविद्यालय स्थित नहीं है, जिस कारण से यहां के छात्र-छात्राओं को दूर-दराज लगभग 20-25 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना होने से लगभग 30 गांव के बच्चों को लाभ मिलेगा। जनहित में जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद शामली के ग्राम मैसानी, इस्लामपुर व पलठेडी में राजकीय इण्टर कालेज के अधूरे पड़े निर्माण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशरफ अली खान-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अन्तर्गत ग्राम भैसानी, इस्लामपुर व पलठेडी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बनाये जा रहे राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य लगभग 6 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि उक्त कालेजों का निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। सरकार द्वारा समय से दूसरी किस्त जारी न होने के कारण निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेजों के भवन खराब हो रहे हैं, उक्त कालेजों का निर्माण न होने से उक्त क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विद्यालयों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण अभिभावकों, छात्र-छात्राओं का सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त अधूरे पड़े विद्यालयों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय स्थित कस्बा बबुरी को विकास खण्ड बनाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में तहसील चन्दौली स्थित कस्बा बबुरी में विकास खण्ड बनाने का प्रस्ताव काफी दिनों पूर्व दिया गया था जिस पर जिला स्तर से कार्यवाही भी की गयी। बबुरी कस्बा वर्तमान समय में चन्दौली तहसील से संचालित हो रहा है जिससे इस क्षेत्र के दर्जनों गांववासियों को काफी दूरी तय करके तहसील मुख्यालय स्थित विकास खण्ड जाना पड़ता है जिससे धन एवं समय दोनों की बर्बादी होती है। इससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। जनहित में समस्त प्रक्रियायें पूर्ण कराकर कस्बा बबुरी को विकास खण्ड बनाया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कस्बा बबुरी को विकास खण्ड बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड देवां में निर्मित सड़क की जांच कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड देवां के सलेमपुर से कमरखा होते हुए मोहिद्दीनपुर मार्ग की गुणवत्ता बहुत ही खराब स्थिति में है। इस सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है। लोक निर्माण विभाग की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य कराते समय ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म का कार्य कराया गया है जिसके कारण सड़क खराब हो गयी है। उक्त सड़क की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मार्ग व नाला का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण का कार्य किया जाना है। यह प्रकरण विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे द्वारा नियम-301 एवं नियम-51 के तहत कई बार उठाया गया है। जिलाधिकारी, बिजनौर एवं पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड नजीबाबाद को भी छूटी कड़ी योजना के अनुरूप मैंने इसका प्रस्ताव दिया था। इस मार्ग से आने-जाने हेतु लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस कारण जनता में भारी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कस्बा किरतपुर में मोहल्ला चमारान के रफीतुल्ला के मकान से मालन नदी के पुल तक मार्ग एवं नाला निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत आज 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा जी की विधान सभा के माननीय सदस्यों की सूचनाओं की संख्या 90 दिन के सापेक्ष बढ़ाये जाने के संबंध में यह सुनी जायेगी। बाकी सब अग्राह्य हुईं।

मा0 सदस्यों की सूचनाओं की संख्या 90 दिन के सापेक्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जब यह नियमावली बनी थी, तो यह अपेक्षा की गयी थी कि सदन 90 दिन चलेगा और पहली, दूसरी, तीसरी विधान सभा में 100-100 दिन तक सदन चला है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और उस हिसाब से नियमावली में व्यवस्था की गयी थी कि नियम-301 की इतनी सूचनाएं ली जायेंगी और सप्ताह में एक ही दिन ली जायेंगी। इसी तरह से नियम-56 के लिए था कि चार सूचनाएं, पांच सूचनाएं ली जायेंगी, जिसमें से दो पर सुनने का काम किया जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से नियम-51 के लिए भी अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार यह सीमित किया गया था कि 10 या 20 सूचनाएं ली जायेंगी, लेकिन जब हफ्तों-हफ्तों तक सदन चलता था तो प्रत्येक मा0 सदस्य की बात, उनके क्षेत्र की समस्या उन नियमों के तहत विधान सभा में आ जाती थीं। हमारी सदस्य संख्या तो घटी नहीं, वह 403 की 403 ही है, लेकिन सदन का सत्र छोटा हो गया। किसी भी वर्ष पूरे साल भर में 20-21 दिन से ज्यादा सदन नहीं चलता। ऐसी स्थिति में मा0 सदस्यों को अपने क्षेत्र जहां से वह निर्वाचित होते हैं। वहां से चुनकर आते हैं वहां की जनता की विभिन्न समस्याओं को इन नियमों के तहत उठाने का समय नहीं मिल पाता है।

अब जैसे नियम-301 में एक मा0 सदस्य की सप्ताह में एक ही दिन सूचना ली जायेगी और यह सदन एक ही सप्ताह चलता है तो जब एक ही दिन सूचना ली जायेगी तो दूसरे से कोई समस्या आ नहीं आ सकती। मान्यवर, इसलिए इस पर मेरी आपसे अपेक्षा है तथा मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूँ कि जिस अनुपात में सदन के सत्र छोटे हुए हैं उसी अनुपात में सूचनाओं को लेने की संख्या बढ़ाने पर आप विचार करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है जिससे कि सभी मा0 सदस्यों की कोई न कोई सूचना नियम-301 में, नियम-51 में, नियम-56 में अथवा जिस किसी नियम में भी वह उठाना चाहें, वह आ जाये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस अनुपात में इसमें वृद्धि कर दी जाये, जैसे नियम-301 में अगर 10 सूचनाएं ले रहे हैं तो कम से कम 30 सूचनाएं ली जायें। नियम-51 में अगर 20 सूचनाएं ले रहे हैं तो कम से कम 40 सूचनाएं ली जायें। मान्यवर, हम अपने क्षेत्र से मेहनत करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं और इस तरह से अगर इसका विस्तार कर देंगे तो जनता की जो समस्याएं हैं उनको हम विधान सभा में उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता भी हमसे यह अपेक्षा करती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वह हमारी समस्या का निराकरण कराये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर आप व्यवस्था देकर इनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करें। और मेरा दूसरा निवेदन है कि नियम-56 की सूचना जो कार्य-सूची में लगती है वह एकदम अन्त में लग जाती है और जब शून्य प्रहर एक बार होता है जब हम नियम-300 ले रहे हैं, नियम-301 ले रहे हैं तो उसी के कन्टीन्यूएशन में उसी के साथ नियम-56 की सूचना भी ले लें, यह भी मेरा आपसे निवेदन है और इस पर भी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ जिससे आम सदस्य की सूचनाएं, उनके क्षेत्र की समस्याएं विधान सभा में उठायी जा सकें और उस पर कोई न कोई कार्यवाही हो सके, इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गये हैं जब उन्हें समाजसेवा सबसे ज्यादा याद आती है और समाजसेवा करना बहुत अच्छी बात है। हम समाजसेवा के बहुत बड़े समर्थक हैं और समाजसेवा के माध्यम से जो लोग राजनीति करते हैं वह ज्यादा प्रतिफलित होती है। हम उनकी भावना का भी स्वागत करते हैं और उन्होंने जो इच्छा दर्शायी है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह सारा कुछ वर्मा जी को तभी क्यों याद आता है जब वह उधर बैठते हैं। अगर इनको इधर बैठकर यह याद आ जाये तो वह रूलिंग बन जाये और जब वह रूलिंग बन जायेगी तो फिर तो हम लोगों को वह मानना ही मानना पड़ेगा। मान्यवर, विधान सभा में किसी प्रश्न के उठने का अपने आप में एक महत्व होता है और विधान सभा में पहले दिन हम जब आये थे तब कभी विधान सभा में अगर कोई प्रश्न उठ जाता था और अगर वह प्रश्न होम से संबंधित होता था तो पता चलता था कि शाम को सी0ओ0 सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट घर पर बैठे हैं और विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं। अब मान्यवर, धीरे-धीरे यह महत्व कम हुआ है। आप सभी लोग इस बात को स्वीकार भी कर लें, इसके बहुत से कारण हैं, इसका एक कारण नहीं है, लेकिन मान्यवर अब हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं विधान सभा में वैसे तो आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, आप जैसा चाहें, वैसा करें लेकिन ऐसा भी न हो कि इसको लोग बहुत हल्के में लें ताकि लोग ये न कहें कि आज नहीं कल आ जायेगी, कल नहीं परसों आ जायेगी। अपने आप में इसकी गरिमा, इसकी प्रतिष्ठा, इसका महत्व बना भी रहना चाहिए। हम ये जरूर चाहेंगे कि अगर आप चाहें बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसके महत्व को और इसकी गरिमा को बने रहने देना चाहिए। इसको इतना हल्का और सस्ता भी नहीं कर देना चाहिए कि कोई भी हो जो चाहे वह करे।

मान्यवर, जिस तरीके से हमने नियम-301 के अन्तर्गत देखा कि जो नियमावली और सदन के समय-समय पर अध्यक्ष पीठ के निदेश हैं आपके माध्यम से हम पूरे सदन से कहना चाहते हैं कि उसे कम से कम एक बार पढ़ जरूर लें, उसमें डायरेक्शन दिये गये हैं कि लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और दो सौ शब्दों में कैसे अपनी पूरी बात आ जाय, इसका पता होना जरूरी है। पता चला कि कहीं केन्द्र सरकार का कोई मामला इसमें लिए चला आ रहा है, कोई कितना ही पुराना मामला इसमें लिए चला आ रहा है, कि किसी तरह से बस ये विधान सभा में आ जाय। इसको जरूर देखा जाना चाहिए कि हम कौन-कौन सी सूचनाओं का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप इसको हर तरीके से खोल देंगे तो यह भी देखना चाहिए कि उसके महत्व का उसकी गरिमा का कोई दुरुपयोग भी न हो। ये हम आपके माध्यम से पूरे सदन से कहना चाहते हैं। इसी तरीके से जो नियम-56 है, आप भी इससे सहमत होंगे कि जो सूचना मंगाने का समय मिलता है, कभी-कभी जनपदों से सूचना मंगानी पड़ती है, आप भी इधर बहुत दिन बैठे हैं, सभी लोग जो उधर बैठे है। सभी लोग इधर बैठ चुके हैं उन लोगों के सामने भी

यह कठिनाई आती रही होगी कि हमको सूचना मंगाने के लिए समय कम मिलता है। पार्लियामेंट में इस तरह के मोशन शाम को सुने जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि जो व्यवस्था है, वैसे तो वह अपने आप में पर्याप्त है और आप नियम-51 में 15 सूचनायें लेते हैं, नियम-301 में भी 15 सूचनायें लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यों के कहने पर अब नियम-51 में 20 सूचनायें कर दी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपको बहुत-बहुत बधाई, आप पहले से ही इतने उदार हैं।

श्री अध्यक्ष-

जिन्हें बधाई देनी चाहिए वह तो दे नहीं रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, 30-30 सूचनायें कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

फिर आप 40 कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस पर विचार करके निर्णय लें। देखिये, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि उसके महत्व को, उसकी गरिमा को, उसके प्रभाव को किसी तरह से हल्का न किया जाय और उसका जो महत्व है वह बना रहे। इस समय नई सरकार में हमारी हर चीज बेहतर हो रही है। इसलिए हम ये जरूर चाहेंगे कि आप सोच-समझकर विचार करके इस पर निर्णय लें। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लिया जाय उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा करें। चाहें तो रिजर्व कर लें फिर चाहे कल निर्णय ले लें या परसों ले लें, हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। यह नियम-300 में नहीं आता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको खारिज किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 लालजी वर्मा जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। सूचनाओं के प्रभाव का जो सवाल है ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर सरकार उसको गम्भीरता से लेती है और उसकी जांच वास्तविक ढंग से करती है।

निश्चित रूप से आप कहते थे कि सी0ओ0 बैठा रहता था, वह बैठेगा। जब सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो किसी भी तरह चाहे एक सूचना लीजिये उसका भी असर नहीं पड़ेगा। 20 लीजिये उसका भी असर नहीं पड़ेगा। यह सब सरकार के स्वयं के प्रभाव पर निर्भर करता है। अगर वह विपक्ष की सूचनाओं को महत्व देगा कि हां सूचना उठी है, उसका सही-सही निस्तारण होना चाहिए तो उसका प्रभाव पड़ेगा। चूंकि सूचना के माध्यम से हम जनता की समस्या लाते हैं इसलिए दोगुना बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय लालजी वर्मा जी को एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा इस पर विचार करें। पहले 10 सूचनायें ली गयी थीं, आप लोगों के निवेदन पर मैंने 10 से बढ़ाकर 20 कर दी थीं जोकि दोगुनी हैं। माननीय वर्मा जी आप के कहने पर की थी और इसी सत्र में 3 दिन पहले की थी। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सुबह 10 बजे तक सूचनायें आती हैं। नियम-56 की सूचनायें सुबह तक आती हैं क्योंकि उसमें तत्कालिक कोई इशू हो सकते हैं। आज अध्यक्ष पीठ का यह निर्देश है कि नियम-301 एवं नियम-51 की सूचनायें एक दिन पहले सदन उठने तक मिल जायें ताकि अगले दिन उनका पूर्ण परीक्षण करके उनको ले लिया जाये और आपको भी सुबह 9 बजे सूचना ले जाने की जरूरत न पड़े।

(सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं इसीलिए उधर वाले लोगों से कहता हूँ कि सबको वर्मा जी के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए कि ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। अगर एक दिन पहले नियम-301 एवं नियम-51 की सूचनायें आ जायेंगी तो यह ठीक रहेगा। दूसरी आपने सूचना बढ़ाने की बात की है, कार्य-मंत्रणा में इस पर चर्चा कर ली जायेगी। जैसा कि आपने सुझाव दिया है कि नियम-56 ले लिया जाये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर आपकी सहमति हो और आपके पास सूचना आ गयी हो तो नियम-56 पहले ले लिया जाये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सूचना आ गयी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत आज कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो माननीय सदस्य सूचनायें देते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे नियम-56 देख लें कि उसका क्या महत्व है और वह क्यों दिया जाता है। आज सुबह मैंने देखा कि एक शौचालय का प्रकरण था वह नियम-56 में नहीं आता है। नियम-56 में तात्कालिक विषय जो लोक महत्व के और इमरजेंसी के होते हैं,

वे लिये जाते हैं। माननीय वर्मा जी मैं चाहूँगा कि एक दिन आप सभी माननीय सदस्यों की क्लास ले लें और सबको बता दें कि नियम-56 के अन्तर्गत कौन-कौन सी सूचनायें कैसे लगाई जा सकती हैं। आज जो सूचनायें सुनने के लिए ग्राह्य की गयी हैं उसमें पहली श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री राकेश प्रताप सिंह जी की प्रदेश में बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि नियम-56 पर प्रदेश की महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई से उत्तर प्रदेश का आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति एक बड़े संकट से गुजर रहा है और महंगाई एक दिन से नहीं बढ़ रही है। अगर हम ई0सी0आई0 के डाटा को देखें तो यह बहुत चिन्ताजनक है। लगातार महंगाई का ग्रोथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं रोज आ रही हैं कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा एक दाम्पत्य परिवार अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। इसी तरीके की अभी एक घटना देवरिया जनपद में हुई। एक गरीब मजदूर परिवार ने अपने परिवार का पालन-पोषण न करने की स्थिति में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम मुफ्त टीका लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम मुफ्त टीका लगा रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं आधारभूत ढांचा जो निःशुल्क बैंक खाता है उसको फ्री कर रखा है और गैस सिलेण्डर को भी फ्री देने की बात करते हैं लेकिन मा0 अध्यक्ष जी आज स्थिति यह है कि यह पूंजी एक सामान्य व्यक्ति के परिवार से निकाली जा रही है। आज अनाज 4 रुपये प्रति किलो देकर सरकार जो काम कर रही है लेकिन हम इसको पूरा जोड़कर देखें तो 11 रुपये 75 पैसे प्रति व्यक्ति से वसूलने का कार्य भी कर रही है। अगर हम बात करें 2 मई 2016 को क्रूड आयल की कीमत 45 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 62 रुपये 19 पैसे थी और डीजल 50 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर था और अगर आज मई में उसकी तुलना करें तो कच्चा तेल 48 रुपये 94 पैसे है और इस समय पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 23 पैसे है जिसमें सब्सिडी घटनी है और डीजल का रेट देखें तो 96 रुपये 81 पैसे में वर्तमान में डीजल बेचा जा रहा है और मार्च व अप्रैल के इन 15 दिनों में हम तुलना करें तो लगभग दोनों पर तुलनात्मक बढ़ोत्तरी हुई है। अगर एक्साइज ड्यूटी पर भी हम देखें तो डीजल पर 6 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम करके एक मैसेज दिया गया है कि हम डीजल व पेट्रोल के रेट कम करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसे जीएसटी से बाहर करके रेट बढ़ाने में सरकारों को और सुविधा मिल गयी है। आम जनजीवन से जुड़ी हुई हम चीजों की तुलना करें मा0 अध्यक्ष जी, तो जो घरेलू गैस सिलेण्डर वर्ष 2016 में 490 रुपये का था आज वह 1038 का बिक रहा है और कामर्शियल गैस को देखें तो वह 1500 रुपये से बढ़कर 2346 रुपये का है और तो और

सरसों का तेल भी वर्ष 2020 में 85 में बिक रहा था आज 200 में बिक रहा है और रिफाइंड की कीमत देखें तो 85 रुपये से 150 रुपये पहुंच गयी है। अरहर की दाल 70 रुपये से बढ़कर 95 रुपये और उड़द की दाल 80 रुपये से बढ़कर 130 रुपये पहुंच गयी है। मूंग की दाल 72 रुपये से बढ़कर 120 रुपये, मसूर की दाल 55 रुपये से बढ़कर 73 रुपये पहुंच गयी है और चना 52 रुपये से बढ़कर 75 रुपये, यही नहीं किराना की आवश्यक वस्तुएं जैसे लाल मिर्च, जीरा, धनिया, काली मिर्च और रोजमर्रा की तमाम चीजों में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज अगर हम देखें तो सरिया, सीमेन्ट और ईंटों में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सब्जी भी लगभग 15 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ गयी है। आज यह भार आम आदमी और सामान्य व्यक्ति के जीवन में सीधे पड़ रहा है। गरीब की थाली से दाल की कटोरी मा0 अध्यक्ष जी बहुत पहले चली गयी थी लेकिन अब सब्जी की कटोरी भी गायब हो रही है। यह चिंता की भी बात है और सामूहिक चिंता की भी बात है। इस समय पक्ष और विपक्ष की न सोचकर आज यह बात सरकार में बैठे हुए लोगों को कहीं न कहीं सोचना होगा कि आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति को अपना जीवन व परिवार का जीवन चलाने के लिए संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है अगर सरकार ने कंट्रोल नहीं किया तो हालात खराब होंगे फिर लोग आत्महत्या करने के लिए कहीं न कहीं मजबूर होंगे। लोगों का पलायन होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर एक घंटे इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति आप प्रदान करें। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पर चर्चा करने का एक समय निर्धारित करें।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मा0 अध्यक्ष जी, पाण्डेय जी ने जो सवाल उठाया है। महंगाई का संबंध मुख्यतः केन्द्र सरकार से होता है। आदरणीय सदस्य ने जी0एस0टी0 के बारे में कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जी0एस0टी0 के दायरे में लाकर कम किये जा सकते हैं। केन्द्र सरकार ही जी0एस0टी0 निर्धारित करती है और उनकी समिति में सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। केन्द्र सरकार जी0एस0टी0 के जो नियम निर्धारित करती है वह पूरे देश में लागू होते हैं इसलिए पेट्रोल और डीजल के दामों को जी0एस0टी0 के बाहर अथवा अन्दर करना प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। दूसरे नम्बर पर उन्होंने यह बात कही कि केन्द्र सरकार का प्राइज मानीटरिंग सेल होता है और प्राइज मानीटरिंग सेल अपने सुझाव और अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजता है। केन्द्र सरकार उस पर विचार-विमर्श करने के बाद तय करती है। जो केन्द्र सरकार तय करती है वही होता है। इस प्रकार पेट्रोल और डीजल के भाव राज्य सरकार के हाथ में नहीं होते हैं। आदरणीय पाण्डेय जी ने दलहन, तिलहन और सब्जी के दामों के बारे में जिक्र किया तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सी चीजे ऐसी हैं जो मौसम पर आधारित होती हैं। यदि वर्षा हो गई, तो सब्जी नष्ट हो गई, अचानक नदी में बाढ़ आ गयी तो भी सब्जी नष्ट हो गई, अचानक सूखा पड़ गया तो सब्जी की पैदावार कम हो गई। पहले से ही दलहन और

तिलहन का हमारे देश में उत्पादन कम है। केन्द्र सरकार हमारा जो भी स्टाक तय करती है उसी के अनुसार हमें प्राप्त होता है वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है, यदि कोई मिलावट करता है तो हम इस एक्ट के तहत उन पर छापेमारी कराते हैं। यदि कोई ओवर स्टॉक रखता है तो हम उस पर छापेमारी कराते हैं और उस पर एफ0आई0आर0 कराते हैं। हमने मार्च के महीने में 9450 निरीक्षण कराये, 876 छापेमारी कराई, 38 एफ0आई0आर0 कराई और 132 उचित दरों की दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये हैं। राज्य सरकार के जो अधिकार में है हम उस पर पूरी तरह से कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक आदरणीय पाण्डेय जी ने भूख से किसी परिवार के मरने का जिक्र किया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार में भारत अकेला ऐसा देश है जहां कोविड जैसी महामारी में भी किसी व्यक्ति के भूखे मरने की सूचना नहीं है। पूरी दुनिया में हमारा देश ऐसा है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण-

हल्ला करने से काम नहीं चलता। आप केवल एक ऐसा उदाहरण बता दीजिये जहां पर कोविड में भुखमरी से मौत हुई हो। आप केवल एक नाम बता दीजिये। आप बतायें हम जांच कराने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठिये। मैं अभी ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है।

(व्यवधान के मध्य समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध सुन लीजिये। आपने भी माननीय लालजी वर्मा जी से कहा था कि वह पहले अपने माननीय सदस्यों की क्लास ले लें। माननीय सदस्यों को पता तो चलना चाहिए कि सदन में किस प्रकार से बोलते हैं। यह हमसे कह रहे हैं कि मैं [xxx] बोल रहा हूँ। इस तरह की भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। कृपया आप लोग बीच में मत बोलिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जितनी उम्र है उतने दिन से मैं विधान सभा में हूँ। अब क्या यह मुझे [xxx] कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह [xxx] शब्द असंसदीय है। इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

नोट :-[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, [xxx] शब्द निकाल देंगे।

(श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर)

श्री अध्यक्ष-

यह गलत बात है। आप बैठ जाइये। जो मेरा काम है वह मुझे करने दें। आप मेरा काम मत करिये। राकेश जी आप बैठ जाइये। आपने बोला है तो उनको बताने दीजिये। उसके बाद आपको अवसर देंगे। रविदास मेहरोत्रा जी आप प्लीज बैठ जाइये। उसके बाद आपको बुलवा लेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण -

मान्यवर, मैंने यह अनुरोध किया था हमारे देश में और प्रदेश में कोविड में भूख से कोई आदमी नहीं मरा। उन्होंने कहा कि मरे। उन्होंने कहा कि यह गलत है। आप लिखकर दे दें तो इसकी जांच करा लेंगे। अगर कोई भी आदमी कोविड में भूख से मरा होगा तो हम उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। जिस देश में 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है उस देश में कोई भूख से मरेगा। जिस प्रदेश में 15 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है वहां कोई भूख से मरेगा। जहां तेल भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है, रिफाइंड भी दिया जा रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई घटना घटी होगी तो हम जांच करा लेंगे। तो हम एक घटना बता दे रहे हैं मा0 मंत्री जी इसकी जांच करा लें। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बहुत गम्भीर एवं योग्य व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आज आप वहां बैठे हैं। हो सकता है कि कल हम वहां बैठें। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब खाने को मर रहा है। आज आम आदमी का जीवन बद से बद्तर है और यह सरकार महंगाई के मामले में एकदम गम्भीर नहीं है। सामान्य गरीब लोगों का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। हम इस मुद्दे पर दो मिनट के लिए बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित 02 मिनट के लिए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी इसलिए खड़े हुए थे कि वह एक आदमी का नाम बतायेंगे जो कोविड के समय भूख से मरा हो। लेकिन वह भाषण देने लगे।

मान्यवर, दो बातें विशेष रूप से कहना चाहते हैं। नम्बर एक, हम नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जी0एस0टी0 में जाये, यह हमारे हित में भी नहीं है। इसके ऊपर वैट है यह उत्तर प्रदेश की आय का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा मान्यवर, एक तरफ तो यह किसानों के हितैषी बनते हैं और दूसरी तरफ अगर सब्जियों के बारे में यह कहा जायेगा कि सब्जी महंगी है तो उसका नतीजा यह होगा कि लोग सब्जी कम खरीदेंगे तो उससे लोग कम सब्जी बोयेंगे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जल्दी आ गये। अभी तो यह विषय समाप्त नहीं हुआ। कम से कम यह विषय तो समाप्त हो जाता। आपको आने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है।

(सदन में हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर सब्जी महंगी होती है, कभी-कभी सप्लाई बाधित हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सब्जी महंगी हो जाती है। जैसाकि मा0 चौधरी साहब ने बताया, कभी-कभी और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मान्यवर, अगर सब्जी के बारे में बार-बार बोला जाता है तो उसका नतीजा यह होगा कि लोग कम सब्जी बोयेंगे। जब सब्जी कम बोयेंगे तो सब्जी और महंगी होगी। इसलिए मांग और आपूर्ति के बारे में बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए। यह प्रदेश के हित में भी नहीं है। आपने जो विषय उठाया है वह सीधा-सीधा हमसे संबंधित नहीं है। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि इसको अग्राह्य किया जाये। मा0 चौधरी साहब ने अपना पक्ष रखा है। मैं समझता हूँ कि इसको अग्राह्य किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 मनोज जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी एवं मा0 लक्ष्मी नारायण जी को भी सुना है क्योंकि यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

(सदस्य श्री ओम प्रकाश जी द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो वॉकआउट कर गये थे तो फिर इस विषय पर पूछने का क्या मतलब है। अगली कोई बात पूछिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम यह कह रहे हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यदि वाणी का सौदा होता तो वह बहुत अच्छे सौदागर होते। यह अपनी बात कह रहे हैं कि हमसे मतलब ही नहीं है और उसका जवाब भी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की है लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं श्री अभय सिंह जी की सूचना ध्यानाकर्षण के लिए लेता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

सूचनाएं तो बहुत सारी हैं और मैंने बताया भी था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सूचनाएं बढ़ा तो दीजिये, क्योंकि आज से ही सूचनाएं बढ़ाना था।

श्री अध्यक्ष-

आज तो आपने बोला है। अब हम मद संख्या-02 लेते हैं।

[02:36] राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1207/ग्यारह-2-21-9 (47)-17 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (210)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-1207/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017 आदेश (210)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1208/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (211)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1208/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (211)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1209/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (212)-2-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1209/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (212)-2-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1226/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (213)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1226/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (213)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1216/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (214)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1216/ग्यारह-2-21-9 (47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (214)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1217/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (215)-2021, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1217/ग्यारह-2-21-9 (47)-17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (215)-2021, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1206/ग्यारह-2-21-9 (47)-17- टी0सी0 163 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (216)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1206/ग्यारह-2-21-9 (47)-17- टी0सी0 163-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (216)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1389/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (217)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1389/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (217)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1390/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (218)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1390/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (218)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1391/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (219)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1391/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (219)-2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-2022-9 (114)2012-टी0सी0-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (220)-2022, दिनांक 03 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03 /ग्यारह - 2-2022-9 (114) 2012 - टी0सी0 - उ0प्र0 अधि0 - 5 - 2008-आदेश (220)-2022, दिनांक 03 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-08/ग्यारह-2-22-9 (47)-17- टी0सी0-175 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (221)-2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-08/ग्यारह-2-22-9(47)-17- टी0सी0-175 उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (221)-2022 दिनांक 06 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1335/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-टी0सी0-167-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (222)-2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1335/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-टी0सी0-167-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (222) - 2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1211/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-टी0सी0-168-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (223)-2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1211/ ग्यारह-2-21-9 (42)-17-टी0सी0-168-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (223)- 2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-176-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (224)-2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-22-9 (47)-17- टी0सी0-176-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (224)-2022, दिनांक 06 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-11/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-177-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (225)-2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-11/ग्यारह-2-22-9 (47)-17- टी0सी0-177- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश (225)-2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन) नियमावली-2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1227/ग्यारह-2-22-9 (42)-टी0सी0-58-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (226)-2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तिरपनवां संशोधन), नियमावली, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-91/ग्यारह-2-22-9 (42)-17-टी0सी0-59-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (227)-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-91/ ग्यारह- 2-22-9 (42)-17-टी0सी0-59-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (227)-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-117/ग्यारह-2-22-9 (47)-17 टी0सी0 178-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (228)-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-117 ग्यारह-2-22-9 (47)-17, टी0सी0 178-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (228)-2022, दिनांक 16 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (चौवनवां संशोधन) नियमावली 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-63/ग्यारह-2-22-9 (42)-17-टी0सी0-60-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (229)-2022, दिनांक 24 मार्च, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-230/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-179-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (230)-2022, दिनांक 31 मार्च 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-230/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-179-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (230)- 2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-231/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-180-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (231)-2022, दिनांक 31 मार्च 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-231/ग्यारह- 2-22-9 (47)-17-टी0सी0-180-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (231)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-232/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-181-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (232)-2022, दिनांक 31 मार्च 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-232/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-181-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (232)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर

† छापी नहीं गयी

प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-233/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-182-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (233)-2022, दिनांक 31 मार्च 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-233/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-182-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (233)-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-847/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (198)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-848/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी नियम-2017-आदेश (199)-2021, दिनांक 02 सितम्बर 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-848/ग्यारह-2-21-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी नियम-2017-आदेश (199)-2021, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-2017-आदेश (201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0अधि0- 2017-आदेश (201)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-01 2017-आदेश (203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-1042/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (203)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-01-2017-आदेश (204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1043/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (204)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1044/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (205)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1045/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (206)-2021, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (207)-2021, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-422/ग्यारह-2-21-9 (46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (174)-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-422/ग्यारह-2-21-9 (46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (174)-2021, दिनांक 26 मार्च, 2021 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1147/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0- 5-2008-आदेश (208)-2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिए सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1157/86-2021-03(सा0)-2021, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-04/29-6-2022-115(सा0)-2014, दिनांक 03 जनवरी, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर

† छापी नहीं गयी

प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2021†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप मंत्री, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट-माप अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/सी0पी0-449/84-2-2021-क0 संख्या-1317087, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2021 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-105(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2017-2018 (विलम्ब के कारणों सहित)††

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2017-2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2019-2020 (विलम्ब के कारणों सहित)††

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†††

श्री अध्यक्ष-

अब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। मेरे पास जो सूची आयी है, इसमें हमारा प्रयास होगा कि 8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को इस पर बुलवा लिया जाये।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गयी।

††† दिनांक 24 मई, 2022 की कार्यवाही से।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, इधर से शुरू करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी आप कहां थीं, आपकी नियम-56 की सूचना लगी थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, प्रेस में बहुत टाइम लग गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर जी।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि महामहिम जी द्वारा रखे गये अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जिन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया है, उसमें मुझे खेद के साथ कहना है कि उन्होंने जो अपने अभिभाषण में जोड़ा नहीं है, उसमें आप इसको भी शामिल करने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, मैं दो दिन से देख रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कम चर्चा हुई बल्कि इधर से हमने क्या किया या फिर उधर से हमने क्या किया। अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा। अब यह जरूरी हो गया है कि मुझे भी अपने दल के बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया ? इसलिए मैं शुरू करता हूँ ध्यान से सुनियेगा, कल की पूरी कार्यवाही में अंकित है। कार्यवाही निकाल कर देखियेगा कि जिन-जिन योजनाओं को अपना-अपना बताया गया कि मैंने कराया, मैं उसको पूरे उदाहरण सहित इस सदन में रखना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास 10 मिनट है, जिसके साथ मर्जी रख दीजिये। उदाहरण के साथ रखिये या बिना उदाहरण के साथ रखिये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, ये चर्चा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर है। अगर पुरातत्व विभाग का कोई उदाहरण हो तो दिया जा सकता है। नहीं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया से किसी को बुला लीजिये वही इसको सत्यापित करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिए भी आवश्यक हो गया ताकि सदन भी जाने, पूरा प्रदेश और पूरा देश भी सुने कि हमने क्या किया ? कल इकाना स्टेडियम की बात आयी। इधर से हुआ कि इकाना स्टेडियम हमने बनाया। उधर की सरकार ने उसमें अपना शपथ ग्रहण

किया। अध्यक्ष जी, यहां रिकार्ड है, इकाना स्टेडियम की जमीन का अधिग्रहण हमारी सरकार ने किया और यही नहीं हुआ आप थोड़ा धैर्य से सुनिये, इकाना स्टेडियम का हमने बिड भी किया। हमारे बिड में कोई इस छोर से झूठ नहीं बोल सकता। अगर जानकारी न हो तो कृपया अध्ययन करने का प्रयास करिये, लाइब्रेरी बनी हुई है। हमने केवल जमीन ही नहीं अधिग्रहण की, हमने जमीन अधिग्रहण करने के बाद उस इकाना स्टेडियम के आर्किटेक्ट थे श्री उदय सिन्हा जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन एज एन आर्किटेक्ट उन्होंने स्टेडियम को डिजाइन किया। हमने जब बिड किया तो उस समय बिडर भी 02 आये। फिर हमारी सरकार ने तय किया कि हमें पुनः बिड करनी चाहिए और उसके बाद आचार संहिता लग गयी। दूसरी सरकार आयी तो दूसरी सरकार ने जब बिड किया तो हमने जिसको आर्किटेक्ट रखा पिछली सरकार ने उसको उस स्टेडियम का काम ही दे दिया। इसलिए उसको अपना गिनाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात जानना जरूरी होगा। अध्यक्ष जी, दूसरा उदाहरण मान्यवर, जनेश्वर मिश्र पार्क का है। हमको लगता है कि उतनी जमीन एक्वायर करके एक ग्रीन पार्क बनाने की कम सरकारों में हिम्मत आयेगी। वह शहर की जमीन थी, शहर की इतनी जमीन जब मिलेगी तो सरकार अपने बिल्डर्स साथियों को ओब्लाइज करेगी।

(इसी मध्य 03 बजकर 09 मिनट पर अधिष्ठाता श्री इन्द्रजीत सरोज पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप उसके साक्षात गवाह हैं। आप भी उस कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे जिसमें जनेश्वर मिश्र ग्रीन पार्क के नाम से वह जगह एक्वायर हुई थी। एक्वायर होने के बाद काम शुरू हुआ। वर्ष 2012 के बाद जब सरकार आयी तो सरकार केवल इस मुद्दे पर आयी कि बहुजन समाज पार्टी ने केवल पत्थर का काम किया और केवल खजूर के पेड़ लगाये। जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर देखिये पूरी बाउण्ड्री के किनारे खजूर के पेड़ लगे हैं। जितना भी आप वहां काम देख रहे हैं वह बहुजन समाज पार्टी का कराया हुआ काम है।

माननीय जनेश्वर मिश्र जी हमारी धरती से आते हैं, हम लोगों के बहुत ही पूज्य हैं, उनके नाम से कोई दूसरी जमीन एक्वायर करके एक बड़ा सा पार्क बनाते तो हम लोग बधाई देते। जो आप दलितों के वोट की बात करते हैं, हमारे मान्यवर कांशीराम जी, जो दलितों के हितैषी थे, उन्होंने दलित समाज को ले करके इतना बड़ा मुहिम खड़ा किया, उनके नाम पर बने पार्क का नाम आपने चेंज करके दूसरे का नाम रख दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमको इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, उन सारी चीजों में आप कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, इसलिए भी और अच्छा है। अगर थोड़ा कमोबेश होगा और अगर समर्थन में हैं तो मैं अपने माननीय लाल जी वर्मा जी से भी उसमें सहयोग ले लूंगा। (विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात बिजली उत्पादन की है। मैं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इंगित करके कहा कि ललितपुर पावर प्लांट का एम0ओ0यू0 बसपा ने किया था और हमने उसको आगे बढ़ाया। वही नहीं, आज जितने पावर प्लांट नये चालू होने की स्थिति में हुए हैं या पिछले दिनों में चालू हुए हैं उसमें चाहे

ललितपुर हो, चाहे मेजा हो, चाहे बारा हो, आप उन सारी कैबिनेट में भाग लिये हैं, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने एम0ओ0यू0 करके शुरू कराया था। इसलिए यह विजन केवल बहुजन समाज पार्टी में ही आ सकता है। अन्य पार्टियों में ऐसा काम करने की क्षमता नहीं है। यह अच्छी बात है कि आज आप उसको गिनाते रहिए, उसको अपने में जोड़ते रहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक्सप्रेस-वे की बात हो रही है, सरकार भी एक्सप्रेस-वे पर बोल रही है, हमारे विपक्षी दल भी एक्सप्रेस-वे पर बोल रहे हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का नाम और एक्सप्रेस-वे का जो एक उपहार है, पहला एक्सप्रेस-वे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन सुश्री मायावती जी ने दिया था, जिसका नाम नोएडा एक्सप्रेस-वे है, यमुना एक्सप्रेस-वे है।

श्री अधिष्ठाता-

आपके एक्सप्रेस-वे में एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। (हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस एक्सप्रेस-वे में सरकार का फण्ड नहीं लगा। हमारा आगरा एक्सप्रेस-वे 32 हजार करोड़ का बना। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी बना, उसमें भी 35-36 हजार करोड़ लगे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, हमारे वहां खेती में जब किसी व्यक्ति के पास एक बैल होता था तो वह एक दूसरे किसान से समझौता कर लेता था कि एक दिन हल तुम ले जाओगे और एक दिन हल मैं ले जाऊंगा। श्री उमाशंकर जी जो कह रहे हैं, लेकिन कोई मेज बजाने वाला नहीं है। मेरा बहन जी से अनुरोध है कि आपस में ही समझौता कर लीजिए कि आप बोलें तो वह मेज बजा दिया करें और जब वह बोलें तो आप मेज बजा दिया करिये। (सदन में हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, चूंकि थोड़ा सा हमारे माननीय मंत्री जी ने विचलित कर दिया। माननीय मंत्री जी, मैं फिर कहूँगा कि आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपको इस बात का काफी गर्व है कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है, यदि यही बहुजन समाज पार्टी न होती तो आप वहां विधायक नहीं बने होते।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

आप इतना जल्दी किसी को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास न करिये। हमको वह दिन भी याद है, जिस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एक सांसद, दो सांसद होते थे और वह भी हार गये। राजीव गांधी जी ने आडवाणी जी से पार्लियामेंट में बोला था कि भाई इन लोगों के बारे में क्या बोलना है, इन पर हम दो, हमारे दो वाली बात भी सिद्ध नहीं हो रही है और आज आप कई जगहों पर सरकार बनाये हुए हैं, दिल्ली में सरकार है, तो यह मत समझिये कि कब किसकी स्थिति क्या बन सकती है, यह भ्रम नहीं पाला जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप मुद्दे पर आ जाइये, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, हमें खुशी है कि अब आप गये हैं तो हमें क्या पूछना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक्सप्रेस-वे की बात आई। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम गंगा एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको भी पता है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने गंगा एक्सप्रेस-वे का एलाइनमेंट डिसाइड किया था जिस समय हमारे बगल में बैठी श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की सरकार केन्द्र में थी और उसने उस पर एन0ओ0सी0 नहीं दिया था, वह एक्सप्रेस-वे नोएडा से लेकर बलिया तक था जो हमारे मांझी बिहार को जोड़ता था, लेकिन अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने उस एक्सप्रेस-वे को मेरठ और सहारनपुर होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे तक सीमित कर दिया है। कल सदन के अन्दर जो गलतफहमी हुई उसका क्या कारण था ? आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर कोई और बैठेगा या इससे पहले कल कोई और बैठा होता था, जिस तरह से किसी विभाग में प्रमुख सचिव हों, अपर मुख्य सचिव हों, उनका स्थानान्तरण उस विभाग से किसी दूसरे विभाग में हो जाता है तब उस कुर्सी पर कोई दूसरा प्रमुख सचिव आकर बैठता है तब पुराना प्रमुख सचिव यह नहीं कहता है कि इसका यहां कोई काम नहीं है इसको यहां से हटाओ। इसीलिए यह घमंड नहीं होना चाहिए, अगर आप मंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कल जो सदन की गरिमा तार-तार हुई केवल इसी कारण हुई थी। आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई भी हो हम लोग एक प्रक्रिया के अंग हैं, हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना, यह किसी को नहीं करना चाहिए कि पिछली सरकार करके गई है तो हम इसको काट देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक मेडिकल कालेज की बात कर लें, जैसे मेडिकल कालेज के बारे में माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में भी है। मैं बलिया से आता हूँ वह और जो 16 जनपदों के मेडिकल कालेजों को पी0पी0पी0 में कराने की बात हो रही है उसमें एक बलिया है, बलिया का कोई पालिटिकल एप्रोच या सरकार का कोई दबाव नहीं होगा कि बलिया में अपने फंड से मेडिकल कालेज बनाया जाय। हालांकि यह लोग नहीं जानते हैं कि बलिया वह धरती है जिसमें पहले पूरा देश गुलाम था, अगर सबसे पहले पौरुष से लड़कर आजादी हासिल किया तो वह बलिया राज्य है, लेकिन आज बलिया जनपद अपना हिस्सा मांग रहा है कि हमें मेडिकल कालेज दिया जाय, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि

बलिया जनपद को मेडिकल कालेज दिया जाय। अगर बलिया जनपद का कोई भी ट्रामा केस हो तो 200 किलोमीटर बनारस जाना पड़ेगा या 200 किलोमीटर गोरखपुर जाना पड़ेगा। बलिया जनपद के आस-पास गाजीपुर में हो गया है, देवरिया में हो गया है, लेकिन बलिया में कोई मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी केवल एक लाइन सुन लीजिये, एक लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अगर विकास की बात आ रही है कि मैंने किया या मैंने किया तो मैं केवल एक बात आपको उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि केवल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कराये गये कार्यों को हटा दीजिये तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ में क्या विकास कार्य हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या विकास कार्य किया है। धन्यवाद।

श्री भूपेश चौबे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जो डॉ0 मंजू शिवाच जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5 सालों में योगी जी की सरकार में विकास कार्य हुआ है उसी का यह प्रमाण है कि पुनः हम यहां पर विशालतम बहुमत के साथ एकत्रित हुए हैं। काम अच्छा किया है इसीलिए यहां पर हैं। अगर एक बात मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, एक गर्भ में जब बच्चा आ रहा है और मरण तक के यह सर्वांगीण जो कुछ भी जरूरत है उसके बारे में विचार है, उसके बारे में चिन्तन है, उसके नाते जो यह बात कही गई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह बात इससे स्थापित होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रकार से सामूहिक विवाह की प्रक्रिया जब चालू की गई तो सदन में मैं सुन रहा था कि लोगों ने इसका उपहास उड़ाया कि अब ये विवाह सामूहिक करेंगे, लेकिन आज वह गरीबों के लिए सम्मान का विषय बना हुआ है। आज यह योजना सबसे लोकप्रिय और प्रभावी हो रही है। अगर मैं सोनभद्र की बात करूं तो सोनभद्र में पेयजल को ले करके बहुत बड़ा संकट था, मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि जो सोनभद्र के लोग सोचते भी नहीं थे इतना बड़ा-बड़ा, चौड़ा-चौड़ा पाइप गांव में पड़ेगा, उस पाइप के अन्दर गाड़ी भी आ सकती है, इतने चौड़े पाइप लगाये जा रहे हैं ताकि वहां की जनता को शुद्ध पेयजल दिया जा सके। यह लक्ष्य है कि 2022 के अन्त तक सोनभद्र के निवासियों के घरों तक जल पहुंचेगा, जो प्रभावी कार्य हुए हैं उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। मुसहर, वनटांगिया लोगों ने सोचा

भी नहीं था कि वह पक्के घरों में रहेंगे, लेकिन आज केवल घोषणा ही नहीं केवल दीवाल ही नहीं बल्कि उनकी छत भी पड़ गयी और गृह प्रवेश भी हो गया, इस प्रकार से उनका भी मान-सम्मान बढ़ा हुआ है। हमारे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका कायाकल्प हो रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सोनभद्र के सभी प्राइमरी स्कूलों का जहां कायाकल्प हुआ, उनकी रंगाई-पुताई हुई वहीं उन स्कूलों में नये फर्नीचर हैं और स्कूल में बच्चे कुर्सी-मेज पर बैठते हैं, यह योगी सरकार की देन है। बहुत से विवाद जमीनों के हुआ करते थे, आपस में पड़ोस के लोग जो विवाद करते रहते थे उसको समाप्त करने के लिए खतौनी के साथ घरौनी भी बनायी जा रही है, इससे विवादों में कमी आयी है और उस दिशा में हम अग्रसर हैं। अगर हम सोनभद्र को इसमें जोड़ें तो हमारे यहां वनभूमि और ऐसी जमीनों को लेकर बहुत बड़ा विवाद रहता था, वहां वन विभाग राजस्व विभाग ने मिल करके धारा-20 का प्रकाशन किया और वह प्रभावी परिणाम दे रहा है, यह योगी सरकार की देन है। पूर्व में धारा-20 के प्रकाशन की चर्चा होती रही, लेकिन कोई इस पर काम नहीं कर पाया, लेकिन योगी सरकार ने धारा-20 का प्रकाशन कर काफी समस्याओं का समाधान कर दिया। कुछ काम अभी बचा हुआ है, कुछ गांव बचे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उन गांवों जैसे सिंदुरिया, टीकापुर, गर्गरा ऐसे तमाम गांवों में भी धारा-20 का प्रकाशन करा दिया जाय। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सोनभद्र चार राज्यों से जुड़ा हुआ है, नदियों का जंजाल है, पहाड़ी है, वन है, इस दृष्टि से इस जिले पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से नीति आयोग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं उसी तरह से किया जाय। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सोनभद्र के लिए कुछ चीजें जो आवश्यक हैं उन्हें दिया जाना जरूरी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कावलसेल से छलियाली मार्ग पर एक रेलवे लाइन है जिस पर ओवरब्रिज का बनाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि ओवरब्रिज न होने से आवागमन बाधित होता है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि वह ओवरब्रिज वहां बनाया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में जहां मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, इण्टर कालेज और डिग्री कालेज हैं।

लेकिन वहीं पर अपने आदिवासी क्षेत्र रामपुर में एक इण्टर कालेज की जरूरत है और हमारे क्षेत्र में डिग्री कालेज की जरूरत है, चतरा क्षेत्र में एक महिला पी0जी0 की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वहीं अभी सरकार हर कमिश्नरी में एक-एक विश्वविद्यालय देने की योजना बना रही है, जिसमें सोनभद्र भी है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़ा अंतिम छोर का जिला है। वह चार राज्यों से जुड़ा हुआ है। पांचवें राज्य का उसे स्वयं हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मिर्जापुर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय खोले जाने वाला है वह अपने सोनभद्र क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र में खोला जाय। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के आस-पास का एरिया है उधर पर्यटन की बड़ी अपार सम्भावना है और

सोनभद्र में खासतौर से, क्योंकि जल का जहां प्रवाह होता है वहां काफी लोग जाना चाहते हैं। जब बरसात के दिनों में जल के जो ऐसे सेंटर हैं वो बरसात के दिनों में बन्द हो जाते हैं तो वहीं सोनभद्र में बरसात के दिनों में जो जल प्रवाह है, प्राकृतिक रूप से चालू हो जाता है। इसलिए अपने जनपद में टूरिज्म की भी अपार सम्भावना है। इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि टूरिज्म के क्षेत्र में उस जिले को विशेष प्राथमिकता के साथ रखते हुए व इसी निवेदन के साथ अपनी सरकार के द्वारा कोल को ब्लाक और डाला को नगर पंचायत दिया गया, इसके लिए मैं यहां बधाई देना चाहता हूँ वहीं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राबर्ट्सगंज नगर पालिका जो जौनपुर जिले की एकमात्र नगर पालिका है, मैं उसके विस्तारीकरण का भी निवेदन करता हूँ, इसी के साथ मैं मा0 अधिष्ठाता जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मा0 राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे मा0 राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने जैसा कार्य किया उसी से 37 वर्ष बाद ऐसा समय आया कि दोबारा से हमारी सरकार बनी। उनके कार्यकाल की बात करता हूँ तो आप जहां भी देखेंगे आपको दिखाई देगा कि हमारे यहां कितना अपराध बढ़ा हुआ था उस समय जब हमारी सरकार नहीं थी। अपराधी स्वच्छन्द रूप से घूमते थे, आज आप देख सकते हैं कि अपराधी यू0पी0 से तो बाहर जा ही रहे हैं, यू0पी0 की जेलों में भी नहीं रहना चाहते हैं यह स्थिति आ गई है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, अभी डेवलपमेंट की बात हो रही थी। मैं आपको बातना चाहता हूँ कि यदि कोई मुख्य मंत्री बना है तो निश्चित ही डेवलपमेंट के लिए सड़कें बनेंगी, कहीं न कहीं पार्क बनेंगे, लेकिन यह उसी तरीके से है जिस तरीके से यदि आप सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे, उसकी स्पीड सही नहीं होगी तो सही समय पर कार्य नहीं होगा। यदि कोई सर्जन है सही समय पर सर्जरी कम्पलीट नहीं करेगा ज्यादा समय लेगा तो मरीज मर ही जायेगा। ऐसी स्थिति रही विपक्ष की, ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने सपने जरूर देखे चीजों को करने का प्रयास किया, लेकिन समय से नहीं किया, जो काम समय से नहीं किया होता है वह न करने जैसा ही होता है। मा0 अधिष्ठाता जी कोरोनाकाल में क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ जिस समय कोरोनाकाल में लोग डर रहे थे उस समय मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीटिंगें कर रहे थे, अस्पतालों में जाने का प्रयास कर रहे थे। वह देख रहे थे कि क्या स्थिति है। इतनी भयानक स्थिति में निश्चित ही उस समय दवाइयां नहीं थीं, लेकिन फिर भी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए चाहे योगी जी हों या मोदी जी हों, हमारी सरकार ने जो काम किया था वह अद्भुत था। कितने भी संसाधन कंजरवेटिव रूप से दिये जा सकते थे, किसी भी दवाई की जरूरत थी। सब फ्री इलाज किया गया। इतना बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तब यह स्थिति थी। उस कोरोना

काल में भी आपने देखा, हमने किसी भी मरीज को बिना इलाज के नहीं रहने दिया। उसको योगी जी ने उन विषम परिस्थितियों में भी सभी तरह का इलाज करने का प्रयास किया वह भी फ्री में, मरीज से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया।

यह समझने का विषय है कि इस संवेदनशील समय में, ऐसा नहीं था कि वह इस दुःख की घड़ी में परिवार के साथ शामिल होने नहीं जा सकते थे। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने देखा कि इस संवेदनशील समय में कोरोना महामारी की मानीटरिंग करते रहे और अपने पिता जी के अंतिम संस्कार में नहीं गये। उस समय यदि किसी की डेथ हो जा रही थी तो वहां पर 4-5 लोगों से ज्यादा जाने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने देखा कि यदि मैं जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको दुःख होगा। क्योंकि वहां का नियम ऐसा था, तो उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने-आप को नियम-कानून को मानने वाला दिखाया कि कोई भी नियम है तो वह केवल जनमानस के लिए नहीं है वह मुख्य मंत्री के लिए भी है। ऐसा उन्होंने करके दिखाया। गौवंश संरक्षण की बात करें तो यह भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारी सरकार गौवंश संरक्षण के प्रति संवेदनशील है और एक अलग तरह का भाव रखती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम प्रत्येक जीव में भगवान को देखते हैं, कण-कण में भगवान की कल्पना करते हैं। इसलिए गौवंश की रक्षा के लिए भी करीब 6 हजार गौ-आश्रय स्थल बनाये गये हैं जिससे कि जो बेसहारा पशु हैं, उनके रहने की व्यवस्था हो। यदि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मैं अपने जनपद बरेली की बात करूं तो बरेली में एयरपोर्ट की शुरुआत हो गयी है और वहां से मुम्बई, बेंगलुरु व अन्य शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा प्रारम्भ हो गयी है। जब यात्रा सुलभ हो जाती है तो वहां पर व्यापार आने लगता है। निश्चित रूप से एयरपोर्ट शुरू होने से बरेली में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगेंगी। बरेली शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है, यहां पर तीन-तीन मेडिकल कालेज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कालेज हैं जिससे बाहर के बच्चों की पढ़ाई में भी सुविधा होगी। यह अच्छी बात है। शिक्षा की ही बात करते हैं तो हमारी सरकार ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, नई-नई प्रौद्योगिकी से सशक्त करने के लिए टैबलेट और स्मार्ट फोन को बांटा गया है जिससे लोगों तक जानकारियां उपलब्ध होती रहें। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं सुरक्षा की बात करता हूँ। किसी भी देश की सुरक्षा वहां के सैनिकों पर निर्भर करती है और यदि हम सैनिकों के बारे में बात न करें तो उस देश की कल्पना करना मुश्किल हो जायेगा। हमारी सरकार ने पहले जो लोग शहीद होते थे उनको केवल 25 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है। यह कोई वोट का कारण नहीं था यह केवल देश की सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान देने की बात थी। राशन वितरण की बात कही गयी। राशन का विरण महीने में दो-दो बार किया गया। कभी-कभी कुछ परिवार के लोग उस राशन को बेच भी लेते थे, चूंकि गरीबी थी, अज्ञानता थी उसका दुरुपयोग न करें इसलिए महीने में दो बार वितरण किया गया। मान्यवर, केवल दो बार राशन का वितरण

ही नहीं किया बल्कि किचेन में जाकर देखा भी। ए0सी0 कमरों में बैठे हुए लोग यह कहते हैं कि आपने केवल चावल दे दिया या दाल दे दिया। नमक, तेल की चिंता करना, रोटी के लिए दाल की चिंता करना, जब तक किचेन में लोग नहीं झांकेंगे तब तक नहीं जान सकते, ऐसा हमारे योगी सरकार ने कहा। पोल्यूशन की बात करते हैं, आपने देखा कोरोनाकाल में आक्सीजन की क्या स्थिति थी ? महामारी फैल गयी, हमारा वातावरण पोल्यूशन से ग्रसित है इसके लिए हमारे यहां निरन्तर पौधे लगाये जा रहे हैं, करीब 01 करोड़ पौधे पिछली सरकार के कार्यकाल में लगाये गये। इस साल की योजना देख रहा था करीब 25 लाख पौधे इस साल लगाये जायेंगे, ऐसी योजना है। अगर स्कूल की बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, आप देखते थे कि पहले उन स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाना पसन्द नहीं करते थे। आज कायाकल्प करके माडर्न स्कूल बना दिये गये हैं। बहुत सारे बच्चे जो दूसरी भाषा में पढ़ना चाहते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिये हैं जहां पर बच्चे अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिये हैं और स्कूलों के कायाकल्प से हमारे प्राइमरी स्कूल अब मांटेसरी व कान्वेन्ट स्कूल की तरह दिखाई देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री शिवपाल सिंह यादव।

(श्री शिवपाल सिंह यादव के खड़े होने पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण के माध्यम से विस्तार से विधान मण्डल के दोनों सदनों में प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं को विस्तारपूर्वक रखा। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने सबका साथ नहीं लिया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का साथ लिया होता, जनता के

साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और खासकर इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 403 सदस्यों का, 403 ही नहीं, विधान मण्डल के जितने भी सदस्य हैं और उनके साथ-साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एम0पी0 हैं, एम0एल0ए0 हैं, राज्य सभा के सदस्य हैं, अगर सबका सहयोग लिया होता तो उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी का अच्छे से मुकाबला किया जा सकता था। वैसे तो पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना जैसी बीमारी आयी थी, अगर सबका सहयोग लिया गया होता तो उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा हो सकता था। वैसे तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी संत हृदय हैं, संत के साथ-साथ योगी भी हैं और योग का मतलब है सबको जोड़ना, अगर उन्होंने सबको जोड़ लिया होता तो कोरोना का मुकाबला और अच्छे से किया जा सकता था। वैसे मैं मुख्य मंत्री जी की कई बार तारीफ भी कर चुका हूँ। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ईमानदार हैं, मेहनती हैं। और मेहनत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहीं पर यह कहना चाहता हूँ कि वे अकेले उत्तर प्रदेश को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। साथ लेना चाहिए था। साथ तभी हो सकता है जब वह सबका साथ लेना चाहें तभी तो साथ हो सकता है। मैं इन साथियों से इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष हमारा साथ ले लेता तो आप लोग यहां विपक्ष में बैठते और यह लोग वहां सत्ता पक्ष में बैठते।

मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ क्योंकि यह सही है कि मैंने समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी दो साल पहले घोषित भी किये थे। अगर यह हमारे 100 प्रत्याशी को टिकट दे देते तो यह वहां पर बैठते, लेकिन टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से यह यहां पर बैठे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, मेरा विश्वास है कि सरकार ने वादे अनुसार और राज्यपाल महोदया ने भी आग्रह किया है कि यह इमारत जरूरत के हिसाब से बने और इस इमारत में आम आदमी, गरीब आदमी और अन्नदाताओं को रहने के लिए गुंजाइश हो। महामहिम ने अपने भाषण में राज्य सरकार के पिछले वर्षों को सुशासन काल कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले पांच वर्ष में प्रदेश विकास की नींव डालने का काम किया है। अब अगले पांच वर्षों में इस नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी। यह राज्यपाल महोदया ने कहा है। मेरा यह आग्रह है कि यह इमारत सूबे की जरूरत के हिसाब से बने। इमारत बनाइये और सूबे के अनुसार बने एवं सूबे के अनुसार आम आदमी, गरीब आदमी, अन्नदाताओं को रहने के लिए भी गुंजाइश हो। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जब ऐसी इमारत बने तब तो ठीक है वरना आपके यह सभी वादे जितने भी वादे किये गये हैं वह सभी वादे ढकोसले निकलेंगे। वैसे तो

बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातों को राज्यपाल महोदया को जोड़ना चाहिए था। जो आपकी एक योजना थी राशन बांट रहे अच्छा काम है बी0पी0एल0 के सभी परिवारों को इस महत्वपूर्ण काम से जोड़ना चाहिए। एक कहावत है कि दो चिड़ियां थीं। दो चिड़ियों ने सोचा कि हम लोग मिल करके एक घोसला बना लें और घोसले में रहने के बाद उन्होंने आपस में विचार किया कि हम तो चुन-चुन करके अपना गुजारा कर लेंगे। कुछ दिन गुजारा करने के बाद एक चिड़िया उसमें से बीमार पड़ गयी। तो दूसरी चिड़िया ने कहा कि अब तुम आराम करो हम तुम्हारे लिए भी चुन-चुन करके व्यवस्था करेंगे। उस चिड़िया के लिए चार-पांच दिन तक वह चुन करके खाना लाती रही, खिलाती रही। लेकिन चार दिन के बाद दूसरी चिड़िया भी बीमार पड़ गयी। बाद में पहली चिड़िया जब चुनने-बुनने के लिए निकली तब वह इतनी आलसी हो गयी थी कि उससे उड़ा नहीं गया। ऐसा मत करियेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी बी0पी0एल0 के लोग हैं उनको राशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी न हो कि इतना-इतना राशन दे दो कि वह इतने आलसी हो जायें कि कमा के भी न खा पायें, इतने आलसी हो जायें। ऐसा भी मत करो कि वह काम ही छोड़ दें। कम से कम अपना पुरुषार्थ तो ठीक से रखें। ऐसा भी मत करियेगा कि वह आलसी हो जायें। हम चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं, काम नहीं कर सकते हैं, अस्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, उनको खिलाइये, लेकिन जो जवान हैं, स्वस्थ हैं, कम से कम उनको इतना आलसी भी मत बनाना। इस तरह से जब सभी निकम्मे हो जायेंगे, आलसी हो जायेंगे तो फिर आपकी यह इमारत अधूरी रह जायेगी। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से कहेंगे कि यह जो नौकरशाही है, यह नौकरशाही तो अच्छे-अच्छे आंकड़े ले आई और आपको पूरा का पूरा आंकड़ों में फंसा देगी, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि यहां इस मण्डप में बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी होगी ? जब कोई विकास नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा तो किसानों की समस्याएं और गरीबों की समस्याएं होंगी वह किसके हाथ में होंगी ? वह आपके हाथ में ही होंगी, लेकिन अधिकारी तो आंकड़ों में ही फंसा देंगे और आंकड़ों में ऐसा फंसायेंगे कि बता देंगे कि पांच साल में मैंने हिन्दुस्तान को स्वर्ग बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्वर्ग ही बनाया होता तो जाने कितनी सरकारें रहीं, कैसे-कैसे आंकड़ों में फंसा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही होती है, विधायकों की जवाबदेही होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि कम से कम जनप्रतिनिधियों को तो मजबूत करें। सही आंकड़े प्रस्तुत करें और सही से उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग करें।

मा0 अधिष्ठाता जी, आज जनप्रतिनिधियों की थानों में हालत क्या है ? क्या उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को थानों में सम्मान मिलता है ? क्या तहसीलों में सुनवाई हो रही है ? मैं यह इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने ऐसी व्यवस्था की थी कि किसानों को कहीं पर भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, लेकिन आज आपने देखा होगा कि जरा सा लेखपाल और अगर नायब तहसीलदार और तहसीलदार इनकी शिकायत एस0डी0एम0 से करे तो एस0डी0एम0 नहीं सुनता है और लेखपाल क्या करता है इधर की

जंजीर उधर और अगर उसे कहीं से पैसे मिल गये तो जिसके यहां से पैसे नहीं आये हैं तो जंजीर उसके खेत में डाल देगा। इसी तरीके से थानों में भी हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, बाकी चर्चा आप बजट पर भी कर लीजियेगा। अभी बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। आप जैसा चाहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैंने कहा था कि गवर्नर साहब ने बहुत सी बातें छोड़ दीं। उन्होंने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, मैंने आग्रह किया था कि बजट पर भी बोल लीजियेगा। मैंने यह कहा था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मेहनती भी हैं और वह ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

वह जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की बातें, विधायकों की बातें, मंत्री तो अपना काम करा लेंगे और अधिकारी उनकी सुन भी लेंगे, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के ऐसे हाल हैं कि वह विधायकों के भी फोन नहीं उठाते हैं, यदि किसी काम को लेकर किसी विधायक ने किसी अधिकारी से सिफारिश कर दी तो उससे रिश्वत ले ली जाती है। इसलिए मा0 अधिष्ठाता महोदय इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और मैं आपके माध्यम से ये बातें मा0 मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

लोक दल के एक मा0 सदस्य ने अनुरोध किया है कि उन्हें अभी बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ और बृज क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा विधान सभा क्षेत्र हाथरस जिले में मथुरा से कटकर निकल गया है, अब मेरा जिला हाथरस है। जब मैं चुनकर आया था तो गांव के बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि बहुत बड़े न्याय के मंदिर में तुम जा रहे हो वहां पर बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है, वहां पर बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं, बहुत बड़े-बड़े कानून बनते हैं। आपको वहां पर संयम से काम करना है, धर्म और न्याय के साथ काम करना है। लेकिन

दो-तीन दिन से जिस तरह मैंने यहां पर देखा है मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं छोटा था तो गांव में अपने दादा जी के साथ रामलीला देखने के लिए जाता था। रामलीला में चार-पांच ही पात्र होते थे और देखने को मिलता था कि जो रावण की भूमिका में होता था वही 15 मिनट बाद धोती पहन कर सीता जी की भूमिका में आ जाता था और जो हनुमान जी की भूमिका में होता था वही रावण की भूमिका में आ जाता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यहां पर मुझे उस तरीके का ही माहौल देखने को मिला है। जो लोग कल यहां बैठे थे वही लोग आज यहां बैठे हैं और जो लोग कल वहां तालियां बजाते थे वही लोग आज यहां से हूटिंग करते हैं। मैं इस न्याय के मंदिर में आया हूँ, पहली बार बोलने का अवसर मिला है इसलिए सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि कोई गलती हो जाये तो क्षमा करना। महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां जैसे निजी क्षेत्र में रोजगार, जीरो टालरेंस, कानून व्यवस्था एवं कानून-राज स्थापित करने की बात कही गयी है जबकि धरातल पर इसका विपरीत वातावरण देखने को मिल रहा है। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात कही मैं उसमें अपनी बात को जोड़ना चाहता हूँ मैं भी प्रतिनिधि हूं वह तो कह रहे थे कि अधिकारी, डी0एम0, एस0पी0, सी0ओ0 और एडीशनल एस0पी0 सही मायने में ईमानदारी की बात यह है कि विधायकों के फोन इन्स्पेक्टर भी नहीं उठाते हैं। मेरे सामने वाले साथी, भाई यह जरूर है कि मैं विपक्षी टीम से चुनकर आया हूँ और ये लोग कहने में शायद गुरेज करेंगे क्योंकि सत्ता में बैठे हैं। परन्तु इनका भी दुख वही है जो आपका दुख है। फर्क यह है कि आप बोल सकते हैं ये लोग बोल नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण में राज्यपाल महोदया ने एक करोड़ इकसठ लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर 403 विधान सभाएं हैं। एक विधान सभा में लगभग 40 हजार रोजगार निजी क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। हो सकता है मेरी विधान सभा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के कारखाने कम हों, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक विधान सभा क्षेत्र में 40 हजार रोजगार देने की बात की है अगर आप 5 सालों के अन्दर 4 हजार रोजगार भी दिखा देंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, कानून का राज, भय मुक्त वातावरण जैसी सरकार की बातें दिखावा मात्र हैं जो कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में किसी सरकारी कार्यालय में जाकर देखिये, अफसरशाही हावी है। थानों में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं और जो मुकदमे लिखे जाते हैं, वे झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं जिससे पुलिस की आमदनी हो सके। पुलिस उन्हीं में तत्परता दिखाती है। थानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतिक्रमण के नाम पर मनमानी की जा रही है। वाहन चेकिंग के नाम पर भोली-भाली जनता को लूटा जा रहा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सिंचाई के लिए किसानों को पानी मुहैया कराने में सरकार पूरी तरह से फेल है। मेरी विधान सभा क्षेत्र शादाबाद में निचली मांट ब्रांच गंगा नहर जिला मथुरा से निकलती है। हमारे चार-पांच जिले

मथुरा से कनेक्टेड हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र मांट ब्रांच से चार रजवाहे निकलते हैं। किसी भी रजवाहे में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। इस भीषण गर्मी में किसान सिंचाई से वंचित हैं। बाजरा, उरद, मूंग आदि फसलों को लेकर हताश व निराश हैं। किसानों की खुशहाली की बात एक मजाक बनकर रह जाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात राज्यपाल महोदया द्वारा कही गयी। प्रदेश में हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद आलू उत्पादन के क्षेत्र में नम्बर-1 है। जहां किसानों को लागत का दुगुना मूल्य तो क्या, वर्ष भर में लागत भी नहीं मिल पाती है, लागत के बराबर पैसा भी नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार आलू उत्पादन किसानों के लिए आलू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करे। इसके लिए आगरा समुचित स्थान है। आगरा के सराउण्डिंग 100 किमी0 एरिया में आलू की बड़ी पैदावार होती है। यह आलू का क्षेत्र है जिससे आलू उत्पादन करने वाले किसानों को राहत मिल सके तथा आलू पर आधारित उद्योग विकसित किये जायें। इसके बिना आलू उत्पादन करने वाले किसानों की आय दुगुनी होना सम्भव नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं बड़े दमदार बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। समूचे प्रदेश में गौशाला, आश्रम और गायों की दुर्दशा को देखकर सरकार की पोल खुलती है। महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं। ये भी मथुरा से आते हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ चूंकि मैं मथुरा से आता हूँ और मथुरा के बारे में यह धारणा है कि ये चटोरे होते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां की जो गाय हैं वह भी ज्यादा खाना व पीना जानती हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि सरकार किस तरीके से गाय के लिए 30 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है। पूरे प्रदेश के विधान सभा के सदस्य यहां बैठे हैं पर मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। मैं भी तारीफ करना चाहता हूँ और सुना है कि मुख्य मंत्री जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि 30 रुपये में कौन सी गाय पेट भरकर खाना खा लेगी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की विवेकशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा व विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है, यह अवसर किसी सरकार को 37 वर्ष के बाद प्राप्त हो पाया है और यह सिद्ध करता है कि सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की चार दर्जन योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम है अच्छा सुशासन पिछले पांच वर्षों में शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास उपलब्ध कराये गये हैं और स्वच्छ भारत के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय दिये गये हैं। निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये

और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 2.55 करोड़ किसानों को 42565 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये हैं। किसानों का कर्जा माफ किया गया है और 46 लाख किसानों को फसली ऋण प्रदान किया गया है। प्रत्येक ब्लाक में किसान कल्याण केन्द्र बनाये जा रहे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान भी सही समय पर हो रहा है और किसान को गन्ना पर्ची समय पर पहुंच रही है और गन्ना घटतौली भी समाप्त की गयी है। मेरे क्षेत्र में दो चीनी मिले हैं जिसमें बलरामपुर चीनी मिल और मनकापुर चीनी मिल दोनों में किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान हो चुका है। मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पिछले पांच साल में बहुत अच्छा काम किया है। मैं गोण्डा जनपद की गौरा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और जहां गोण्डा जनपद में वर्ष 2017 से पहले तीन-तीन मंत्री हुआ करते थे तब जिले में आने-जाने के लिए रास्तों की हालत बहुत खराब होती थी। योगी सरकार ने चारों तरफ रोड बनाकर गोण्डा जिले को लखनऊ से जोड़ने का काम पिछले पांच वर्ष में किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोण्डा जनपद जहां बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था वहां कोरोना काल में सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल देने का काम योगी सरकार ने किया है। मैं मा0 योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि गोण्डा जनपद में मेडिकल कालेज का निर्माण बहुत तेजी से निर्माणाधीन है और आक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है। सभी प्राथमिक केन्द्र भी अच्छी तरह से चल रहे हैं। योगी जी की सरकार में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। इन सभी कामों के लिए हम योगी जी को बधाई देते हैं।

पिछली सरकारों में जहां गरीबों को राशन नहीं मिलता था। अभी माननीय सदस्य गरीबों के राशन के बारे में चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि कोरोना काल के समय विदेशों में लोगों को तमाम जगह भूखों सोना पड़ा है, लेकिन हमारे देश और प्रदेश में एक महीने में लोगों को दो-दो बार राशन वितरित करने का बड़ा काम किया गया है। इसके लिए हम माननीय योगी जी को बधाई देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे गोण्डा जनपद में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। पूरे जनपद और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे क्षेत्र में इण्टर कालेज नहीं थे जिसके कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में एक बालिका इण्टर कालेज और एक बालक इण्टर कालेज स्थापित करने का काम हुआ है। हमारे यहां पर एक आई0टी0आई0 निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में तमाम काम बहुत तेज गति से हो रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपने विधान सभा क्षेत्र में कुछ विकास कार्य कराने की मांग करते हैं। हमारे क्षेत्र में अभी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसे स्थापित कराया जाय। हमारे यहां पर जहां श्री स्वामी नारायण छपिया मन्दिर स्थित है हम वहां पर एक ओवरब्रिज बनाने की मांग करते हैं जिससे अयोध्या जुड़ जायेगा। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के तमाम तीर्थ यात्री वहां पर आते हैं। वहां पर अन्य जगहों से भी प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। हमारे यहां जाम की समस्या बनी रहती है। हम अपने क्षेत्र में एक टू-लेन सड़क का चौड़ीकरण कराने की

मांग करते हैं जो खोडारे से कूकनगर ग्रन्ट होते हुए जनपद बस्ती को जोड़ती है। हमारा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 70 कि0मी0 की दूरी पर है इसलिए यह बन जाने से हम लोग जिला मुख्यालय से नजदीक हो जायेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल जी जब सरकार द्वारा दिया गया असत्य पोथन्ना बांच रही थीं तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे। यदि लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध किया जाय तो हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को हजम नहीं होता है। यह लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन बगल में भाई शाहिद मंजूर जी, ओम प्रकाश जी बैठे हैं। सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे विधायक और मंत्री इस समय बैठे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको 16वीं विधान सभा की बात याद दिलाता हूँ। उस समय आप भी यहीं विपक्ष में बैठते थे जहां आज हम लोग बैठे हैं। अगर आज इस लोकतंत्र के मण्डप को किसी ने कलंकित करने का काम किया है और किसी ने चीर हरण करने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है। उस समय माननीय अध्यक्ष पीठ पर विधान सभा अध्यक्ष महोदय को आने के लिए बगल की गैलरी का प्रयोग करना पड़ा था। विधान सभा अध्यक्ष महोदय को गैलरी से मण्डप पर जाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मजबूर किया है। यह हमको लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की व्यवस्था सिखाने की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने विपक्ष में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अब विरोध किया है तो इनको बहुत तकलीफ हुई है। मेरा इनसे कहना है कि कम से कम पहले इतिहास को पढ़ो। मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि पहले आईना देखने का काम करिये, फिर विपक्ष को आईना दिखाने का काम करिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सम्बन्ध में कहा है कि छह सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और इससे 12000 लोगों को लाभ पहुंचाया जायेगा। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से जानना चाहता हूँ कि यह योजना किसने लागू की थी और कब लागू की थी। इस योजना को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इसको एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया था। महंगाई तब से तीन गुना बढ़ गयी है, लेकिन इस सरकार ने एक रुपये की भी राशि बढ़ाने का काम नहीं किया है, बल्कि व्यवस्थाओं को काटने का काम किया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस योजना

को लागू किया था तो उस समय अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती थी, यदि किसी के घर लूट होने के समय मर्डर हो जाता था तो उसको भी इसमें अनुदान दिया जाता था। अमेठी जनपद में 38 ऐसे लोग हैं जिनके घर में डकैती पड़ी, लूट हुई, रास्ते में छिनैती हुई, रास्ते में अपराधियों ने गोली मार दी, लेकिन ऐसे मामलों में यह राशि नहीं मिली है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

रास्ते में छिनैती हुई, अपराधियों ने उनको गोली मार दिया और उनको पांच लाख रुपये अभी तक नहीं मिला है। ऐसे 38 लोग हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ग्रामीण आवास योजना की बात कर रहे हैं। साढ़े 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से छत देने का काम किया। इसी विधान सभा में मैंने प्रश्न लगाया था और उस पर तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री का जवाब आया था। एक ग्राम पंचायत का मैंने पूछा था कि इस पर जांच करवा लिया जाये कि कितने पात्र व्यक्ति छूट गये हैं तो इसी सदन में मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी का जवाब आया था कि ऐसे 81 लोग पाये गये हैं जो आवास से वंचित रह गये हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन से लेकर मंच पर यह घोषणा किया था कि 2022 तक हम सबको छत दे देंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार में प्लान प्लस योजना में फीडिंग तक बन्द हो गयी है और किसी त्रुटि से उनका नाम छूट गया है या किसी गलती से उनका नाम छूट गया है उस साइट को यह भारत सरकार से नहीं खुलवा पाये हैं। लाखों गरीब ऐसे हैं जो आवास से वंचित हो गये हैं और पचीसों गांव की जांच करायी गयी है और उनमें सैंकड़ों की संख्या में पात्र व्यक्ति पाये गये हैं। मनरेगा की मजदूरी की बात करते हैं। मनरेगा मजदूर के माध्यम से हम गरीबों को रोजगार दे रहे हैं। आज ईंट-गारा का काम करने के लिए खेत में मजदूरी भी गांव में 300 रुपये से कम में नहीं मिल रही है। अभी तक 202 रुपये और अभी बढ़ाकर 213 रुपये किया गया है। मैं सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों और मा0 मंत्रीगण से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके गांव में 213 रुपये में मजदूर मिल पा रहे हैं। आप मजदूर को भी मजदूरी नहीं देना चाहते हैं। महंगाई चरम पर होती जा रही है और मजदूर की मजदूरी में भी कटौती करने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा हूँ। उज्ज्वला योजना की बात हो रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप लोगों ने हर गरीब की आंख के आंसू को पोंछ दिया। उनकी आंखें अब खराब नहीं होंगी। लेकिन मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उज्ज्वला गैस योजना में जब आपने 2000 रुपये का सिलेण्डर फ्री में दिया तो 400 रुपये की जो गैस की रिफिलिंग होती थी, उसका एक हजार रुपये लेने का काम किया। आप साल में 6000 रुपये गरीब की जेब से निकाल ले रहे हैं। दो हजार रुपये आप दे रहे हैं। पांच साल में आप गरीब की जेब से तीस हजार रुपये निकाल लिये हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से आप एक करोड़ 41 लाख बिजली के कनेक्शन देने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 तक जब एक गरीब का बिल जब उसका एक किलोवाट का कनेक्शन तब कितना आता था, 220 रुपये दो महीने का

बिल आता था। आज प्रत्येक महीना मिनिमम बिल एक हजार रुपये गरीब से गरीब का आता है। हर साल आप गरीब की जेब से दस हजार रुपये निकालने का काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। महापुरुषों के नाम पर, भगवान के नाम पर व्यापार करने वाले यह लोग रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की आपने व्यवस्था की है। आपने हर बजट में संख्या बतायी है, लेकिन इसमें आपने संख्या नहीं बतायी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष में आपने कितने लोगों को अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसका मतलब कि आप महापुरुषों के नाम पर व्यापार करना चाहते हैं, भगवान के नाम पर व्यापार करना चाहते हैं। हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं। हम उनकी पूजा करने का काम करते हैं। आपने हमें महामहिम राज्यपाल के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री योगेश शुक्ला-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझ एक नये सदस्य को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। महोदय, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में चल रही है जो राज्य के हर नागरिक को न्याय दे रही है और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर रही है। ''परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्'' के सिद्धांत से यह सरकार काम कर रही है। चुनौतियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना हमारे मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की आदत है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब वह पांच साल पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे तो उस समय प्रदेश में दंगों का राज था, अपराधियों का शासन था, भय का शासन था, भूख का शासन था, लेकिन पिछले पांच सालों के अन्दर हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, भय मुक्त कर दिया और भूख मुक्त कर दिया। हम इसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरे देश में एक मॉडल के रूप में देखी जाती है। देश के किसी भी हिस्से में जब कहीं कोई दंगा होता है, कहीं पर अपराधों की बाढ़ आती है तो वहां की सरकारें, वह चाहे गैर भाजपाई सरकारें हों, चाहे भाजपाई सरकार हो, इस बात की चर्चा करती है कि दंगा उसी तरीके से दूर हो सकता है जब योगी मॉडल को लागू किया जाय। सदन के अंदर कल मेरा पहला मौका था और कल मैं नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था, लेकिन संचार माध्यमों के माध्यम से मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार पूर्व मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनता रहा हूँ। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि प्रदेश के

अंदर जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही हाथ है, समाजवादी पार्टी के चलते ही डेवलपमेंट हुआ है। पूर्व मुख्य मंत्री जी का जितना भी डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि उनका डेवलपमेंट आगरा एक्सप्रेस-वे से शुरू होता है और इकाना स्टेडियम पर आकर खत्म हो जाता है। वह जब भी भाषण देते हैं तो उसमें इकाना स्टेडियम, जनेश्वर मिश्र पार्क, मेट्रो एवं आगरा एक्सप्रेस-वे का ही जिक्र करते हैं। जबकि योगी सरकार ने बलिया से लेकर सहारनपुर तक, गोरखपुर से लेकर ललितपुर तक ऐसा कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई शहर नहीं, जहां पर विकास कार्य न कराये हों और विकास कार्य यूं ही नहीं हुए, उत्तर प्रदेश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो मा0 योगी जी की योजनाओं से लाभान्वित न हुआ हो। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह आवास की योजना हो, चाहे वह बिजली की योजना हो, चाहे वह खाद्यान्न की योजना हो। किसी न किसी योजना का लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिलता रहा है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एक-एक परिवार को लाभान्वित किया है। शायद यह समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए विकास कार्य नहीं है। हर परिवार को बिजली दी गयी। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष के नेता जी को यह विकास कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रदेश में एक वैश्विक बीमारी कोरोना के रूप में आई और लोगों को राहत देने के लिए सरकार के द्वारा 20 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। शायद यह समाजवादी पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। इनके शासन में आजादी के बाद से अब तक एक किलो अनाज भी किसी को मुफ्त नहीं दिया गया है और अगर किसी को मुफ्त अनाज दिया हो तो बता दें। इन लोगों के समय में जो भी अनाज सड़ जाता था उस सड़े हुए अनाज को व्यवसायियों, शराब माफियाओं को बेचा जाता था। इन लोगों ने कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं किया है। यह भेदभाव की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होना चाहिए, मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब यह अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं तो पिछड़ों की बात क्यों भूल जाते हैं। अनुसूचित वर्ग का हक मुसलमानों को देने की बात क्यों करते हैं। जब वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी छात्रवृत्ति या वजीफा होगा वह केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलेगा।

महोदय, मेरी बात असत्य नहीं है। ये लोग आदिवासियों को भूल गये हैं। अनुसूचित वर्ग को भूल गये, पिछड़ों को भूल गये और कब्रिस्तान की बाउण्ड्री बनवाने में पूरा पैसा खर्च कर दिया, अगर वही पैसा पिछड़ों एवं अनुसूचित वर्ग के आवासों में लगवा देते तो समाज का भला होता।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करिये एवं माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश पासी जी आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय योगी जी की सरकार में गरीबों को पिछले पांच वर्ष में साढ़े बयालीस लाख आवास मिले, जोकि गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास उसका अपना आवास हो। पांच वर्षों में 2.61 करोड़ इज्जत घर गरीबों को मिले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ 67 लाख गैस कनेक्शन मिले, जो गरीब माताएं-बहनें लकड़ी-कण्डे पर खाना बनाती थीं, आज उनको बहुत राहत मिल रही है। सौभाग्य योजना के माध्यम से 04 करोड़ 41 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को बयालीस हजार पांच सौ पैंसठ करोड़ रुपये की धनराशि हस्तान्तरित हुई तथा 86 लाख किसानों का कर्ज बयालीस हजार पांच सौ पैंसठ करोड़ रुपये कर्जमाफी के रूप में दिया गया। ये बहुत बड़ी धनराशि है और किसान को जब खाद-बीज की आवश्यकता होती है तो समय-समय पर दो हजार रुपये उसके खाते में आ जाते हैं और 20 कृषि विज्ञान केन्द्र भी मिले जिसमें हमारी जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र को भी एक कृषि विज्ञान केन्द्र मिला। कानून-व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो अपराध मुक्त, भय मुक्त, अन्याय मुक्त कानून व्यवस्था है जिससे आज प्रदेश का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी कल जिस तरह माननीय उप मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि विपक्ष की तरफ से किस तरह से हूटिंग हो रही थी और किस तरह से उनके भाषण को बीच-बीच में रोकने का काम किया गया। यह बहुत ही दुःखद बात है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया। एक्सप्रेस-वे की बात करूं तो वर्ष 2017 के पहले एक भी एक्सप्रेस-वे नहीं था। आज लखनऊ से काशी एक्सप्रेस-वे जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जो लखनऊ से गाजीपुर जाता है और अयोध्या से जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र तक फोर लेन का निर्माण हो रहा है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का विकास भी तेजी से हो रहा है। ये लोग जो राम मंदिर की बात करते थे, आज भव्य राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हवाई अड्डे का भी निर्माण हो रहा है। काशी का भी सौन्दर्यीकरण हुआ और अब तो काशी से ज्ञानवापी से नंदी का संदेश भी आया है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। अगर विद्युत व्यवस्था की बात करें तो ये लोग कल जिस तरह से डिप्टी सी0एम0 के भाषण के बीच में बोल रहे थे तो मैं कहना चाहता हूँ कि-

अगर ये लोग नदी के किनारे बस जाते,
तो लोग एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते।
ये तो कहो ऊपर वाले के आगे इनकी चलती नहीं,
नहीं तो बादल इन्हीं के खेत में बरस जाते।

जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली, तहसील को साढ़े इक्कीस घंटे बिजली और गांवों को 18 घंटे बिजली मिल रही है। वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को भी बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से आज हर एक गरीब कन्या का विवाह धूमधाम के साथ हो रहा है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो मन में हौसला नहीं होता, लेकिन अब गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी सभी गरीब कन्याओं का विवाह कराने की जिम्मेदारी लिये हैं। कोविड काल में जब पूरे विश्व पर संकट था तो हिन्दुस्तान ही पहला ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी की अगुवाई में गरीब को फ्री में राशन मिल रहा था। एंटी भू-माफिया की जब हम बात करें, तो वो इन्हीं के गुण्डे-माफिया रहा करते थे, जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया करते थे। आज उनको आसानी से न्याय मिल रहा है। उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं हो रहा है, तब इन लोगों को परेशानी हो रही है। गंगा भी हम निर्मल कर रहे हैं और प्रदेश में जो गुण्डाराज था, माफियाराज था, वह भी स्वच्छ हो रहा है। रक्षाबन्धन पर महिलाओं को फ्री में आने-जाने की सुविधा दी गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि हमारी 184, जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र जो 03 तहसीलों की विधान सभा क्षेत्र है। लेकिन विधान सभा क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र के अंदर तहसील बनाने का काम हो। हमारी विधान सभा जो 02 जिलों की विधान सभा क्षेत्र है, उसमें सुल्तानपुर भी लगता है, अमेठी भी लगता है, लेकिन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तहसील नहीं है, जब वहां पर तहसील हो जायेगी, तभी हमारी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, धन्यवाद।

श्री स्वामी ओउमवेश-

"ऊँ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं नो इन्द्रो ब्रह्मा बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरूरूक्रमः। नमो ब्रह्ममणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु माम। अवतु वक्तारम्।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी माननीय सदस्यों को, जो यहां पर जीत करके आये हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूँ और अपने चांदपुर क्षेत्र की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे विधायक बना करके यहां पर भेजा है। टिकट मांगने में भी संघर्ष करना पड़ा और जीतने में भी संघर्ष करना पड़ा, 15 हजार से जीत रहा था, 300 में जिता करके भेजा और यहां पर भी बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं बैठा-बैठा सोच रहा था, अगर अब मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा तो मैं सदन में कभी आऊंगा ही नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। राज्यपाल महोदया ने जो यहां पर दस्तावेज पढ़ा, उसमें स्लोगन पढ़ने, देखने और सुनने को

मिला- "सबका साथ, सबका विकास", चुनाव में भी यह स्लोगन बहुत जोर से चलाया गया, लेकिन जब यह स्लोगन चला नहीं तो उसके बाद 80 और 20 प्रतिशत की बात शुरू कर दी। मतलब देश को बांटने की बात शुरू कर दी, प्रदेश को बांटने की बात शुरू कर दी, 80 हिन्दू और 20 मुसलमान। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह देश केवल हिन्दुओं का नहीं है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका देश है और इस देश को आजाद कराने में सभी जातियों के वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। जब इतिहास के पन्नों को उलट-पलट करके देखेंगे तो उसके हर पन्ने के ऊपर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके खून के छींटे पड़े हुए दिखाई देंगे। ...

(इसी मध्य 4 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

मान्यवर, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भारत माता सिसक-सिसक कर कह रही थी और रो रही थीं, फूट-फूट करके कि मेरे पैरों पर पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए है कोई माई का लाल। उस भारत माता की करुणाजनक आवाज को मेरे देश के क्रांतिकारियों ने और मेरे देश के बलिदानियों ने सुना और उनकी करुणाजनक आवाज को सुन करके उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसी ने सिर पर लाठियों का वार सहकर के, किसी ने बंदूकों की गोलियां खा करके और किसी ने फांसी के फंदों को चूम करके भारत माता के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं बल्कि उसको तोड़ा भी। यह देश सबका देश है। मुझे याद आता है कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां एक हिन्दू था और एक मुसलमान था, एक भगवान की घंटों तक आराधना करता था और एक पांच टाइम की नमाज पढ़ता था। एक साथ यह लोग रहते थे और एक साथ खाते थे और जब वह खाना खाते थे एक थाली में तो रामप्रसाद बिस्मिल अपने हिस्से का खाना अशफाक उल्ला की तरफ कर देते थे। अशफाक उल्ला गुस्से में आता था कि बिस्मिल, यह क्या कर रहे हो, अपना खाना मुझे क्यों दे रहे हो तो वह कहता था कि तुम मेहनत ज्यादा करते हो भारत माता के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ने के लिए इसलिए आपको खाने की ज्यादा जरूरत है। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने फांसी के फंदों को चूमने से पहले देश के नौजवानों को एक संदेश दिया कि ऐ मेरे देश के नौजवानों आप हमारे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम थोड़ी देर में ही शहीद हो जायेंगे और फांसी के फंदों को चूम लेंगे। जब-जब आप हमारे लिए श्रद्धांजलि अर्पित करोगे तो उस समय एक बात हमारी तरफ से कह देना कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई-भाई। अगर नारा आपने यह दे दिया तो हम समझेंगे कि आज भी मरने और शहीद होने के बाद भी हमारे से बहुत प्यार करते हैं। नौजवान ही देश की ताकत होती है अगर नौजवान कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है और बुद्धिहीन हो जाता है तो देश और प्रदेश दोनों ही टूट जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नौजवानों को बेरोजगारी की भट्ठी से निकाल करके रोजगार की तरफ बढ़ाना चाहिए। नहीं तो

कितने भी बुलडोजर चला लीजिए मा0 मुख्य मंत्री महोदय, कितने भी अपराधी जेलों में ठूंस दीजिये अपराधों की संख्या कम नहीं होगी। वह बढ़ती ही चली जायेगी। जब तक कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा।

महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, मैं अपने टाइम के अन्दर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे क्षेत्र में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है, मेरे क्षेत्र में सौ बेड का हास्पिटल भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा रिश्वतखोरी चल रही है। एक मामूली सा पटवारी वह रिश्वतखोरी करके अपने घरों को भर रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। चांदपुर से फीनातट तक की सड़क बहुत खराब है, उसमें गड्ढे हो गये हैं, सड़क पर चला नहीं जाता और बारिश के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है उसका निवारण होना चाहिए। चांदपुर से फैलानिया मार्ग फोर लेन होनी चाहिए। बिजनौर-बदायूं मार्ग फोर लेन का होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं केवल एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अरे खून तुमने भी दिया, खून हमने भी दिया। बड़ी मुश्किल से हमने इसको संवारा है, आओ हम सब यह मिलकर नारा लगायें कि यह मुल्क तुम्हें भी प्यारा है, और यह मुल्क हमें भी प्यारा है।

तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे।
मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे,
लेकिन तुम ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह,
दरिया बन करके बहुत दूर निकल सकते थे।

इन्हीं शब्दों के साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ऋषि त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं लोकतंत्र के इस मंदिर को इस सदन को आदरपूर्वक और पूरी निष्ठा से नमन करता हूँ। साथ में मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का, अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। सदन के इस सत्र के पहले दिन बहुत सारे नव निर्वाचित मा0 सदस्य इस सदन में आये और हमें यह उम्मीद थी कि वे महामहिम के अभिभाषण को सुनकर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और सरकार की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे, पर विपक्ष के विरोध ने ऐसा नहीं होने दिया। सदन में पहले भी विरोध-प्रदर्शन होते थे, पर विपक्ष का जो आचरण 23 तारीख को देखने को मिला, हम सभी उससे आहत हैं। राज्यपाल एक व्यक्ति ही नहीं, अपितु राज्यपाल एक संस्था होता है, एक संवैधानिक संस्था होता है और उनके खिलाफ विपक्ष का यह आचरण निन्दनीय है। राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की एक रूपरेखा हम सबके सामने रखी है। राज्यपाल महोदया ने हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की

आकांक्षाओं की पूर्ति की अभिव्यक्ति है। यह उत्तर प्रदेश के विकास का प्रमाण है और सबसे ऊपर यह एक मजबूत और जनकल्याण को समर्पित नेतृत्व का परिचायक है। इसलिए मैं सबसे पहले उस नेतृत्व का यानी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनन्दन करता हूँ, उन्हें सादर नमन करता हूँ। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की गिनती देश के बीमारू राज्य के रूप में होती थी। भ्रष्टाचार, जर्जर कानून व्यवस्था, पिछड़ापन यह सब उत्तर प्रदेश की पहचान थी। वर्ष 2017 में मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की कमान संभाली और प्रदेश का कायाकल्प हो गया। सुशासन ने भ्रष्टाचार का खात्मा किया, मजबूत इरादों ने जर्जर कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया और समावेशी विकास ने पिछड़ेपन को मीलों पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2022 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन दर्शाया, वह हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व का ही नतीजा है। मैं इस सदन में पूर्वांचल के नौतनवां विधान सभा क्षेत्र से आया हूँ। यह एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है, जहां दशकों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। नौतनवां की तकदीर आज तक, वर्ष 2022 के चुनाव तक माफिया के हाथों में कैद थी। पर मुख्य मंत्री जी पर वहां के लोगों का विश्वास था और नौतनवां ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को चुना और उन्हें विधान सभा में भेजने का कार्य किया। पिछले दो महीने में नौतनवां के दशकों से रुके हुए विकास को गति देने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार का मार्गदर्शन और समर्थन मिल रहा है। वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ है। यह उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इतिहास रच दिया और दशकों बाद कोई पार्टी और मुख्य मंत्री जनता द्वारा दोबारा चुनकर आये हैं। आज हम सब भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उसे पूरा विश्वास है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नये भारत के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम सब लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत रहेंगे। हम इन उपलब्धियों से प्रेरित होंगे। हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है,

''हमारे इरादों के इम्तिहान अभी बाकी हैं,
अभी तो नापी है, बस मुट्ठी भर जमीन,
अभी तो सारा आसमान बाकी है।''

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कमाल अख्तर जी।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक जी से मेरा आग्रह है कि जो कार्य वह यहां पर बैठकर कर रहे हैं, वह लॉबी में कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम लोग सदस्यों का भाषण सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

बिलकुल, यहां सदन में एक व्यवस्था बना कर रखें।

श्री कमाल अख्तर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री लाल जी वर्मा और नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को डिजिटल करने के प्रयास किये जा रहे हैं और यह प्रयास अच्छे भी हैं। जिस तरह से यह इक्यूपमेंट लगाये गये हैं, यदि कोई ऐसा इक्यूपमेंट मिल जाये जो असत्य को पकड़ता हो, तो वह भी इस विधान सभा के अन्दर लगा दिया जाय। इसलिए लगाया जाय क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि वह इक्यूपमेंट लगा दिया गया तो हमारी सरकार 100 परसेंट उस इक्यूपमेंट से पकड़ी जाएगी, क्योंकि यह जो श्री राज्यपाल महोदया का विजन डाक्युमेंट है, यह 100 परसेंट असंसदीय का पिटारा है। इसके अन्दर इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। 403 विधान सभाएं हैं, यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 25-25 लाख नौजवानों को रोजगार मिल गया होगा।

(सदन में कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

2 हजार मिल गया होगा, 3 हजार मिल गया होगा, 4 हजार मिल गया होगा, आप डिवाइड कर लीजिये 403 को, तो करीब 35 हजार मिल गया होगा।

श्री अधिष्ठाता-

कमाल जी, आप एक बार और डिवीजन करिये।

श्री कमाल अख्तर-

अधिष्ठाता महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक क्षेत्र में इस 5 साल की पिछली सरकार के अन्दर किसी गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिला बल्कि रोजाना अखबार उठाइये तो मिलता है कि किसी नौजवान ने कहीं आत्महत्या कर ली, कहीं पर कोई नौजवान फांसी लगाकर मर गया, सिर्फ कारण क्या है कि सरकार के पास कोई रोजगार के साधन नहीं हैं। एक नया सेंटर ऑफ मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी ने आंकड़ा दिया है कि पहले वर्ष 2016

में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी और इन्होंने चमत्कार कर दिया और चमत्कार करके उस बेरोजगारी की दर को 2 प्रतिशत कर दिया। महान हैं आप! माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम लोगों ने हर जनपद के अन्दर मेडिकल कालेज बनाने का काम किया है और मेडिकल कालेज बनाने की स्कीम गवर्नमेंट लेकर आयी। इतने जनपद ऐसे हैं, जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं।

मैं मुरादाबाद मण्डल से आता हूँ। इतना बड़ा मुरादाबाद है, कोई एक मेडिकल कालेज नहीं है। सम्भल में मेडिकल कालेज नहीं। बिजनौर का नाम है, अभी बजट आया, उसके अन्दर भी सुविधा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना काल में सरकार जो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और कह रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को हिन्दुस्तान के अन्दर फ्री राशन देने का काम कर दिया। आप लोगों को मालूम नहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 02 रुपये किलो गेहूँ और 03 रुपये किलो चावल देने का काम अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, तबसे हम लोग दे रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था और आप याद करो लाखों-लाख की तादाद में मजदूर आ रहे थे, उनके पास न बसें थीं, न साधन थे, न खाने के लिए खाना था, हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने उनकी बहुत मदद की। अकेले समाजवादी पार्टी के लोग थे जो खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे, आक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे। आप कहीं पर नहीं थे। लॉकडाउन के समय इनके पास न देने के लिए राशन था, न बसें थीं, न रेलें थीं। अगर देने के लिए कुछ था तो लॉकडाउन के मुकदमे थे, जो आपने अपना मुंह साफ करने के लिए बाद में उन्हें वापस करने का काम कर दिया। अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं। अभी हमारे बीजेपी के लोग बहुत पीठ थपथपाते हैं कि गुण्डा, माफिया, चोरी, चकारी, छिनैती खत्म। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस माध्यम से जरूर आकर्षित कराऊंगा। हमारे सत्ता पक्ष के साथी बैठे हुए हैं, ये जरूर मेरी बात को स्वीकार करेंगे। वो बात अलग है कि सत्ता की बेड़ियों में बंधकर वह उसे स्वीकार न करें। आज पुलिस-प्रशासन के बाद अगर सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी विभाग ने मचाया हुआ है तो उस विभाग का नाम है, बिजली विभाग। वो इसलिए है कि अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि अपने लोगों से कहिये कि चोरी रोकें। भईया ठीक है अगर हम लोगों को चोरी रोकनी है तो आपको क्या मंत्री जी ने चोरी करने की खुली छूट दे रखी है। आप ही तो कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो आप लोग चेकिंग करो न, जो चोर है, चोर कोई भी हो, सत्ता वाला चोरी कर रहा हो या विपक्ष वाला चोरी कर रहा हो, हिन्दू चोरी कर रहा हो या मुसलमान चोरी कर रहा हो, सिख चोरी कर रहा हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों, सारे अधिकारियों की निष्ठा पर प्रश्न खड़ा करना सर्वथा अनुचित है और मैं इस सदन के मार्फत, आपके मार्फत मैं अपने साथी सदस्य का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दूसरी बात, जब आप प्लाट कब्जा करके मकान बनाओगे

तो स्वाभाविक है कि नियम से बिजली नहीं मिलती है तो आप इधर-उधर से बिजली लेते हो और जब बिजली इधर-उधर से ली जाती है और बिजली के कर्मचारी जब पहुंचते हैं तो आपको दिक्कत होती है।

(सदन में सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी। मेरा आग्रह है कि राज्यपाल अभिभाषण पर अपनी बात कहकर समय में समाप्त करें।

श्री कमाल अख्तर-

माननीय मंत्री जी मैं पूरे विभाग की निष्ठा पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा।

श्री अधिष्ठाता-

कमाल जी, मेरा आग्रह है कि आप मा0 मंत्री जी की तरफ मुखातिब होने की बजाय अपनी बात कहें।

श्री कमाल अख्तर-

अधिष्ठाता महोदय, मेरा इतना कहना है कि जिस तरीके से चेकिंग के नाम पर भय फैलाया जा रहा है, वह उचित नहीं है। मैं चोरी का कोई हमदर्द नहीं हूँ, चोरों का हमदर्द नहीं हूँ, कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जो चोर है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उन गरीबों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जहां तक सवाल है किसानों का, अभी मंत्री जी बैठे थे, बड़े गुस्सा हो रहे थे, मा0 मंत्री जी हमारे गन्ना मंत्री जी थे। जिस तरह रोजगार में ये लोग आंकड़े नहीं बताते, उसी तरह से ये यह तो बताते हैं कि हम लोगों ने भुगतान कर दिया।

यह नहीं बताते कि कितना बकाया रह गया, 700 करोड़ का भुगतान कर दिया, लेकिन 900 करोड़ का भुगतान बकाया है, वह नहीं बतायेंगे। मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी नहीं है, जिस पर गरीब किसानों का बकाया न हो, लेकिन इसके अन्दर कहा गया कि हमने भुगतान कर दिया। ऐसी ही किसान सम्मान निधि वाली बात है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहूँगा कि आज लोगों को अच्छे इलाज की जरूरत है और सरकार ने भी कहा कि वह इलाज कराना चाहती है। मेरा इतना बड़ा मण्डल है, मैं अनुरोध करूंगा कि मुरादाबाद के अन्दर, कांठ विधान सभा के अन्दर मेडिकल कालेज की स्थापना होनी चाहिए। सरकार खुद चाहती है कि लोगों को शिक्षित बनाये। एक बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे वहां पर है, लाखों-लाख रुपये की फीस है, वहां गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक राजकीय डिग्री कालेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जाये। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक पूरा खदरी का क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र के अन्दर रामगंगा बहती है। रामगंगा के ऊपर, चिरागी के ऊपर एक पान्टून पुल बनाया जाये और 33/11 केवी का बिजली घर बनाकर उस खदरी क्षेत्र के लिए बिजली की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, मेरा एक शेर रह

गया, एक शेर हुआ करता था- "राम, राम जपना, पराया माल अपना" अब कहानी उल्टी हो गई, "राम-राम जपना, दूसरे का काम अपना।" जैसे हमारे कामों को इनकी सरकार अपना बता रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने स्वामी ओउमवेश जी के उस भाषण से शुरू करना चाहता हूँ कि गांधी जी सामने हैं और गांधी जी ने कहा था कि हिन्दू-मुस्लिम हमारी दो आंखें हैं। जब गांधी जी ने इस बात को स्वयं अपनी जबान से कहा था तो इन चीजों को सिद्ध करना चाहिए, जो भारत का अगर सच्चा मुसलमान है तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि सारे लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदानी खून को देश के लिए, भारत मां की जंजीरों को तोड़ने के लिए, सभी लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लेकिन आज क्या कारण है कि यह भारतवर्ष, यह हिन्दू सनातन धर्म, किस कारण इस तरह की बातें हो रही हैं ? जब भारत में रहने वाला मुसलमान, रहता है भारत में और गाता है पाकिस्तान का, यह चीजें ठीक नहीं हैं, यह बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अभिभाषण पर अपनी बात कहिये।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठिये, कृपया शान्ति बनाये रखिये। महेन्द्र पाल जी, आप अपनी बात कहिये।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मनोज जी आपकी तरफ से कुछ कह रहे हैं। एक लोग बोलेंगे। ऐसे किसी की बात आयेगी नहीं। आपकी बात आ नहीं रही है। क्या आप चाहते हैं कि किसी की बात न आये तो इस तरह से शोर मचा सकते हैं। मनोज जी आप दल के सचेतक हैं, वह अपनी बात कह रहे हैं। मेरा आग्रह है, आप सभी लोगों की भावना को माननीय मनोज जी रख रहे हैं, उनको बात रखने दें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो चीजें अभी सदन में आईं। माननीय कमाल अख्तर साहब हमारे उप सचेतक हैं और वह बोल रहे थे। राज्यपाल अभिभाषण पर परम्परा यही रही है कि सदस्य अपनी बात रखता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर विपक्ष अपनी बात रख

रहा है तो सत्ता पक्ष उसको अपने भाषण में जवाब देता है, बीच में जवाब देने की परम्परायें कभी नहीं रही हैं, यह अध्यक्ष जी के निर्देश में भी रहा है, दूसरा यह कि अभी माननीय सदस्य जी बोल रहे थे तब उनके जवाब पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप सारे कर्मचारियों को नहीं कह सकते, उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह अधिकार कहां से है कि वह देश के रहने वाले हमारे राष्ट्रवादी मुसलमानों को यह कहें कि वह पाकिस्तानी हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर बोलने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

किसी के मन को ठेस न लगे। इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात को 30 सेकेण्ड सुन लीजिये। आपने दो चीजें कहीं। एक बात तो आपने यह कही है कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो दूसरे को इन्टरवीन नहीं करना चाहिए। इसके पहले कल भी देखा जब आप मेरी पूरी बात सुनिये, कल आपने देखा होगा और आज जब माननीय कमाल जी बोल रहे थे और जब माननीय मंत्री जी खड़े हुए तो कमाल जी बैठ गये थे, तब उन्होंने इन्टरवीन किया। अगर कमाल जी न बैठे होते तो शायद वह इन्टरवीन न करते। अगर सदस्य बैठ जाये तो इन्टरवीन किया जा सकता है, वर्मा जी भी इस बात को जानते हैं। उसके बाद जब वह खड़े हुए तो माननीय मंत्री जी बैठ गये, यह तो हुई एक बात।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इसमें बैठने-खड़े होने की बात कहां से आ गई।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

आपने अभी दो बातें कही हैं कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो दूसरे को उसमें इन्टरवीन नहीं करना चाहिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अगर सदस्य श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहा हो।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय सदस्य बैठ गये थे इसका मतलब उन्होंने अनुमति दे दी थी, माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं इस बात को छोड़िये। जो माननीय सदस्य ने कहा वह सबके लिए नहीं कहा उन्होंने कुछ लोगों के लिए कहा, आप उसको जनरल में लिये जा रहे हैं। कुछ लोग तो हैं ऐसे, आप उसमें सबको क्यों जोड़ रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।
देश विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

यासीन मलिक हिन्दुस्तान के रहने वाले थे उनको कल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं। यासीन मलिक पाकिस्तान परस्त है यह बात सब जानते हैं और कल उनको उम्र कैद की सजा मिली है, भारत के विरुद्ध कार्य करने के लिए सजा मिली है तो ऐसे कुछ लोग तो हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यासीन मलिक को सजा दी है।

श्री अधिष्ठाता-

इस तरीके से तो बात नहीं हो पायेगी, आप अपने स्थान पर चलें। माननीय मंत्री जी बैठ जायें, मैं बात को स्पष्ट कर देता हूँ।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

निश्चित तौर पर विपक्ष किसी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता है। वह कोई न कोई मामला लेकर हंगामा करना चाहता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने सबको नहीं कहा है, माननीय मंत्री जी ने बार-बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

यासीन मलिक जैसे देशद्रोही इस देश में हैं। निश्चित रूप से यासीन मलिक जैसे देशद्रोही यहां पर हैं। क्या यासीन मलिक देशद्रोही नहीं है। कोर्ट ने उसको सजा दी है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में बैठे रहे)

(इसी मध्य 4 बजकर 59 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठकर नारेबाजी करने लगे, देश विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आप कहिये, लेकिन अपने आसन से कहिये, पूरी बात बैठ करके बताइये। अगर आप

अपनी बात नहीं बताना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपकी रुचि नहीं है। आप अपनी बात बताइये, हम सही और गलत का फैसला करेंगे, आप अपनी बात बताइये तो सही।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

यहां से नहीं सुना जायेगा, आप पहले हाउस को व्यवस्थित कीजिये और अपनी बात बताइये। मैं आपकी पूरी बात को सुनूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसन पर चलिये, पूरी बात बताइये, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष-

अगर आपकी रुचि सदन चलाने में नहीं है तो मैं कार्य-सूची में आगे बढ़ने को तैयार हूँ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से अपने आसन पर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जिस माननीय सदस्य को बताना हो वह बताये, कोई भी एक मा0 सदस्य बताये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। सभी विपक्ष के साथी नौ-नौ बजे रात तक रुक कर शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बोला, किसी ने भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही और मा0 स्वामी जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने तो इस बात को कहा कि यह मुल्क सबका है और सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को बनाया है। उसके बाद मा0 सदस्य खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष-

कौन से माननीय सदस्य खड़े हुए ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय महेन्द्र सिंह जी। जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम शब्द का नाम लेकर मुसलमानों के बारे में कहा निश्चित रूप से वह कार्यवाही का अंग नहीं होना चाहिए और मेरा आपसे आग्रह है कि उसको कार्यवाही से निकलवा दें तथा साथ ही साथ वह खेद भी व्यक्त करें। हम सब लोग सदन को चलाना चाहते हैं और एक व्यक्ति आकर इस तरह की बात पैदा करके हमारी और सदन की निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। मान्यवर, जितना इस देश से आपको प्यार है उससे कई गुना ज्यादा हमें प्यार है और मान्यवर, हमारे लोगों ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी और आप जिनकी वकालत कर रहे हैं वह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं थे।

(समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष के सदस्यों के अपने स्थान से बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं, भाई साहब आप बैठ जायें जब आपको इजाजत मिले तब आप बोलिये, आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रकरण अभी संज्ञान में आया है निश्चित रूप से क्या कहा गया यह तो वही स्पष्ट कर पायेंगे जिन्होंने कहा है और अभी मेरी राज्य मंत्री जी से बात हो रही थी। राज्य मंत्री जी थे मैं भी गया था अपने कक्ष में उन्होंने यह बताया कि कुछ लोगों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की, तब मा0 अध्यक्ष जी भी पीठ पर नहीं थे। अब हम जरूर चाहेंगे कि वह यह स्पष्ट कर दें कि कुछ लोगों के लिए कहा। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध यह है कि जो भी आपत्तिजनक बात मा0 वर्मा जी ने कही है उसको कार्यवाही से निकलवा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने पर व्यवधान)

सभी लोगों के लिए यह विचार नहीं है। अभी स्वामी जी जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं उसी जनपद से आता हूँ और मैंने पूरी बात स्वामी जी की सुनी। इत्तेफाक से टी0वी0 खुला हुआ था और इन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की मित्रता की बात, भोजन की बात जो कही यह सही बात है। क्योंकि हमारी जानकारी व्यक्तिगत रूप से भी है कि मैं उसी क्षेत्र से बरसों से आता हूँ और यह अच्छी बात है कि सभी लोगों ने मिलकर हिन्दुस्तान को आजाद कराया, इस विचार से कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि सब लोगों के लिए हमारा या हमारी पार्टी का किसी का ऐसा विचार नहीं है कि सब लोगों के बारे में इस प्रकार की धारणा कोई रखे। आज भी नहीं है पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। अगर सबके लिए कहा तो बात दूसरी है और अकेले कुछ लोगों के लिए कहा तो बात दूसरी है।

(समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्य शब्द वापस लेने और उसे कार्यवाही से निकाले जाने की मांग करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप मेरा निवेदन सुन लीजिये मैं कार्यवाही दिखवा लेता हूँ अगर उन्होंने सबके लिए कहा तब उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि यह किसी भी हालत में किसी भी पक्ष में मैं क्योंकि यहां बैठा हूँ मेरे लिए पक्ष-विपक्ष सब बराबर हैं। किसी भी हालत में किसी भी वर्ग के

लिए यह बात उचित नहीं है और इस प्रकार की बात अगर सबके लिए की गई है तो मैं उसको दिखवा लूंगा। और उसके लिए उनको जिम्मेवार ठहराऊंगा। अगर यही बात कुछ लोगों के लिए कही है तो वह कार्यवाही का अंग बनेगी।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यहां राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा कम भाषण ज्यादा हो रहा है। मैं स्वामी ओउमवेश जी की बात पर ही इस बात को कह रहा था। अगर मेरी भावनाओं से विपक्ष आहत हुआ है तो अध्यक्ष जी, जैसा आपका निर्णय होगा वह मान्य होगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी विपक्ष की तरफ से आया कि हम तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं। अध्यक्ष जी, जब बात आयेगी तो मुझे कहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, इसमें इनको भी आपत्ति है। यहीं से आया कि हम राम को पूजते हैं।

(श्री अतुल प्रधान, श्री राकेश प्रताप सिंह व समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य ऐसी बात न करे जिससे उत्तेजना फैले। मैं विधान सभा में इस प्रकार के किसी भी भाषण की इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग बैठिये।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को चोट पहुंचे। मैं यह कह रहा हूँ कि आज अयोध्या में जो रामजी का मंदिर बन रहा है। इसको लोग कहते थे कि अयोध्या शापित है। कभी अयोध्या खुशहाल नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केन्द्र सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज अयोध्या में काम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या आपके सामने है, काशी विश्वनाथ आपके सामने है, गंगा मैया आपके सामने है। गंगा पवित्र हो रही है और काशी विश्वनाथ बाबा का कारीडोर बन रहा है। राम, लक्ष्मण और शंकर को हम पूजते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से यही सब भाषण हो रहा था। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी भी माननीय सदस्य को मेरी बात से आघात पहुंचे। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ बातें होती हैं जब उस पक्ष से (विपक्ष) बातें आयेंगी तो इस पक्ष से भी बातें उठेंगी। जहां तक विकास की बात है, ये लोग कहते हैं कि पूरे प्रदेश का इनके समय में विकास हुआ, पूर्वांचल तो विकास से कोसों दूर था। मैं पूर्वांचल की बात करता हूँ, पूर्वांचल से आता हूँ। कभी स्व0 वीर बहादुर सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने रामगढ़ ताल परियोजना का खाका खींचा था। सपा आयी, बसपा आयी लेकिन इन लोगों ने उस परियोजना को क्यों नहीं पूरा किया ? हर बात में यह काम हमने किया, हमने किया कहते हैं। मैं कहता हूँ कि फील्ड

सजी है, बॉल रखा हुआ है, लेकिन जो गोल मारेगा, वही विजेता होगा। आज योगी आदित्यनाथ जी गोल मार रहे हैं और बॉल जा करके ठीक तरह से गोल में गिर रही है तो दर्द हो रहा है ? यह दर्द किस बात का है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आज पूरे प्रदेश में समभाव के साथ विकास हो रहा है। अगर गोरखपुर जिले में 24 घंटे बिजली है, तो सैफई, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ व प्रदेश के हर जिले में है। ऐसा नहीं होता है कि किन्हीं चार जिलों में 24 घंटे बिजली हो और बाकी 71 जिलों को वंचित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात आ गयी, अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से शहर को 24 घंटे और गांवों को 18 घंटे तथा तहसीलों को 21 घंटे बिजली मिल रही है, यह अपने आप में एक मिसाल है। ऐसा मुख्य मंत्री जिसने विकास के एक नये कीर्तिमान को स्थापित किया है और चौबीसों घंटे अपने आपको तपाया है। यह किसी से छिपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात हो गयी। अब बैठ जाइये। अब आगे आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

आप लोगों को बहुत अवसर मिला लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना को आपने बाधित कर रखा था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। श्री राम मूर्ति वर्मा जी।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, श्री लाल जी वर्मा जी द्वारा रखे गये सुझावों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मैंने महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण को पढ़ा और जो लोग बोल रहे हैं, उसमें जमीन-आसमान का अन्तर है। तमाम मा0 सदस्य और ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जनपद अम्बेडकरनगर में गांव को 6 घंटे से एक मिनट भी अधिक बिजली नहीं मिलती है और इसके बारे में अगर जानकारी करनी हो तो आप

कर लीजिए। आपके अधिकारी ने जिला पंचायत की बैठक में खड़े होकर कहा है कि 6 घंटे ही ग्रामीण फीडरों को बिजली देने का आदेश है। इस तरीके की झूठी बातें इस सदन में हो रही हैं, जहां से 25 करोड़ की जनता का पूरा विश्वास है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारे दुख-दर्द को, हमारी परेशानियों को कम करने का काम करेंगे। पिछले 5 वर्ष में जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये का कोई भी नया कार्य नहीं हुआ है, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। भेदभावपूर्ण ढंग से प्रदेश में काम हो रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हुए हैं वहां पर कार्य हो रहे होंगे, हम लोगों ने अपने जनपद में कहीं पर भी विकास का कार्य नहीं देखा है। अबकी बार के चुनाव में लोगों को यह उम्मीद थी कि पिछली बार जो हमारे नेता सदन हैं वह नये थे, पहली बार नये मुख्य मंत्री बने थे तो लोगों ने सोचा कि अगर नयी सरकार बनी है तो इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन जब महामहिम राज्यपाल जी का उद्बोधन पढ़ा गया, जो सरकार के द्वारा लिखा हुआ उद्बोधन था, उसको पढ़ने के बाद इस प्रदेश का किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार सभी लोगों के मन में बहुत ही निराशा पैदा हुई। चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मैं नहीं समझता कि किसी ने भी गरीबों के आवास के लिए कोई भी स्कीम बनायी है। वर्ष 2011 की आर्थिक जनगणना के अनुसार जो सूची नेट पर विराजमान है, प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार ने 2024 तक इस देश में जितने भी लोग हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, सभी को आवास से आच्छादित करने के लिए कहा था, लेकिन सूची में गड़बड़ी होने की वजह से आधे लोग इस योजना से वंचित रह गये। अभी बजट में थोड़ा-बहुत आया है, लेकिन आधे लोग इससे छूट गये हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जोड़ना चाहिए। कोरोना काल की चर्चा हो रही है। इस सदन के अन्दर बड़ी-बड़ी डींगें मारी जा रही थीं।

(इसी मध्य 5 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आजादी की लड़ाई में तो हम लोग नहीं थे। लेकिन मैंने देखा है कि जितने लोग दो साल पहले इस देश में रातों-रात चाहे रेल मार्ग से, चाहे सड़क मार्ग से तमाम महिलाओं की रास्ते में डिलीवरी हो गई, तमाम लोग भूख से मर गये और सरकार की तरफ से कहीं कोई इन्तजाम नहीं था। किसी भी अस्पताल में कोई डॉक्टर कोरोना के मरीज को छूने के लिए तैयार नहीं था और यहां पर बैठकर यह बताया जा रहा है कि कोरोना का हमने इतना बड़ा इन्तजाम किया था। कोरोना से हजारों लोग हर जनपद में मारे गये, इलाज के अभाव में मारे गये और सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए आने वाले समय में कोई गम्भीर बीमारी पैदा हो इसके पहले सरकार को यह इन्तजाम करना चाहिए कि जो हमारे मेडिकल कालेज हैं, जो जिला अस्पताल हैं उसमें डाक्टर और दवाई का इन्तजाम होना चाहिए। जिससे उनका इलाज हो सके। किसानों की उपज का उनको सही मूल्य मिल सके। लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारी था उसकी दुकान खोलने का आदेश सरकार ने सात बजे से पांच बजे तक दिया था और जो किसान

सब्जी मण्डी से आता था उसको रात दस बजे से सुबह चार बजे तक सब्जी मण्डी में बेचने का आदेश था। किसान रात में 20 किलोमीटर से दौड़ कर अपनी सब्जी को, फसल को बेचने के लिए मार्केट में आयेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र टांडा है। टांडा नगर पालिका के अन्दर सड़कें दो वर्ष से टूटी हुई हैं।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जो हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया था उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई जो गांव और गरीबों के बारे में सोच रही थी। जिसने निराश्रित विधवा हो चाहे वह विकलांग लोग हों, जिनकी पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 करने का कार्य किया। गांव में जो दूरस्थ के गांव थे जहां पर आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंच पाई थी पहली बार बीजेपी की सरकार ने उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं अपने आपको सदन के सभी बीजेपी के विधायकों से सम्बद्ध करते हुए कि जो हमारी सरकार है जिस पर महामहिम राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया था, मैं उस अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराता हूँ। 1991 में हमारे यहां पर आन्दोलन चला था खुखुंदू ब्लाक बनाने के लिए और उस समय की तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 1994 में तरकुलवा और खुखुंदू को ब्लाक बनाने की घोषणा की थी। लेकिन 15 वर्षों तक वह ब्लाक की घोषणा नहीं हो पाई और तरकुलवा ब्लाक उसी समय सृजन हो गया था। लेकिन 2011 में एक बार फिर 71 दिनों तक आन्दोलन चला था जिस आन्दोलन में हम लोग भी शामिल थे और मेरे विधायक बनने के बाद वहां के लोगों को यह आस जगी है कि यह ब्लाक निश्चित बन जायेगा। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि उस ब्लाक का सृजन किया जाय और हमारे विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में एक भटनी जगह है जहां पर 115 नम्बर गेट है जहां पर रोज हजारों गाड़ियां उस रेलवे लाइन को क्रास करती हैं वहां पर एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है और हमारे क्षेत्र में गुदूदीजोर गांव है जहां पर 25 से 30 किलोमीटर से बिजली आती है और 50 गांव में बिजली पहुंचने में थोड़ी कठिनाई होती है इसलिए वहां पर एक विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाये इन्हीं मांगों के साथ फिर एक बार मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का पूर्णतः समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिन्द।

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 डॉ0 मन्जू शिवाच जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। साथ ही साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करना चाहती हूँ कि उन्होंने समवेत् दोनों सदनों को सम्बोधित किया,

लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जिस सदन की गरिमा इतनी बड़ी है और जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, उस सदन में एक महिला को रोकने का प्रयास किया गया। किस तरह से एक महिला के सम्मान के खिलाफ नारे लगाये गये और यह साफ-साफ दिखता है कि यह एक महिला विरोधी मानसिकता का प्रमाण है और एक महिला राज्यपाल का अपमान है। मैं इसकी निन्दा करती हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह वह भारत भूमि है जहां पर जयशंकर प्रसाद जी ने जब कामायनी में लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो नारी का सम्मान आसमान की बुलन्दी तक पहुंच गया। एक तरफ वह सोच जो महिला को सम्मान देती है और दूसरी तरफ यह मानसिकता जिसका दर्शन इस सदन ने और इस सदन के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने किया। प्रतिपक्ष के लोगों ने जिस तरह से एक महिला का अपमान किया मैं उसकी बार-बार निन्दा करती हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे अपनी सरकार पर गर्व है कि हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और जब महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती हैं तभी वह अर्थव्यवस्था व सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी निभा पाने में सक्षम होती हैं और मुझे गर्व है कि नारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था उसको हमने आज पूरा किया है। मिशन शक्ति अभियान को चला करके बहन-बेटियों को सुरक्षा प्रदान करके अपने संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं। इस अभियान की प्रशंसा पूरा देश कर रहा है। हमारी सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान का अनुसरण अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं बुन्देलखण्ड की धरती से आती हूँ और राठ हमारी विधान सभा क्षेत्र है जिसने पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी को जन्म दिया है और दशकों से पिछड़े इस बुन्देलखण्ड के लिए केन्द्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार रामबाण साबित हो रही है। बुन्देलखण्ड के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा रही है और मुझे खुशी है कि इसके परिणाम भी पूरे बुन्देलखण्ड में देखने को मिल रहे हैं। मैं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की बात करूं तो यह केवल एक राजमार्ग नहीं है, वरन् बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास का वह परिपथ है जिस पर अनेकानेक सम्भावनाएं कुलाचें भरेंगी और इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हमारे हजारों युवा लोगों को रोजगार मिलेगा।

मान्यवर, जैसा कि पूरा देश जानता है कि बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है। सबसे पहले किसी सरकार ने अगर बुन्देलखण्ड की सुधि ली है तो वह योगी जी की सरकार ने ली है। लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के महानगरों में जा करके दरबदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बुन्देलखण्ड भी विकास का इन्तजार कर रहा है। हम पूज्य मोदी जी की सरकार का स्वागत करने के साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी के संकल्प का भी अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने बुन्देलखण्ड को डिफेंस कारीडोर दे करके इस पिछड़े क्षेत्र को

मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। आज बुन्देलखण्ड के युवाओं ने आत्मनिर्भर बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिये हैं। हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि जिस बुन्देलखण्ड को अभी तक हम पिछड़ा कहते रहे हैं। आज देश के विकसित क्षेत्र के रूप में हमारी एक अलग पहचान है। अब बुन्देलखण्ड के युवा भाइयों को रोजी-रोटी की तलाश में दूसरी जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, पूरी दुनिया यह जानती है कि बुन्देलखण्ड की धरती सदियों से प्यासी रही है और आप भी उसी बुन्देलखण्ड से आते हैं। पानी की समस्या से बुन्देलखण्ड जूझता रहा है, संघर्ष करता रहा है, लेकिन किसी ने भी बुन्देलखण्ड की इस बड़ी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम पूज्य प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, हम श्रद्धेय मा0 मुख्य मंत्री जी का अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध करा करके बुन्देलखण्ड वासियों के जीवन में उम्मीद का एक चिराग रोशन किया है। हम मा0 योगी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि पांच साल में प्रदेश सरकार की सात बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं आगे पूरी होने वाली हैं।

इससे सिंचाई की सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है इसके अलावा करीब डेढ़ दशक से लम्बित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर मोहर लगने पर सोने पर सुहागा साबित हो रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब सत्ता पैदल चलकर समाज के अन्तिम छोर तक पहुंचती है तो वहीं से राम राज्य प्रारम्भ होता है। भाजपा इसी पथ पर पैदल चली है और आज चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सभी के सामने है। आज हमारी सरकार भक्ति का सम्मान कर रही है, महापुरुषों का सम्मान कर रही है। हम योगी जी की सरकार का अभिनन्दन करते हैं, स्वागत करते हैं, पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज जिन्होंने बुन्देलखण्ड की धरती पर भक्ति की गंगा बहाने का काम किया है। यहां तक ही नहीं बल्कि एक कर्मयोगी के रूप में बुन्देलखण्ड के नौजवानों की शिक्षा के लिए लोगों के दरवाजे-दरवाजे जा करके चंदा मांग करके एक शिक्षण संस्था को स्थापित करने का काम किया है। स्वामी जी का सपना था कि ब्रह्मानन्द महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बने इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ब्रह्मानन्द महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना करके स्वामी जी के सपने को साकार करने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। मा0 सदस्या ने अभी कहा कि हम लोगों ने मा0 राज्यपाल महोदया का विरोध किया, हम लोगों ने राज्यपाल महोदया का विरोध नहीं किया। हमने उस अभिभाषण का विरोध किया है जिसमें सरकार के कामकाज का उल्लेख किया गया है, जिसमें किसान गरीबी के भार के नीचे दबा हुआ दिखाई

देता है, रोजगार के बिना उस नौजवान का चेहरा दिखायी देता है जो धरने-प्रदर्शन करता है और भूखे मर रहा है और आत्महत्या करने के कगार पर है, हमने विरोध उसका किया है। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिन्दू और मुसलमान की बात करके इस प्रदेश को, आगे आने वाली पीढ़ी के मन में जहर घोलने का काम नहीं करना चाहते, इस प्रदेश को बांटना नहीं चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस सरकार के लोगों ने कहा था हम किसान की आय दुगुनी करने का काम करेंगे, आय तो दुगुनी हुई नहीं उल्टा जो किसान धरने पर बैठे थे उनको कुचला गया, मारा गया। किसान वह किसान है जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है जिससे हम लोग फलते और फूलते हैं, उस किसान को आतंकवादी कहा गया जब वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रहा था। देश के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए था, चिंता करनी चाहिए थी और उन्हें कहना चाहिए था कि हां, आप अपने हक की बात कर रहे हैं, चर्चा करनी चाहिए थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है। अभी गन्ना मंत्री जी यहां पर बैठे थे, बड़े ही भले आदमी हैं, सीनियर हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें फंसा दिया। गन्ने का इतिहास रहा है चूंकि मैं बड़ी गम्भीर बात कर रहा हूँ। जिस भी मंत्री को गन्ना मंत्री बनाया गया है वह जीतकर अगली बार नहीं आया है, ज्यादातर लोग ऐसे रहे हैं। गन्ना विभाग के हालात इससे पता चलते हैं कि कैसे हैं ? हम लोग गन्ना ऐक्ट की बात करते हैं, 14 दिन में भुगतान की बात करते हैं। राजनीतिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा था, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ एक भी ऐसा मिल या मिल मालिक हो जहां 14 दिन में भुगतान न करने पर मिल मालिकों को जेल भेजा गया हो। अगर आप की करनी और कथनी में अन्तर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। एक मिल ऐसी है जो बजाज के नाम से है चाहे मुजफ्फरनगर का मिल भसाना हो, चाहे थाना भवन हो, चाहे अन्य कोई मिल हो उसका एक विशेष अधिकार है जिसका 60-70 प्रतिशत भुगतान अब तक नहीं हुआ है। किसानों का शोषण करने का काम किया जा रहा है। शामली में स्थित शुगर मिल में किसानों का भुगतान हुआ नहीं है और जब किसान वहां पर जाता है तो परेशान किया जाता है।

ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ आज आप छापे लगवा रहे हैं, किसान को, मजदूर को उसका दोषी करार कर रहे हैं। कहने को तो वह दोषी है वह चोर है लेकिन वह इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का नागरिक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो भी सम्बन्धित अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिसका कार्य क्षेत्र है, वह गांव जहां चोरी हो रही है या जहां आप छापे मार रहे हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है ? आपने कहा कि वहां कार्यवाही हो रही है। गांव में टीम जा रही है रात को तीन बजे, चार बजे टीम जा रही है यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है। गलती उसकी भी है जो ऊर्जा विभाग से पैसे लेता है, हमारी यह मांग है कि उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आवारा पशुओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि आवारा पशुओं की वजह से किसान डरता

हुआ अपने खेत में जाता है। मैं अभी अपने क्षेत्र के गांव त्रिपड़ी में बैठा था और 25 पशुओं का झुण्ड मैंने देखा। आवारा पशु झुण्ड में निकलते हैं। अभी शामली के एक गांव नाला में एक किसान को मार दिया, उसके परिवार को मुआवजा देना चाहिए था लेकिन सरकार ने इसकी कोई बात नहीं की। जो गौशालायें बनी हैं उनको सही ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। यह सुझाव भी है कि उन्हें संचालित किया जाये क्योंकि गौ माता का हम सब लोग सम्मान करते हैं। मैं किसान परिवार से आता हूँ, किसान अपने पशु का उतना ही सम्मान करता है जितना अपने कृषि यंत्र या मां-बहन का सम्मान करता है। चूंकि हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ढकोसले वाले हम लोग नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सही सुझाव है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए।

आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था का छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे क्षेत्र में थाना भोरा है एक बच्चे को बेवजह पकड़ लिया जब मैंने फोन किया उनसे बात की कि क्यों पकड़ा तो उन्होंने कहा कि मुल्जिम है। फिर उन्होंने 15 मिनट में छोड़ दिया तो मैंने पूछा कि क्यों छोड़ दिया ? तो उन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि फलां आदमी फोन करेगा तब मैं छोडूंगा। ऐसे आप कैसे किसी को न्याय दिला पायेंगे, यह मजाक है। एक लड़का अंकित नाम का थाना भोरा में पकड़ा गया, उसे जेल भेजने की कार्यवाही हुई। सम्बन्धित थाने के जिम्मेदार अधिकारी ने उसे बाइक पर बिठाकर जेल भेजने का काम किया और आप कानून की बात करते हैं। आप की सोच में खोट है। दो आरक्षी उसके साथ होने चाहिए थे, मोटर व्हेकिल ऐक्ट का पालन नहीं किया, हेलमेट नहीं था, दुर्घटना हुई और वह मारा गया। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले और उसकी जांच कराने का काम करे। मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आता हूँ, आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं चाहता हूँ कि वहां एक विश्वविद्यालय बनाया जाये। मेरे क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज की स्थापना हो, माननीय मंत्री जी बैठे हैं मुजफ्फरनगर से इन लोगों को बहुत लाभ हुआ था। साम्प्रदायिकता के नाम पर एक सरकार आई थी, मुजफ्फरनगर में अगर विश्वविद्यालय नहीं देंगे तो आपको जनता को कल जवाब भी देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चरथावल विधान सभा क्षेत्र का गांव सूजडू और बघरा बड़ा गांव है। आबादी के आधार पर उन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। सूजडू गांव में इंटर कालेज होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें, आप लिखकर दे दीजियेगा।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के चरथावल कस्बे में एक राजकीय डिग्री कालेज हो। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय मेरे क्षेत्र में बघरा ब्लाक, चरथावल ब्लाक, सदर ब्लाक के देहात

की सड़के खराब हैं, वहां सम्पूर्ण विकास होना चाहिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूलाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। पंकज मलिक जी हमारे भतीजे हैं, बहुत जानकार हैं। पूरे विपक्ष के लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया किसी का नाम लेकर बात न करें, पीठ से बात करें।

श्री बाबूलाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इनके ऊपर कोई कमेन्ट नहीं किया। 2012 में जब मुजफ्फरनगर काण्ड हुआ था तब विपक्ष के लोग कहां गये थे। जब हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी।

जब एक विशेष जाति के लोग हमारी जाति की बहन-बेटियों के साथ मुजफ्फरनगर दंगों में गलत काम हुआ और साथ ही उस काण्ड में हमारे भतीजे, भाई, बेटे शहीद हुए तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में पांच साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। जहां तक विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ ही साथ विकास कार्य कराये हैं और सरकार ने मुफ्त राशन बांटने का काम भी किया है और आवास व गैस सिलेण्डर व इज्जत घर मुफ्त बनाने व बांटने का काम किया है। जब मैं सांसद था तो हमने एक लाख कनेक्शन बांटने का काम किया था हमसे कुछ लोग कहा करते थे कि जिन-जिन लोगों को आप कनेक्शन दे रहे हैं यह लोग आपको वोट नहीं देंगे। हमने कहा कि यह हमारी पार्टी की नीति है सबका साथ व सबका विकास कि जनता चाहे वोट दे या न दे पर विकास सबके लिए होगा। हमारी पार्टी के सदस्यों ने सरकार के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं भी अपनी बात उन्हीं के साथ जोड़ते हुए जब अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा। मैं फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जहां अकबर ने सन् 1885 में राजधानी छोड़ने का काम किया। हमारा पूरा इलाका राजस्थान से लगा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहां 70-80 गांव में सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है न तो नहर की व्यवस्था है न ही ट्यूबवेल की व्यवस्था है। मैं सरकार से बार-बार अनुरोध करना चाहूँगा कि कैसे भी हो उन 70-80 गांवों के लिए सिंचाई की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कराने का काम करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आगरा में आलू की पैदावार ज्यादा होती है। उसके लिए एक प्लांट की व्यवस्था मा0 मुलायम सिंह जी की सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री द्वारा की गयी थी। लेकिन वह प्लांट अभी तक नहीं लग पाया है। अतः मेरा सरकार से

अनुरोध है कि उसी फाइल को निकलवाकर उस प्लांट को मेरी विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी आगरा में लगवाने का काम करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। सिर्फ 5-6 घंटे ही बिजली आती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसम्बर, 1996 को एक आदेश दिया था कि 24 घंटे बिजली व्यवस्था आगरा क्षेत्र के लोगों को दी जायेगी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1996 से बहुत सरकारें आई और चली गईं लेकिन किसी सरकार ने भी इसका इंतजाम नहीं कराया है। इससे हालात बहुत खस्ता बनी हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार क्षेत्र को 24 घंटे बिजली देने का काम करें इससे किसानों, व्यापारी आदि का भला होगा। हमारा इलाका ताज क्षेत्र में आता है, लेकिन ताज की वजह से सारे उद्योग धंधे बंद करा दिये हैं।

हम आवारा पशुओं के बारे में कहना चाहेंगे कि आवारा पशुओं की समस्या केवल हमारे फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र की नहीं है, यह समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि आवारा पशुओं के लिए तत्काल ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाये जिससे किसानों को नुकसान न हो क्योंकि किसान को रात-दिन खेत में लाठी लेकर फसलों की रखवाली के लिए खड़ा रहना पड़ता है। किसानों की इस समस्या का निवारण सरकार जल्दी से जल्दी कराये। हमारे यहां किरावली पर स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है जिसको शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली किरावली गल्ला मण्डी नहीं है। हमारे यहां की गल्ला मण्डी को शीघ्र बनवाया जाये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारी तरफ के हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कन्या डिग्री कालेज नहीं है इसलिए हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराई जाये। हमारे यहां चिकित्सालय नहीं है जिसके कारण लोगों को इलाज कराने के लिए महानगर जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना कराई जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है जिसके कारण मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में वर्ष 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है विकास कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। इससे पहले वर्ष 2012-2017 तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अराजकता, गुण्डाराज का माहौल था वह किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास कार्य तो किये थे वह नेताओं ने खुद विकास कार्य खुद के लिये किये थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से खनिजों से

जितना पैसा आ रहा है और प्रदेश को जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है वह सारा का सारा पैसा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में लगाया जा रहा है। वर्ष 2017 के पहले यहां पर नेताओं का विकास होता था और इन्होंने हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति अपने नाम कर रखी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार के समय में सभी जगह पर शानदार सड़कें बनी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खुल रहे हैं जबकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। हमारी गरौठा विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ी विधान सभा थी लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में यहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराये गये हैं। बड़वार झील से कम से कम हमारे 70-80 गांवों को सिंचाई का साधन मिल गया है। हम कह सकते हैं एरच बांध का काम लम्बे समय से भ्रष्टाचार की जांच के कारण रुका हुआ था जिसको हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा किया गया है। हमारी सरकार के समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया गया है तथा इसमें और काम करने की जरूरत है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के द्वारा जहरीला भोजन, अनाज, फल, सब्जियां हम लोग ग्रहण करते हैं जिससे घातक बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर, किडनी इत्यादि तमाम तरह की बीमारियों के कारण हमारे स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ रहा है। हम जो निर्यात करते थे वह भी घट रहा है। हम आज वास्तव में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं जिससे गेहूँ, चना, मसूर, राई, धान तमाम तरह की फसलों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी अगर एक गाय किसान के खेत में बंधी रहेगी तो 10 एकड़ से लेकर 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। हम फिर उसी युग में लौट सकते हैं जहां केवल एक एकड़ में धान, गेहूँ, सरसों पर्याप्त मात्रा में हो जाता था। उस समय पानी तक की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज हम लोगों ने रासायनिक कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करके खेतों की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और सब्सिडी देनी चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर कम से कम प्रतिकूल असर पड़े। आज हम देख सकते हैं लौकी हो, तोरई हो या फल हो, गेहूँ हो, मटर हो, मसूर हो, चना हो हमें जो भोजन मिल रहा है वह विषाक्त भोजन मिल रहा है।

यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो उससे छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि लगातार गुण्डाराज हमें समाप्त करना है। पहले हमारी मातायें-बहनें जो आधी रात को नहीं चल सकती थीं हमारी बच्चियां स्कूल और कोचिंग नहीं जा पाती थीं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उन पर टेढ़ी नजर करने वाले जेल के सींखचों में है। या प्रदेश से बाहर हैं। सरकार गुण्डाराज के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। आज किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार का भरपूर प्रयास चल रहा है। चाहे बलिया जिला हो, मेरठ हो या बुन्देलखण्ड हो सभी जगह एक जैसी बिजली मिल रही है

और लगातार शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसी के साथ किसानों के लिए लगातार हमारा प्रयास है कि कोरोना काल में जो सब्सिडी किसी न किसी कारण से खत्म कर दी थी और उसमें हजारों किसानों की जो धनराशि तीन साल से ऊर्जा विभाग में जमा है उसमें पुनः किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन जारी किये जाने का अनुरोध करता हूँ। हमारी गरौठा विधान सभा क्षेत्र में एरच का जो बांध बन रहा था वह रुका हुआ है उसे भी जल्दी प्रारम्भ किया जाय। जो हमारी बडवार झील बन रही है उसे शीघ्र पूरा किया जाय। बाकी गरौठा-गुरसराय में जो पेयजल का लगातार संकट रहा है। आजादी के बाद पहली बार आदरणीय पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने स्वीकृत किया था उसे भी जल्द पूरा किया जाय। हमारे यहां सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है उसे भी जल्द पूरा किया जाय। इससे वहां के किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ हर तीन साल में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी बल्कि सौर ऊर्जा में भी झांसी नम्बर एक पर हो जायेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बाकी हमारे यहां डिफेंस कारीडोर एरच के पास बन रहा है उसमें भी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें भी जल्दी उद्योग धंधे स्थापित हों और डिफेंस कारीडोर का काम प्रारम्भ हो जिससे वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा और बुन्देलखण्ड के लोगों को दिल्ली, मुम्बई या अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों के लिए यह सरकार निरन्तर काम कर रही है। चना, मसूर, राई के क्रय केन्द्र पहले नहीं खोले गये थे। यह मा0 योगी जी की सरकार है कि 17 से लेकर 22 तक चना, मसूर के आज भी क्रय केन्द्र खुले हुए हैं और उनकी खरीद हो रही है। समर्थन मूल्य तो तमाम लोग घोषणा कर देते हैं लेकिन यह सरकार क्रय केन्द्र चलाकर यह प्रमाणित कर रही है कि हम किसानों के हित में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि किसानों का किसी दैवीय आपदा के कारण जब कोई नुकसान होता है तो लगातार यह सरकार प्रयास करती है। आज हमारे यहां झांसी में भी ओलावृष्टि हुई है और सरकार का प्रयास है कि जायद की फसल में मूंग की जो फसल बर्बाद हुई उन किसानों को भी जल्दी ही मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सरकार का लगातार प्रयास है कि बुन्देलखण्ड जो सबसे ज्यादा दैवीय आपदा से पीड़ित रहा है वहां पर जल्दी से जल्दी मुआवजा और क्षतिपूर्ति मिले। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाय जिससे किसानों की लागत कम होगी और खेती से आमदनी बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी और वह अनाज विषाक्त नहीं होगा और उससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी दूनी

करने का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। मान्यवर, हमारे यहां गुरसराय में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हो जाय। बाकी हमारे यहां गुरसराय में जो सी0एच0सी0 सेंटर है उसमें जो संसाधन कम हैं, वह पूरे किये जायें। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब बैठिये।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने विरोध किया और राज्यपाल जी के लिए गो आउट के नारे लगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने विरोध राज्यपाल जी का नहीं किया, हमने विरोध उस अभिभाषण का किया है जो केवल एक पुतला था जिसमें हमारे अनुसार एक भी कार्य ठीक नहीं थे। मैं अभिभाषण की एक सबसे पहली कड़ी को लेता हूँ जिसमें महिला शक्ति की बात कही गयी थी। इस सरकार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं और मुझे हाथरस की घटना याद है जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारियों को बचाने के लिए लड़की के शरीर को रात के 12:00 बजे जला दिया जाता है। इस सदन को ललितपुर की घटना याद होगी कि जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो कहां रह गया महिला सशक्तिकरण। मैं गन्ने के क्षेत्र से आता हूँ और एक आंकड़ा राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में दिया गया था कि 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपया का भुगतान गन्ना किसानों का कर दिया गया है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि बार-बार गन्ने के बारे में उल्टे आंकड़े दिये जाते हैं। यह कोई नहीं बताता है कि मिल मालिकों पर गन्ना किसानों का बकाया कितना है। मैं शामली क्षेत्र से आता हूँ और शामली क्षेत्र में तीन मिले हैं, उन तीनों मिलों का आज की तारीख में भी 840 करोड़ रुपया बकाया है। मैं गन्ना मंत्री से तीन बार शिकायत भी कर चुका हूँ और इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि (पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सदस्यगण भी बैठे हुए हैं) लगभग 95 प्रतिशत हिस्से में गन्ना पैदा होता है और किसान के पास, पांच महीने से, मेरे सदस्यगण बता सकते हैं कि गन्ने के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं है जिसको बाजार में बेचकर, उसके पैसे से बिजली के बिल का भुगतान कर सकें, अपने बच्चों की शादी करा सकें या किसी गरीब का इलाज करा सकें और पांच-पांच महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। हमें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे भाई श्री पंकज मलिक ने भी बताया था कि उस क्षेत्र में एक बजाज मिल है, उस बजाज मिल की आदत इतनी खराब है कि उस मिल

का 350 करोड़ रुपया बकाया है। उस क्षेत्र से पांच साल तक गन्ना मंत्री रहे हैं लेकिन वह बजाज मिल का इलाज नहीं कर सके हैं। मेरी आदरणीय गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना है कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की समस्या है तो वह केवल बजाज मिल की वजह से है। शामली मिल की वजह से भी समस्या है लेकिन सबसे ज्यादा समस्या बजाज मिल की वजह से है। मैं दूसरी बात आवारा पशुओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि वह आवारा पशु नहीं हैं, वह खूंखार पशु हैं। किसान के खेत में 25-25 पशु घुसते हैं जिससे किसानों को दिन-रात पहरा देना पड़ता है और खूंखार पशु किसानों को मारते भी हैं। अभी नाला गांव में एक घटना हुई है जिसमें आवारा पशुओं ने किसान को मौत के घाट उतार दिया था। मैं इस सदन से मांग करता हूँ और मा0 मंत्री जी से मांग करता हूँ कि कम से कम उस किसान को मुआवजा तो दिया जाय। इससे पहले पौरी एवं लाख में एक घटना हुई थी। तीसरी बात मैं गौशाला के बारे में कहना चाहता हूँ और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी गौशाला के बारे में कहा गया है। मैं भी किसान का बच्चा हूँ और गाय से प्रेम करता हूँ लेकिन सरकार की पॉलिसी के अन्तर्गत जो गौशालाएं बनी हुई हैं वह गौशालाएं नहीं हैं, वह गौ जेल हैं और उनके अंदर गायें सड़-सड़ कर मर रही हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 30 रुपये में तो पानी की बोतल भी नहीं आती है तो फिर गायों को घास कहां से मिलती होगी। गायों को हम माता पुकारते हैं और यह पहली सरकार है जिसके अंदर गायों का अपमान हुआ है, न कि सम्मान हुआ है। मैं इस सदन को बेरोजगारी के बारे में बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, यह पहली ऐसी सरकार है जिसके अंदर न तो बिजली विभाग में तीन साल से कोई वैकेंसी निकली है, न रेलवे में तीन साल से कोई वैकेंसी निकली है, न मिलेट्री की भर्ती हुई, न पुलिस की भर्ती हुई, इतनी बेरोजगारी है। यह पहली सरकार है जिसमें लड़कों और नौजवानों को भर्ती के लिए सड़क पर आंदोलन करने पड़ते हैं और सरकार उनके ऊपर डण्डे और लाठियां बरसाने का काम करती है, उन पर मुकदमा दायर करती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया आप समाप्त करिये।

श्री प्रसन्न कुमार-

साथियों, मेडिकल के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा क्षेत्र लखनऊ से लगभग सात सौ किलोमीटर दूर है, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर खुल सकता है लेकिन हमारे क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर नहीं खुल सकता है। मैं इस सदन से मांग करता हूँ कि वहां भी एक ट्रामा सेन्टर खुलना चाहिए। जब एक्सीडेंट में बच्चा मरता है तो उसके परिवार को बहुत दिक्कत होती है जब उसे लेकर दिल्ली, मेरठ एवं लखनऊ भागना पड़ता है। साथियों, मैं आखिर में बिजली पर भी बोलना चाहता हूँ। जो बिजली विभाग है वह सरेआम गुण्डागर्दी करता है और गांवों में घुसा हुआ है, कनेक्शन काटे जाते हैं। यहां तक होता है कि किसानों के ट्यूबवेल जिसका लोड साढ़े

सात किलो है उसे अपने आप बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दिया गया। गांव का लोड 2 किलोवाट है उसे बढ़ाकर अपने आप 4 किलोवाट कर दिया गया। बिजली विभाग की गुण्डागर्दी चल रही है और टाइम पर बिजली नहीं आ रही है। इनके आंकड़ों में लिखा हुआ है...

श्री अधिष्ठाता-

आपके भाषण का समय पूरा हो गया है, मा0 सदस्य श्री नन्दकिशोर गुर्जर जी आप बोलिये।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, एक मिनट लेना चाहूँगा, बिजली केवल चार घंटे आ रही है। मैं अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम की मांग करता हूँ कि वहां पर स्टेडियम होना चाहिए जबकि उसकी फाइल लगी हुई, लेकिन वह कागजों में उलझी हुई है। मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में लाख, पौड़ी आदि दूर-दराज के गांव हैं वहां पर लड़कियों के लिए डिग्री कालेज होना चाहिए। मैं अन्त में अधिष्ठाता महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन देर शाम चलाते हुए सभी माननीय सदस्यों की बात आ जाये इसके लिए आप सभी पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह लेंगे तो उससे सबकी बात आ जायेगी। आगे से कृपया इस बात का ध्यान रखें और अपनी घड़ी की ओर भी देखते रहें।

श्री नन्द किशोर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार हुआ वह शोभनीय नहीं है। बात पक्ष-विपक्ष की नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश है उसकी इमेज माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद जब हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं और लोग यहां आना चाहते हैं। पहले हालात यह थे कि उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही लोग देखते थे कि शाम पांच बजे से पहले निकल आये तो निकले नहीं तो वहीं रुक जाते थे। हालात बेहद खराब थे। मेरी विधान सभा क्षेत्र लोनी क्राइम कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। हत्या, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार और यहां तक पार्लियामेंट में हमले के दोषी आतंकवादी भी वहां पकड़े गये। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद, रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से सीमाएं मजबूत हुईं और गृह मंत्री अमित शाह जी के दृढ़ नेतृत्व के कारण कश्मीर जैसी भारत की समस्या, जिसको लेकर भारत का हजारों करोड़ रुपया खर्च होता था वह सारी चीजें लाइन अप हुईं। आज देश के अंदर एक बहुत शानदार माहौल है। उत्तर प्रदेश में

जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, मेरे यहां समजावादी पार्टी के गुण्डों ने 12 साल की बच्ची को उठाकर सपा सरकार में बलात्कार कर दिया था और हम उसका घेराव करने गये तो जेल जाना पड़ा। खुलेआम गायें काट दी जाती थीं, हत्या, डकैती, मर्डर होते थे उसका विरोध करते थे तो दर्जनों मुकदमे हम पर लगाये थे। मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलकुल दिल्ली से सटी हुई है, कई कालोनियां दिल्ली के अंदर हैं और उधर हरियाणा से सटी हुई हैं। तो यहां हालात इतने खराब थे कि बार्डर होने के बावजूद समजावादी पार्टी की सरकार में 452 करोड़ का घोटाला जो दिल्ली-सहारनपुर रोड है उसमें हुआ, उसके पिलर आज भी मेरी विधान सभा क्षेत्र में इस बात के गवाह हैं।

गहरे-गहरे गड्ढे, 16 लाख की आबादी होने के बावजूद पूरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी बारहवीं तक का सरकारी स्कूल नहीं था, डिग्री कालेज तो दूर की बात थी, कोई हास्पिटल नहीं था। सबसे पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र थी। माननीय योगी जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद आज दो इण्टरमीडिएट कालेज कम्पलीट हुए, आईटीआई कम्पलीट हुई, डिग्री कालेज का तेजी से निर्माण चल रहा है और सड़कों का जाल बिछा और लोनी भी लगने लगी कि अब हम भी दिल्ली जैसे हुए हैं। लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र लोनी में समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां की नगर पालिका में 300 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ और वह प्रमाणित किया और उस पर 5 साल से जांच चल रही है। वह जांच भी अद्भुत चल रही है, पता नहीं कब पूरी होगी, हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि गिरफ्तारी की जाये और कार्यवाही हो। लेकिन सरकार आने के बाद जिस गति से विकास हुआ, उससे लोनी को भी लगने लगा, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोनी एक विधान सभा क्षेत्र नहीं, पूरा देश है। पूरे देश के लोग वहां रहते हैं। बहुत गरीब लोग, दिल्ली में रोजी-रोटी के लिए या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग 25-50 गज के प्लाट में रहने वाले लोग रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 1000 करोड़ का पैकेज लोनी विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए देने की कृपा करें। चूंकि लोनी नगर पालिका में 80 परसेंट आबादी है, उसके चहुमुखी विकास के लिए और जल निकासी के लिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वहां बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए यह पैकेज दिया जाना जरूरी है, क्योंकि यू0पी0 का प्रवेश द्वार लोनी है और यदि लोनी खूबसूरत दिखाई देगा तो उससे उत्तर प्रदेश का भी मान बढ़ेगा। पिछली सरकार में हालात विकट खराब थे और हमारे राजनीति में आने का कारण ही यही था, क्योंकि वहां खुलेआम गाय कटती थी, कोई बोलता नहीं था। एक गुप्ता जी ने गाय काटने वालों की सूचना दी और हम उसका विरोध करने गये तो गाय काटने वाले छोड़ दिये, सपा सरकार में, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हमें जेल जाना पड़ा, अब तक मुकदमा चल रहा है, तो कानून व्यवस्था के हालात इतने विकट खराब थे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद विकास हुआ है, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा वहां एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, उसको भी फायदा होगा। आवास विकास की योजना भी है। लोनी में चूंकि सहारनपुर तक का सारा ट्रैफिक दिल्ली

के लिए आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एलीवेटेड रोड देहरादून के लिए बना है, लेकिन उसका बाईपास बनना बहुत जरूरी है, जिससे जाम से निजात मिल सके। सिरौली गांव में सिंचाई विभाग की एक जमीन है, वहां एक डिग्री कालेज बन जाये। पहले वहां पर भू-माफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसे रोका गया। मेडिकल कालेज बागपत में नहीं है और गाजियाबाद में भी नहीं है। बागपत के बार्डर पर मीरपुर गांव में लैंड उपलब्ध है, मैंने इसके लिए पहले भी प्रस्ताव दिया था, उसका बनना बहुत जरूरी है। वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। चूंकि गंगा जल वहां से दिल्ली के लिए सप्लाई होता है, लोनी के लिए भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसमें तेजी आ जाये, जिससे वहां लागों के लिए पानी की समस्या का हल हो सके। इसके साथ-साथ लोनी, तहसील तो घोषित हुई, लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है, उसकी बिल्डिंग बनना बहुत जरूरी है। अधिष्ठाता जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां के गरीब किसानों के साथ और जो वहां का आम आदमी है, बड़ा अन्याय है, उसके लिए वहां हाई कोर्ट की बेंच बनना बहुत जरूरी है। वह आगरा में बने या मेरठ में बने, यह विषय नहीं है, अब तो नोएडा में भी बन सकता है, रोड इतनी शानदार है, सरकार ने बनायी है। जिस तरह से दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस-वे बना है, तो कहीं भी वह बेंच बन जाये। अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी सदस्यों का मैं शीश झुका कर अभिनन्दन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती पूजा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके आशीर्वाद और अनुकम्पा से मैं सबसे पहले पीठ को प्रणाम करती हूँ मा0 मंत्रियों को और मा0 सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। मान्यवर, आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज भी ऐसे कई गांव और घर हैं जहां बिजली तक नहीं पहुंच पाई है और लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ वह मेहनगर में है, वहां की ग्राम सभा सिसवां के हैदराबाद भिटवापुरवा में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। रासीपुर से मगई नदी श्मशान घाट तक अभी भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी जगहे हैं जहां क्षमता से कम लोड के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आये दिन ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं और लोगों को बिजली की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह लोग बिजली आपूर्ति की बात करते हैं और वहीं महामहिम के अभिभाषण के समय ही बिजली कटौती सरकार के सभी खोखले दावों को दर्शाती है। महामहिम के अभिभाषण में जहां सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कहती है वहीं स्टेट हाई-वे जो चिरइया कोट से चलकर बनारस आने वाला मुख्य मार्ग है, जो आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी तीनों जिलों को जोड़ता है वह मेरी विधान सभा क्षेत्र मेहनगर से राशिपुर, कंचनपुर, ऊंचाउवा होते हुए तितरा तक आता है। जहां दिन भर में हजारों वाहन गुजरते हैं। उस 11 किलोमीटर की सड़क को देखकर आपको

यह समझना मुश्किल हो जायेगा कि वह गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। उन सड़कों को प्लीज बनवाने का कष्ट करें।

मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहूँगी जहां एक ओर सरकार ग्रामीण नौजवानों को खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है, वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भिनाहपुर में पांच एकड़ जमीन खेल के मैदान के नाम से जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अधिग्रहीत की गयी है और कई बरसों से वह बजट के लिए प्रस्तावित भी है। समय-समय पर अखबारों द्वारा सरकार द्वारा यह कहा गया है कि वहां पर स्टेडियम बनने की बात कही गयी है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। जहां सरकार अपने अभिभाषण में कहती है कि स्कूल चलो अभियान द्वारा कि कोई भी बच्चा एक प्राथमिक विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। वहीं मेरी विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में ग्राम पंचायत बलेनपुर में एक भी प्राथमिक विद्यालय न होने की दशा में बलेनपुर ग्राम पंचायत के बच्चे या तो दूसरी ग्राम पंचायतों में पढ़ने जाते हैं या तो फिर उन्हें दूरी और असुविधा की वजह से शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। अभी कुछ मा0 सदस्य कह रहे थे कि कल किसी मा0 सदस्य ने कहा था कि झोपड़ी में 24 घंटे बिजली आती है वह कौन सी ऐसी झोपड़ी है आई वान्ट टू नो आई आल्सो वान्ट टू गो देयर। बेरोजगारी के बारे में अभी बात करते हुए लोग कह रहे थे कि सभी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया गया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि सभी सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं उनको ही भर दिया जाये तो बेरोजगारों को सुसाइड करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के सभी विधायक पहले तो बहुत तारीफ करते हैं सरकार की जो पांच साल हुए हैं और फिर सभी अपने क्षेत्रों में डिमाण्ड करते हैं कि हमें यह चाहिए वह चाहिए सबको करोड़ों कमियां नजर आती हैं। पहले तो सबको तारीफ नजर आती है उसके बाद सबको कमियां नजर आती हैं। अधिष्ठाता महोदय, थैंक यू सो मच।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मा0 महोदय, आदरणीय राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार के आने वाले वर्षों के क्रियाकलापों का, उसकी नीतियों का सार होता है। हमारी सरकार में आदरणीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इस पर अगर विचार किया जाय तो समग्र रूप से यह हमारी सरकार की बहुआयामी सोच और प्रदेश की 25 करोड़ जनता का लोक-कल्याण का ऐसा ग्रंथ है जो आने वाले पांच वर्षों की यात्रा में इस प्रदेश के नागरिकों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। महोदय, किसानों, नौजवानों, मेहनतकश मजदूरों, व्यवसायियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों से लेकर कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, जिस पर सरकार की नजर न पड़ी हो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मा0 योगी जी की सरकार ने किया है, वह जनता

के पैसे को सीधे जनता के हित में खर्च करने का काम किया है। पहले विपक्षी सरकारों द्वारा जो जनता के धन की सामूहिक लूट का कार्य होता था, उसे पूरी तरह से पलट दिया गया है। भू-माफियाओं पर प्रभावी अंकुश, साफ-सुथरी खनन नीति, प्रदेश के राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों में साफ-सुथरी कार्य प्रणाली विकसित कर जनता को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य, किसानों को एम0एस0पी0 के द्वारा उनकी उपज का सही मूल्य देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत पांच वर्षों में अनेकों विपरीत परिस्थितियों में जिसमें सबसे कठिन परिस्थिति वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई, तब उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कुशल प्रबन्धन के द्वारा उसकी रोकथाम कर जनता को मुफ्त में इलाज, मुफ्त में टीका और जांच की व्यवस्था की गयी, उस कारण से पूरे प्रदेश का गौरव और मान बढ़ा है। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आगामी पांच सालों में उत्तर प्रदेश देश का नम्बर एक प्रदेश बनने में कामयाब होगा और भारत की अर्थव्यवस्था जिसे मा0 प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सफल होगा। उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी और विश्व के महान नेता, भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी देता हूँ।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां से 1962 से लेकर के 1967 तक श्रीमती सुचेता कृपलानी जी विधायक रहीं और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्य मंत्री रहीं लेकिन वह विधान सभा क्षेत्र वर्षों तक उपेक्षित रहा। ऐसे-ऐसे लोग वहां से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे लेकिन वर्षों तक वहां का विकास नहीं हुआ। आज यह विधान सभा क्षेत्र जो कि 1912 में टाउन एरिया घोषित हुई थी, 1912 में गोरखपुर नगर जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाता है, वह भी इसी विधान सभा क्षेत्र के साथ टाउन एरिया घोषित हुआ था लेकिन आज गोरखपुर शहर नगर निगम और मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाता है। वहां पर बड़ी-बड़ी योजनाएं आईं, बड़ा विकास हुआ, वहां से दो-दो मुख्य मंत्री हुए और उन्होंने गोरखपुर का सर्वांगीण विकास किया लेकिन आज तक हमारा मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और वहां पर सबसे बड़ा संकट बाढ़ का है। बाढ़ की वजह से अभी पिछले सत्र में वहां पर हजारों एकड़ फसल डूबी हुई थी और जिस कारण से सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 17 हजार से ज्यादा किसानों को फसल का मुआवजा देना पड़ा और इसलिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए महोदय से आग्रह करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखा जाये कि मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र की बाढ़ की समस्या को दूर करते हुए वहां पर बन्धों का निर्माण, पुलों का निर्माण और जो भी अन्य आवश्यक निर्माण कार्य होते हैं,

उनको कराया जाय जिससे कि वहां पुनः जल जमाव और बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान न हो और सरकार को डूबी हुई फसलों का मुआवजा न देना पड़े। हमारे मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान पर बखिरा नामक झील है, उस जगह को रामसर साइट के रूप में भी जाना जाता है। रामसर साइट जहां पर पूरी दुनिया से शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं। अगर वहां पर विकास किया जाये तो वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पक्षी विहार, पर्यटन केन्द्र बन सकता है। जिस प्रकार से आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल का सुन्दरीकरण हुआ है और वह पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन गया है, उसी प्रकार से अगर बखिरा झील का भी विकास किया जाये तो वह भी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केन्द्र बन सकता है। इसकी बहुत सम्भावना है। हमारे मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि भगवान महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, वहां पर कोपियागंज नामक एक स्थान है।

श्री अधिष्ठाता-

त्रिपाठी जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिये, कनक्लूड करिये क्योंकि सबको बोलना है।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

महोदय, मैं अपने दल का नेता भी हूँ, मुझे 10 मिनट का समय मिलना चाहिए। आप कृपा करके ध्यान दीजिये। महोदय मैं आग्रह करूंगा कि मेरे मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में जो कोपियागंज नाम का स्थान है, जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और वहां पर आज भी सैकड़ों एकड़ में टीले बने हुए हैं। और एक स्थान धर्मसिंहवा है, वह भी भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। इन दोनों स्थानों पर अगर विकास किया जाये तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केन्द्र बन सकता है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा चूंकि हर जिले में एक मेडिकल कालेज देने का प्रस्ताव है हमारे संत कबीर नगर में भी मेडिकल कालेज देने का प्रस्ताव है, हमारा विधान सभा क्षेत्र जहां से शुरू होता है, वहां से खलीलाबाद नगर एकदम सटा हुआ है, मुश्किल से 3 किमी0 के बाद ही खलीलाबाद नगर है। यदि वहां पर मेडिकल कालेज दिया जाता है तो हमारे मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में दिया जाय। जो सरकार की गौवंश संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, इसके लिए वहां बधुवा ग्राम में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें लगभग 50 एकड़ की भूमि है, जिस पर गौवंश संरक्षण के लिए योजना बनाकर एक बड़ा कार्यक्रम दिया जाय। इससे हमारे क्षेत्र के जो आवारा पशु हैं, उनके रक्षण का काम भी हो सकता है और जो जनता की मांग है कि आवारा पशुओं को रोककर खेतों की फसलों को बचाया जाय, उस पर भी बड़ा काम हो सकता है।

मान्यवर, इसके अलावा हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के नाम पर एक पीतल उद्योग है। आपने देखा होगा जैसे कि मुरादाबाद में पीतल उद्योग का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ है और वहां से पीतल की सामग्री जो बनायी जाती है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में

भी जाती है। हमारा बखिरा जहां कि पीतल उद्योग और फूल का बर्तन बनता था, वह काफी पीछे रह गया है क्योंकि वहां के जो व्यवसायी हैं, उन्होंने किसी नयी तकनीक का उपयोग नहीं किया। वहां ओ0डी0ओ0पी0 के अन्तर्गत कार्यक्रम शुरू हो गया है लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, जो वहां की भूमि आवंटित है, जो सड़कें बननी चाहिए, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वह अभी बहुत ही कम हुआ है। मैं वहां मौके पर लगभग 15 दिन पहले गया था तो सड़क का निर्माण हुआ है, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हुआ है लेकिन वहां के व्यवसायियों के लिए अभी न तो भवन बना है और न ही अन्य विकास के कार्य हुए हैं। मान्यवर, इस पर ध्यान देने की कृपा करें। इसके अलावा हमारा क्षेत्र शिक्षा के मामले में भी बहुत पीछे रह गया है क्योंकि वहां पर इसके पूर्व के जो भी विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। वहां पर न कोई अच्छा डिग्री कालेज है, न ही महिलाओं के लिए कोई अच्छा डिग्री कालेज है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर अगर कोई इंजीनियरिंग कालेज देने की स्थिति बनती है तो वहां सरकार इंजीनियरिंग कालेज भी दे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विगत 8 सालों से सड़कों की बहुत बुरी हालत है। यदि आप वहां देखेंगे तो जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, वह सारी की सारी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। मैंने इसके बारे में विभागीय स्तर पर पी0डब्लू0डी0 के लोगों को बार-बार सूचना दी लेकिन बजट की कमी की वजह से हमारे यहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाये। पिछली बार जो अगल-बगल के जिलों में बजट दिया गया था, उसका एक-चौथाई बजट हमारे जनपद में आया था, जिस कारण हमारी सड़कें बुरी तरह से नष्ट पड़ी हुई हैं। माननीय महोदय, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि हमारे उस क्षेत्र में बहुत से इलाकों में चूंकि बहुत बड़ा यह क्षेत्र है, लगभग 50 किमी0 लम्बा और 50 कि0मी0 चौड़ा यह इलाका है। इस ग्रामीण इलाके में अभी विद्युत उपकेन्द्र के रूप में 3-4 जगहों पर, दूर-दूर केन्द्र हैं। जहां पर हमारा कछार का इलाका है, वहां की जनता की डिमाण्ड है कि विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

त्रिपाठी जी, अब संक्षेप करिये।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि एक विद्युत उपकेन्द्र बढ़याठाठर में स्थापित किया जाये जिससे कि वहां के लोगों को पर्याप्त बिजली मिल सके। मैं इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद व बधाई देता हूँ। आज हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, ऐसा बजट जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पेश किया है। इसके लिए मैं भूरि-भूरि धन्यवाद देता हूँ व बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो जनकल्याण की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश की यशस्वी जनता ने चुनने का काम किया व भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा स्थापित करने का काम किया है। उससे स्पष्ट होता है कि जनकल्याणकारी नीतियों को गरीबों तक, गांवों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है इसीलिए हमारी सरकार को भारी बहुमत मिला है। जब जनता-जनार्दन का एक प्रमाण-पत्र सरकार को मिल जाता है तो किसी दूसरे के प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण की योजनायें चली हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गरीबों के कल्याण के लिए आवास बनाने का काम किया है और ये आवास ऐसे नहीं हैं, पूर्व की सरकारें भी आवास देती थीं जो 30-40 हजार का होता था, उनमें बंदरबांट होता था, लेकिन हमारी सरकार ने जो एक गरीब का सपना होता है कि उसका एक आवास हो, उसमें एक शौचालय हो, उसमें उज्जवला गैस का सिलेण्डर हो और सौभाग्य योजना का बिजली का एक कनेक्शन हो, उसको परिपूर्ण करने का काम किया है। मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में आजादी के 70 वर्ष के बाद भी 18 हजार से अधिक गांवों और मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। जो गरीब लालटेन और डिबरी की रोशनी में पढ़ता था उसके बच्चे को भी बल्ब की रोशनी में बैठकर पढ़ने का सपना हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के द्वारा पूरा किया है। हमारी सरकार चाहे वह महिला सशक्तीकरण की बात हो, चाहे गरीब और वृद्धों के कल्याण की बात हो, हर तबके का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करके अपने प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। हमारी सरकार इस प्रदेश में उद्योग-धंधों को स्थापित करके युवाओं को रोजगार देने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और बिना भेदभाव के चहुमुखी विकास करके प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए क्रांतिकारी कार्य कर रही है।

मान्यवर, हमारी सरकार जल जीवन मिशन योजना द्वारा हर घर नल देने का काम कर रही है। हमारी सरकार एंटी भूमाफिया योजना के द्वारा जिन गरीबों की भूमि पर दबंगों के कब्जे थे, उनको हटाकर उन गरीबों को उस भूमि का स्वामित्व देने का काम कर रही है। हमारी सरकार गरीबों की योजनाएं चलाकर हर तबके को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मान्यवर, हमारी सरकार के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी रुपये 20,000 तक का लोन दिया जा रहा है जिससे गरीब अपना व्यवसाय कर सके। आज हमारी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसमें किसान आराम से अपने खेतों में पानी दे सकता है। पिछली सरकारों के समय रात में किसानों के इंजन उठ जाते थे, उनके जानवर खुल जाते थे, लेकिन आज जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है उस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित

हो गया है। पहले की सरकारें भेदभाव के आधार पर बच्चों को बांटने का काम करती थीं। चाहे प्राथमिक स्कूल हों, जूनियर स्कूल हों, बच्चों को जाति और धर्म के नाम पर सुविधाएं देने का काम करती थीं लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे आदरणीय योगी जी ने पूरे प्रदेश में सभी जाति और धर्म के बच्चों को निष्पक्षता के आधार पर सुविधाएं देने का कार्य करके सभी के साथ न्याय करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुबारा जनहित के कार्यों के कारण बनी है और जनहित के कार्य करने के कारण ही हमने भारी बहुमत से इस प्रदेश में पुनः सत्ता स्थापित की है। आदरणीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में निवेशकों का इण्डस्ट्रियल समिट करके प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। हम इसके लिए अपने प्रदेश की सरकार के मुखिया को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी दातागंज विधान सभा क्षेत्र में युवाओं के विकास के लिए एक स्टेडियम और जहां किसान गन्ना बहुत पैदा करते हैं वहां पर एक चीनी मिल की स्थापना करवा दे। इसके साथ-साथ मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री धर्मराज सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एक नारा बार-बार गूंजता है कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"। मान्यवर, विकास हुआ है लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसी सरकार नहीं देखी कि विपक्ष के विधायकों के साथ ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कभी हुआ हो। इंसान तो छोड़ दीजिये, विधायक तो छोड़ दीजिये, जिस गाय के नाम पर सरकार बनी थी, मुझसे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने कहा, पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने कहा कि गाय माता के साथ जो दुव्यर्वहार और अन्याय हो रहा है, उसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। मान्यवर, पक्ष के साथियों ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ और अपनी बात को उनसे सम्बद्ध भी कर रहा हूँ कि 30 रुपये में किसी गाय का पेट कैसे भरेगा ? इतनी निष्ठुर सरकार कोई कैसे हो सकती है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आइना दिखाना चाहता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि गोरखपुर में कई मिलें चलाई गईं। मान्यवर, बुढ़वल शुगर मिल बाराबंकी में है। हमारे नेता सदन 2017 के चुनाव में जब वहां गये थे तो वहां इन्होंने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बुढ़वल शुगर मिल चलाने का काम करेंगे। मान्यवर, बाराबंकी से ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार क्यों है ? मान्यवर, अगर देखा जाये तो इस प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं चली हैं, उनमें प्रधानों के साथ, उनके हक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी योजना सरकार से बनकर जाती है और प्रधान के खाते से पैसे निकालकर पूरी तरह से दबाव बनाया

जाता है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। इस बार का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 परसेंट प्रधान हर गांव के हारे हैं और नये प्रधान हुए हैं। उनका पैसा जरूर उनके खाते में जाता है, लेकिन वह एक मीटर नाली बनाने में अपने आपको असहाय पाते हैं। उनको जनपद स्तर से निर्देशित किया जाता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि पहले ये करो, पहले वो करो। अब अमृत सरोवर बनाने के लिए प्रधानों पर पूरी तरह से सरकार से पूरा दबाव बनाया जा रहा है और कार्य शुरू भी हो गया है। मान्यवर, एक-एक अमृत सरोवर की लागत 45-45, 50-50 लाख रुपये है और उस प्रधान के खाते में पांच साल में 12 लाख रुपये भी नहीं आना है तो यह पैसे की व्यवस्था कहां से होगी ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को आइना दिखाना चाहता हूँ। जब से सरकार बनी है, तमाम सदस्य ऐसा कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में पूरा रामराज्य आ गया है, स्वर्ग हो गया है। जनता ने काम करने के लिए आपको जिताकर भेजा है, जनता ने विपक्ष को भी जिताकर भेजा है, लेकिन आप सोचें कि जो बातें अभी हमारे सदस्यों ने उठाई हैं कि थाना, तहसील का क्या हाल है ? हमने यहां तक अभी इसी सदन में सुना कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम लोगों की गरिमा गिरी है। यह अफसोसनाक बात है कि हम लोगों की गरिमा गिरी है। जैसा कहा कि एक सवाल लगाते थे तो अधिकारी घर पहले पहुंच जाता था। मान्यवर, इसमें किसका दोष है ? प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार का ही तो दोष माना जायेगा। वास्तव में हमारी गरिमा गिरी है। हमारे सभी विधायक बैठे हैं, कई विधायक यहां नहीं कहते, लेकिन बाहर कहते हैं कि हमारे थानेदार, तहसीलदार, फोन नहीं उठाते हैं। मान्यवर, अगर आज देखा जाये तो सड़कों की हालत, जहां-कहीं सही होगी तो होगी, लेकिन बाराबंकी यहां से केवल 20-25 कि0मी0 दूर है, वहां पैदल चलना दुश्वार है, यह हालत सड़कों की हो गयी है। मान्यवर, महंगाई उस चरम-सीमा तक पहुंची है कि नहाने से खाने तक का सभी कुछ महंगा हो गया है। कोई भी व्यक्ति यह कह दे कि हम महंगाई पर गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहता हूँ, मुख्य मंत्री आर्थिक सहायता योजना चल रही है, बहुत से लागों को, तमाम बीमार लोगों को पक्ष-विपक्ष के सभी विधायक पैसा दिलाने के लिए अपना पत्र और अनुरोध पत्र लिखते हैं, मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर 5 लाख रुपये का एस्टीमेट है तो उसको ढाई लाख करने का काम होता है, यह आदेश किसके जरिये पारित होता है ? अगर 50 हजार का एस्टीमेट है तो 25 हजार रुपया पारित होता है। एक गरीब इंसान जो सरकार और विधायक जी के सहारे रुक कर इलाज करा रहा है, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूंकि डॉक्टरों ने ही वह एस्टीमेट बनाया है कि इसके अलाज पर कितना खर्च आयेगा तो उसमें कटौती न की जाये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आज देखा जाये तो इस प्रदेश में मुद्दों से भटकाने वाली सरकार है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत की आग

में प्रदेश को पूरी तरह से झोंकने का काम कर रही है। इस सरकार में एक तरफ महंगाई मुंह बाये खड़ी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपया गिर रहा है, चीन पैंगांग पर पुल बना रहा है और हम हिन्दू, मुसलमान की बात कर रहे हैं, मन्दिर, मस्जिद की बात कर रहे हैं। यह देश-प्रदेश, हिन्दू, मुसलमान से नहीं चल सकता है। गरीब के पेट में रोटी कैसे जाये, हमारा बच्चा शिक्षित कैसे हो और तमाम युवा बेरोजगार रोजगार कैसे पायें, व्यापारी व्यापार कैसे करें और किसान को उचित समय पर उचित मूल्य में खाद-पानी और बिजली जैसी चीजें कैसे मिलें, क्या इन सब चीजों से देश और प्रदेश चलेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहा करते थे और हमेशा कहा है कि प्रदेश में किसान जब तक तरक्की नहीं करेगा तब तक पूरा देश-प्रदेश कभी तरक्की नहीं करने वाला है। आज अगर देखा जाये तो प्रदेश में 11 हवाई अड्डे बन रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि 11-11 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है लेकिन इनको बनाने की जरूरत क्या है, जब हम लोग इनको प्राइवेट कर चुके हैं। जनता के पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम यह सरकार कर रही है। यह हवाई अड्डे बनाने की जरूरत क्या है? जब से यह सरकार बनी है तब से मैं अपने बाराबंकी जनपद की समस्याएं उठा रहा हूँ और इस सरकार ने अभी तक कोई भी काम नहीं कराया है। बाराबंकी शहर को टाउन एरिया बंकी से जोड़ने के लिए अन्डर पास या ओवर ब्रिज बनाने की कृपा की जाये और बाराबंकी शहर में वर्ष 2016 से बने बस अड्डे पर लगभग 80 प्रतिशत बसें बस अड्डे होकर नहीं जाती हैं, उस पर बसों के संचालन की व्यवस्था परिवहन मंत्री या माननीय नेता सदन से अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस पर बसें जाने का काम शुरू हो जाये तो मैं माननीय नेता सदन का आभार मानूंगा और मैं अन्त में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातों से अपने आपको पूरी तरह सम्बद्ध करते हुए इस बजट में संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस सदन में कई सदस्यगण का भाषण सुन रहा था। यहां पर बिजली की काफी सारी बातें हुई हैं। बिजली के बारे में दो, तीन बातें मैं कहूँगा। एक तो यह कि जो बार-बार कहा जा रहा है कि बिजली 2 घंटे आती है या 4 घंटे आती है, यह आपका घंटा गिनने का तरीका वैसे ही है जैसे आपने अपनी सीटों को गिन लिया था। आपको आंकड़ा और फीगर समझ में नहीं आता है तो इसलिए आपने सब कुछ पता लगाकर के ही 400 सीटों का सोचा था और वैसे ही यह आपका घंटा का भी है। एक बात आप सबके ज़हन में होनी चाहिए कि जब आप शासन में थे उस समय जो पीक डिमांड हुआ करती थी, जो तो सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करते थे वो 14 हजार, 13 हजार मेगावाट के आसपास होती थी, वह आज हमारी सबसे कम (नॉन-पीक) डिमांड है। जब बिजली हम कम देते हैं तब आपके

बराबर बिजली देते हैं। आपका लक्ष्य ही उस समय 11 घंटे या 12 घंटे होता था, तब पूर्ति तो उतनी ही होगी।

हमारा रोस्टर के हिसाब से जिला मुख्यालय पर, तहसील पर लक्ष्य 24 घंटे का है, और तहसील पर 21.30 घण्टे, 18 घण्टे, 20 घण्टे का है और हम उस हिसाब से देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास जो अधिकृत फीगर है मैं उसे पढ़कर बताता हूँ। रोस्टर के हिसाब से 24 घण्टे जनपद मुख्यालय में बिजली मिलनी चाहिए, उसे हम दे रहे हैं। तहसील में 21.30 घण्टे का हमारा लक्ष्य है और 21 घण्टे 31 मिनट कल का हमारा फीगर है, इसमें कहीं कोई झूठी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे का रोस्टर है उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें इधर आंधी, तूफान, पानी की वजह से आईं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जैसे पेड़ गिर जाता है कहीं खम्भा गिर जाता है ये परिस्थितियां हमारे काबू से बाहर होती हैं। लेकिन इसके बावजूद साढ़े 17 घण्टे से ऊपर बिजली दी गयी है। बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारा रोस्टर 20 घण्टे का है और वहां भी हम 23 तारीख की फीगर हम बता रहे हैं, 19 घण्टे 47 मिनट हमने बिजली दी है। एक दूसरा प्रश्न बार-बार आता है कि हमने इतना किया, योगी जी ने क्या किया। यह जरूर आपके मन में होगा और कल पूरी बात हो नहीं पायी थी इसलिए मैं आज यह बात कह देना चाह रहा हूँ कि आपके समय में जो बिजली का उत्पादन हो रहा था उसमें हजारों मेगावाट की बढ़ोत्तरी माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुई है। आपको अगर याद रखना हो, नोट करना हो तो नोट कर लें, ओबरा, पनकी, जवाहरपुर, घाटमपुर, इसमें से हरदुआगंज का अभी फरवरी में भी एक यूनिट का उद्घाटन हुआ, ये सारे के सारे पावर प्लांट बनने की प्रोसेस में हैं, पाइपलाइन में हैं और कुछ ही महीने में हमारी उत्पादन क्षमता, अभी तक की थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता की लगभग दोगुनी होने की तैयारी में है। दूसरी बात, कि यदि आपने अपने समय में इतना पराक्रम किया है तो 1 लाख 21 हजार मजरे जिन्हें पिछले दो सालों में हमने ऊर्जीकृत किया है, वह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया। हमने पिछले पांच साल में 1.41 लाख घरों को कनेक्शन दिया है, यह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया। आपकी बिजली हर घर, हर झोपड़ी में पहुंचती थी तो ये घर कैसे रह गये। अभी कहा जा रहा था कि झोपड़ों में लाइट नहीं आती, यदि झोपड़ों की इतनी चिन्ता थी तो पांच साल के अपने शासनकाल में कर लिये होते तो हमें यह काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आजमगढ़ की बात उदाहरण दे करके हो रही थी कि आजमगढ़ में रास्ता नहीं है। अरे आजमगढ़ से कोई पूर्व मुख्य मंत्री रहा है, कोई सांसद रहा है, कोई वहां से विधायक रहा है। एक इटावा और एक आजमगढ़ दो ही जगह से आपकी सरकारें चलती थीं। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि आप लोग गरजते थे आजमगढ़ में और बरसते थे इटावा में। आजमगढ़ के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को यह बात समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि जो 24 घण्टे बिजली देने की बात आप करते हो, वह प्रदेश के एक ही गांव में आती थी। आप उस गांव में कई बार गये होंगे, इटावा जिले का वह गांव है वहां कई बार आप लोग नमस्ते करने, प्रणाम करने, अपने-अपने लिए

टिकट मांगने गये होंगे, मात्र उसी एक गांव में 24 घण्टे बिजली आती थी। बाकी गांवों की स्थिति को आप जानते हैं। उसको आपका दिल जानता है और जो हमारी सदस्या कह रही थीं, वह स्थिति उस समय थी और उस समय की स्थिति को वह बयान कर रही थीं। और सुन लीजिए हम बिजली कोई गांव देखकर नहीं देते हैं हम सबको बिजली देते हैं।

आपके 2012 से 2017 के समय में जो एवरेज बिजली की सप्लाई थी उसकी डेढ़ से दो गुना बिजली हम दे रहे। आपके समय में बिजली का जो लाइन लॉस था वह 40 प्रतिशत से ऊपर था। उसको हम धीरे-धीरे करके 28-29 प्रतिशत तक ले आये हैं। आपके समय में 2016-17 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे सब स्टेशन थे, वह फिगर हमारे पास है वह फिगर मैं आपको दे दूँगा, आप चेक भी कर लेना अपने समय के अधिकारियों को बुलाकर। बिजली के अधिकारियों की आप बड़ी बात कर रहे थे, सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड का घोटाला अगर हुआ है वह हमारे योगी जी की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी उस समय हुआ है। और बात रही बिजली की व्यवस्था करने की वह भी सुन लीजिये-2016-17 तक जब आपकी सरकार थी, उस समय हमारे 33 के0वी0 और 11 के0वी0 सब-स्टेशनों की संख्या 3817 थी और आज की तारीख में मा0 योगी जी के 5 साल के शासन के बाद हमारे सब-स्टेशन की संख्या 4522 हो गयी है। मतलब कि 705 सब-स्टेशन और अधिक। मा0 योगी जी की मात्र 5 साल की सरकार में 1413 सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि की गयी है। मैं बता रहा था अगर आप लागों के इतने ही हितैषी थे, हर घर में, हर गली में झोपड़ी में अगर बिजली दे पाये तब फिगर सुन लीजिये अपने समय का, आपके समय जिन घरों में बिजली पहुंची थी, उनकी संख्या थी 47.75 लाख, आज की स्थिति में उसमें 1 करोड़ 43 लाख का इजाफा हुआ है और आपके इस पूरे 5 साल के शासन में 2012 से 2017 तक के शासन काल में जो आप प्रतिवर्ष काम करते थे, उसकी गति सुन लीजिये। वह गति थी कि आप लगभग 9.50 लाख हाउस होल्ड प्रति वर्ष करते थे। उसमें 201 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मा0 योगी जी की सरकार में 28.7 लाख प्रति वर्ष की गति से हमने काम किया है। जो मजरे छूट गये थे, 1 लाख 21 हजार 324 सोचिये, लगभग 1 लाख तो गांव भी नहीं हैं। अगर 75 जिलों में 1000 के हिसाब से भी सोचें तो 70-75 हजार गांव होते हैं उनके छोटे-छोटे मजरे होते हैं। जितने हमारे गांव हैं उनसे भी ज्यादा लोग हमारे जो लोग रहते हैं वो छोटे-छोटे मजरे थे, गली मोहल्ले थे, उनको आपने छोड़कर रखा हुआ था और केवल कुछ गांवों में, कुछ जिलों में बिजली की व्यवस्था आपने कर ली। उसको आप दिखाते थे कि पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था हो गयी है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बैठ जाइये। चूंकि बिजली सबकी आवश्यकता है इसलिए शांतिपूर्वक सुन लें कि मंत्री जी आगे क्या देने वाले हैं ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय मंत्री जी, बिजली के बारे में बोल रहे हैं ? लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 05 साल में कितने सब-स्टेशन बनाये ? हमारी सरकार ने तहसील का अलग और देहात क्षेत्र का अलग सब-स्टेशन बनाया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य बैठ जाईये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आपकी चिंता में मैं भी शामिल हूँ। सबको अच्छी बिजली मिलनी चाहिए इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके समय में प्रतिवर्ष जो लाइनें लगाते थे उसकी गति क्या थी ? आपकी गति 1700 कि0मी0 प्रतिवर्ष की गति थी, उसको दोगुना करते हुए माननीय योगी जी की सरकार ने 3537 कि0मी0 प्रतिवर्ष की गति से लाइनें बिछायी गयी हैं। आप बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे थे, आप कहते थे कि जिन लोगों को आप जानते हैं या जो लोग आपके पास आते हैं वो सभी बिजली का बिल नियमित रूप से भरने वाले लोग हैं। वो अपने-अपने प्लाट पर अपना-अपना मकान बना करके, अपना-अपना बिजली कनेक्शन लेने वाले लोग हैं। आप बता रहे थे कि बड़े नियम से चलने वाले सारे लोग हैं, जो लोग आपके पास आते हैं। तो आपके समय की लाइन लॉस थी वह 40 प्रतिशत क्यों थी और उसे घटा करके माननीय योगी जी की सरकार ने 28-29 प्रतिशत कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, अब कनक्लूड कर दीजिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करूँगा, लेकिन अभी की बात सुन लीजिये कि हमारे सिस्टम में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। हमने बहुत सारे फीडरों की लाइनों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां लटकते हुए तार थे, कल भी मैंने बताया था कि लटकते हुए तार आपकी देन हैं, इन लटकते हुए तारों को ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने पांच साल पहले अपनी सरकार में और उसके पहले की जो तीन सरकारे हैं उसमें हर प्रकार की अव्यवस्था फैलायी थी, उसमें बिजली विभाग उसका सबसे बड़ा शिकार हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, अब कनक्लूड करिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैंने तो यहां तक सुना है कि जिन अधिकारियों ने प्रोविडेंट फण्ड का घोटाला किया, उन अधिकारियों की पहुंच मुख्य मंत्री कार्यालय में सीधे थी। बाद में उन अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ा। ऐसे-ऐसे अधिकारियों को कारपोरेशन में एम0डी0 बनाया गया, बिना किसी क्वालिफिकेशन के आपने ऐसे-ऐसे लोगों को बैठाया हुआ था। इसलिए आपको पिछले पांच सालों में हुए कामों पर कोई उंगली उठाने का हक नहीं है। वर्तमान में हम लोग परिस्थिति से बहुत सजग हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली अगर दी गयी है तो इस महीने की 15 तारीख को 25934 मेगावाट बिजली दी गयी है। आपने कभी सोचा नहीं था जैसा मैंने कहा कि जो आपका पीक लोड होता था, वह हमारा मिनिमम लोड होता है।

एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि बिजली विभाग के लोग जगह-जगह जाकर कनेक्शन काट रहे हैं। हम तो कामर्शियल आर्गेनाइजेशन हैं, हम अपने सभी उपभोक्ता की लाइन क्यों कार्टेंगे, उसी से तो हमको इनकम हो रही है। हम उपभोक्ता को बिजली देते हैं और उपभोक्ता हमको पैसे देता है। हम कनेक्शन काटने के लिए मात्र और मात्र ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां जिसका प्लाट नहीं है, अनाधिकृत कब्जा करके किसी ने मकान बनाया है तो स्वाभाविक बात है कि उसको नियम के हिसाब से बिजली नहीं मिलती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी अब आप समाप्त करिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर किसी ने किसी की दुकान पर गलत कब्जा करके अपना खूंटा गाड़ दिया है, तो हम लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि उसने कनेक्शन नहीं लिया है, वह बिजली का बिल नहीं भरता है। हम केवल ऐसी जगहों पर ही जा रहे हैं, जहां बिजली की चोरी हो रही है। जो लोग आप जैसी सरकारों के राजनीतिक शरण में थे, उन माफियाओं के, उन गुण्डों के घर जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर बिजली का बकाया है, वह हमको दे दो। आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय राज्यपाल जी के प्रस्ताव पर धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ-साथ विपक्षी दल को आश्वस्त करता हूँ कि बिजली की व्यवस्था पर कोई टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह चर्चा केवल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही थी।

श्री अधिष्ठाता-

उसी अभिभाषण पर बोल रहे थे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ठीक है यह उसी का हिस्सा है। माननीय मंत्री जी 18 मिनट बोले हैं। मैं यह चाहता हूँ कि जो 5-5 मिनट का समय पीठ से दिया गया था, उसमें यह नहीं है कि मा0 मंत्री जी को कोई अलग से समय दिया जाय। लगातार 3 सदस्य अब विपक्ष से भी बुलवा लिया जाये। बिजली विभाग पर आपके द्वारा कम से कम 2 घण्टे की चर्चा स्वीकृत कर दी जाये। पीठ से मेरी मांग है कि जब कोई मा0 सदस्य किसी के बोलते समय कोई टिप्पणी कर रहा है तो कम से कम उन सभी मा0 विधायकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। जो मा0 विधायकों लोग रे-ते करके बात करते हैं यह मर्यादा के विपरीत है। 4-5 लाख वोटर ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है कि आप बहुत संस्कारी होंगे, बहुत व्यवहारिक होंगे, बहुत कर्मठी होंगे, आप सबकी समस्याओं को उठायेंगे और आप इस तरह से बात करते हैं तो थोड़ा-सा मन दुःखी होता है। सभी मा0 विधायकों से मेरा यह अनुरोध है कि कम से कम पीठ की मर्यादा का ख्याल रखें, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा का ख्याल रखें, यह मेरा सबसे विनम्र निवेदन है।

श्री मनोज कुमार पारस-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बड़ी उम्मीदों से लोगों ने सरकार बनायी होगी। या तो आप अपने क्षेत्र की चर्चाओं से बाहर हैं या तो आप उन चर्चाओं में विश्वास रखते हो कि यह सरकार कैसे बनी और वाकई अगर यह सरकार वोट देकर, वोट लेकर बनी तो कम से कम हर सरकार का यह दायित्व होता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसी योजना बनायें जिससे जनता को फायदा हो यहां से बोलने का मतलब यह है। अगर हम लोग आपके पक्ष में नहीं विपक्ष में बोल रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ आलोचना करना नहीं है। आपको सुझाव देना चाहिए इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरे प्रदेश की जनता पुलिस के डर से खौफ में है कि कहीं झूठे मुकदमे न लगा दिये जायें, कहीं ई0डी0 का डर सताता है, कहीं आई0बी0 का डर सताता है, कहीं सी0बी0आई0 का डर सताता है और अब तो एक और नया डर हो गया है जिसे बुलडोजर का डर कहते हैं। पता नहीं कब और कहां चला जाये। कोई नोटिस नहीं, कोई जांच नहीं, जहां जाकर किसी के भी खिलाफ चाहे गरीबों की झोपड़ियां तोड़नी हों, चाहे दुकानें तोड़नी हों, चाहे मकान तोड़ने हों मैं अपने क्षेत्र की एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। नगीना में अभी बहुत पुरानी एक सब्जी मण्डी थी बीच शहर में उस सब्जी मण्डी में बगैर कोई नोटिस दिये उस

सब्जी मण्डी पर बुलडोजर चला दिया गया और कम से कम सौ लोग वहां से रोजी-रोटी चलाते थे और वह एक पुराने किले की जमीन थी नगर पालिका की भी जमीन नहीं थी लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल नगर पालिका को फायदा पहुंचाने के लिए क्योंकि आज जो दुकानें गरीब वहां पर बैठकर चलाते थे उन दुकानों का मात्र सरकारी रेट तो होगा 10 लाख लेकिन 40 से 50 लाख में वह दुकानें दूसरों को बेच दी जाएंगी और उनको बेघर कर दिया जायेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो बुलडोजर का डर है इस डर को कुछ कम कर दीजिए। हम यह नहीं चाहते हैं कि जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनको आप न उजाड़िये। लेकिन आज जो गरीबों की झोपड़ी ग्राम समाज में किन गांवों में किसके पास कागज हैं, किसके पास जमीन-जायदाद है, उसके कागज रखे हैं वह सब ब्लाक या ग्राम समाज में लोग रहते थे लेकिन ग्राम समाज के नाम पर जिसे चाह रहे हैं उसको उजाड़ दिया जा रहा है उस पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे डर और ऐसे खौफ में जीने वाली जनता के लिए किसी शायर ने कहा है कि **"निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा कर चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस्मों जहां बचा कर चले"।**

आज यह प्रदेश का हाल है कि लोग डर में जी रहे हैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि इस पुलिस और बुलडोजर का डर खत्म कीजिये क्योंकि अगर आपको जनता ने वोट देकर जिताया है तो, इस डर को खत्म कीजिये। दूसरा अभी कोरोना का जिक्र चल रहा था कोरोना कैसे आया है यह सब जानते हैं अगर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी जाती तो हमारे देश में कोरोना नहीं आता। लेकिन कोरोना जब आया तो समझ लीजिये कि उसके बाद कोरोना के फैलने के लिए जो बेचारे दूसरे देश से यहां पर आये थे केवल वोट बैंक की खातिर एक समुदाय को इतना बदनाम मीडिया के माध्यम से करा दिया गया कि अगर सारे देश में कोरोना को फैलाया है तो जमातियों ने फैलाया है लेकिन यह तो कोर्ट की बात है कुछ दिनों बाद न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और सारे दुनिया को पता चल गया कि कोरोना कैसे फैला है। अभी कोरोना में लोग कह रहे थे कि हमने राशन बांटा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर राशन बांटना शुरू किया है तो पहली लहर में कोई राशन नहीं बंटा। मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने कोरोना के वक्त में जो लोग पैदल एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे और लॉकडाउन लगा दिया गया था न उनके खाने की कोई फिक्र की गई। आपने भी देखा होगा अधिष्ठाता महोदय कि किस तरह से लोग पैदल चल रहे थे और उनके पैर में छाले पड़ गये थे। वह दृश्य याद कीजिये कि एक मां अपने बेटे को ब्रीफकेस पर लेकर के 700 किलोमीटर का सफर तय करती है। एक हमारी बेटी गुड़गांव से लेकर के वाराणसी तक का साइकिल पर सफर तय करती है अपने पिता को लेकर ऐसे-ऐसे हादसे आपने देखे होंगे और लोग जब थक-हार कर सड़क पर सो जाते थे उनके ऊपर से ट्रक चले जाते थे और जो लोग रेलवे के किनारे सो जाते थे उनके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती थी हजारों लोगों की जान चली गई लेकिन यह कहते हैं कि हमने राशन बांटा है। मैं खुद

गवाह हूँ कि अगर मैंने राशन बांटने की कोशिश की तो मुझ पर और मेरे परिवार पर तीन मुकदमे लॉकडाउन के समय लिखे गये। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह हिन्दुस्तान सब ने बनाया है यह हिन्दुस्तान किसी एक का हिन्दुस्तान नहीं है।

इसलिए हमारे स्वामी जी की बात पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूँ और सबकी भावनाओं पर बल देना चाहता हूँ कि इस हिन्दुस्तान की आजादी में सबका खून शामिल है और इस हिन्दुस्तान की आजाद में सबका खून शामिल होने की वजह से आज लोग एक-दूसरे के खाने पर पाबन्दी लगा रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं। वह बहुत विद्वान हैं, बहुत सीनियर भी हैं और मेरे ख्याल से लगातार 8-9 बार से विधायक भी हैं लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज के या हिन्दू समाज के जो लोग नानवेज खाते हैं तथा खाने की परम्परा लोग सदियों से अपने हिसाब से करते आये हैं, लेकिन आज उस खाने की परम्परा पर पाबन्दी लगा करके आज उन लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। इसलिए क्यों नहीं नगर पालिका अथवा किसी अन्य माध्यम से स्लॉटर हाउस खोल दिये जायें, जहां पर इस तरह के खाने की व्यवस्था हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप कनक्लूड करिये। इसके बाद मा0 सदस्य श्री पल्टूराम जी को बोलना है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट का वक्त आपसे और चाहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर स्लॉटर हाउस खोलकर विधिवत तरीके से व्यवस्था हो जायेगी तो सभी का भला होगा और आज पुलिस जो अवैध वसूली कर रही है उस पर रोक लगेगी।

(इस मध्य विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बोलने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य पल्टूराम जी के बाद आपको मौका दे देंगे। मा0 सदस्य पल्टूराम जी, आप बोलिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, अन्त में एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा-

'हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबां थोड़ी है। लगेगी आग तो आयेंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब-ए-मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किरायेदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़ी है।'

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपका समय समाप्त हो चुका है। मा0 पल्टूराम जी, आप प्रारम्भ कीजिये।

श्री पल्टूराम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय प्रदान किया। मैं बलरामपुर की धरती से चुनकर आता हूँ। नीति आयोग के सर्वे के अनुसार बलरामपुर उत्तर प्रदेश के उन आठ पिछड़े जनपदों की सूची में आता था और जिस बलरामपुर ने दो-दो भारत रत्न दिये। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने लिए नहीं बल्कि हम अपनों के लिए जीते हैं जो लाचार और जो बेबस हैं, लेकिन उस बलरामपुर के साथ पूर्व की सरकारों ने, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने जिस तरह से नाइंसाफी की कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया तब नीति आयोग ने मजबूर होकर के उत्तर प्रदेश के उन आठ पिछड़े जनपदों की सूची में बलरामपुर को शामिल करने का काम किया। मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने नीति आयोग के सर्वे के महज तीन साल के अंदर ही बलरामपुर में उन मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया है तथा अभी जो नीति आयोग के सर्वे की सूची एक सप्ताह पहले आयी है, उसमें आज बलरामपुर जनपद उन पिछड़े जनपदों की सूची से बाहर आ गया है। मैं पिछले पांच साल से यह सुनता आया हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वह गरीबी की परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से रखने का काम करते हैं। जब वह सत्ता में रहते हैं तो गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं होता है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता डॉ0 बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर और एकात्म मानववाद के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति का उदय ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए डॉ0 बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने तीन मूल मंत्रों में शिक्षा को प्रथम अध्याय माना था। विपक्षी पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी सरकारों के दौरान अगर आपको गरीबी से मतलब था तो फिर आपने शिक्षा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया ? शिक्षा की तरफ ध्यान देने का काम योगी सरकार ने किया। जिस गरीब आदमी का बेटा प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले अपने हाथ में बोरा और टाटपट्टी लेकर के जाता था और आवारा पशुओं के गोबर को साफ करके वहां बैठने का काम करता था और आजादी के इतने लम्बे समय के बाद डॉ0 बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर और पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को 'मिशन कायाकल्प' के तहत अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को टक्कर

देने का काम किया जहां आज चमचमाती टाइल्स पर गरीब समाज के बेटे पढ़कर के अपनी जिन्दगी को रोशन करने का काम कर रहे हैं।

जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है उस स्वास्थ्य के विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत की योजना लागू करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने उन गरीबों के आंसुओं को पोछनें का काम किया है, भगवान न करे कि किसी के घर में कोई बीमार हो लेकिन जब बीमार हो जाता है तो वह व्यक्ति अपनी चल और अचल सम्पत्ति को किसी बड़े आदमी के घर पर गिरवी रखकर अपने परिवार की बीमारी को खत्म करने का प्रयास करता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीबी को मैंने धरातल से देखने का काम किया है। बचपन में मेरे माता-पिता मजदूरी करके मुझे पढ़ा-लिखा कर आज उत्तर प्रदेश की इस पवित्र विधान सभा में दूसरी बार भेजने का काम किया है, इसलिए अदम गोंडवी एक शायर जो गोण्डा के थे उन्होंने कहा था कि **"खुदी सुकरात की हो याकि हो रुदाद गांधी की, सदाकत जिन्दगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे कपड़ों में तन ढांके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है।"** आज अगर गांव के विकास के लिए किसी ने सोचा है तो आजादी के इतने लम्बे समय के बाद मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के उस भाषण पर बल देते हुए बलरामपुर जनपद में श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर मा0 योगी जी ने जो मेडिकल कालेज बनवाने का काम शुरू किया है, वह काम अपने आप में एक विशाल काम है जो बलरामपुर से होकर नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, वह तराई जनपद है जहां राप्ती के बाढ़ के कारण पता नहीं कितने लोग अनेकानेक बीमारियों में आकर अपना उपचार नहीं करा पाते हैं, आज अगर बलरामपुर में मेडिकल कालेज बनवाने का काम किसी ने किया है तो मा0 योगी जी ने किया है। आज बलरामपुर जनपद के विकास की रूपरेखा को बहुत विस्तार से रखने में समय लग जायेगा। इसलिए गोण्डा से लेकर बलरामपुर की सड़क, जरवल से लेकर गोण्डा की सड़क, बलरामपुर से लेकर तुलसीपुर पकपड़वा होते हुए जो महाराजगंज के जनपद को जोड़ने का काम करती है, बलरामपुर से बिलहर से लेकर गौराजोई व सिद्धार्थनगर को जोड़ने का काम करती है। मैं आज चुनौती देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ अपने उन विपक्ष के साथियों को कि आओ और उस पावन धाम का दर्शन करो और विकास के काम को अपनी आंखों से देखो। तब पता चलेगा कि योगी और मोदी ने क्या काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं एक शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे बलरामपुर जनपद में रिंग रोड न होने के कारण जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, इसलिए हमारे जनपद में रिंग रोड बनवाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैं पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

सभी सदस्यों को नमो बुद्धायः जय भीम जय संविधान। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर मैं बल देती हूँ। मैं ऊषा मौर्या नवनिर्वाचित सदस्य-242 हुसैनगंज क्षेत्र, हुसैनगंज, फतेहपुर। आज अपने आपको मैं सौभाग्यवती मानती हूँ कि मुझे इस विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश की 18वीं विधान सभा में यहां मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले अपने पूज्य पति स्वर्गीय मुन्ना लाल मौर्या जी को याद करते हुए इस विधान सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जो 13वीं विधान सभा में मंत्री के रूप में इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके विश्वास के कारण मैं आज यहां उपस्थित हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी विधान सभा 242 की प्रतिनिधि होने के नाते आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहूँगी। मेरा विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है जिसके कारण आम ग्रामवासियों को बुनियादी चीजों के लिए भी अत्यन्त कष्ट का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले दोआब का क्षेत्र होने के कारण हमारे क्षेत्र का लगभग 55 किलोमीटर का इलाका गंगा से लगा हुआ है जहां सिंचाई और पेयजल नागरिकों की आम समस्या है। यह मूल सुविधाएं न होने के कारण किसानों को प्रतिवर्ष बड़ी तादात में नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मवई व मोहम्मदपुर गौंती क्षेत्र में नये पावर हाउस का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है जो फिलहाल हर जगह एक बड़ी समस्या है। विधान सभा क्षेत्र में बिजली की खपत अधिक है और ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत कम। अतः ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे बिजली की समस्या का निराकरण हो सके। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें बहुत दयनीय हैं। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र की कमी होने के कारण गंगा किनारे लगभग 40 गांवो के लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द अन्य ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायी जाये और नागरिकों की समस्या का निदान किया जाये। विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भिटौरा के अन्तर्गत 5 ग्राम पंचायत में फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से लोग गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कृपया यहां शुद्ध पेयजल सुनिश्चित कराया जाये। जनता को मुझसे बहुत उम्मीदें और आशायें हैं। महोदय कृपया इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इनका निराकरण कराने का कष्ट करें ताकि हमारा क्षेत्र भी प्रदेश के विकसित क्षेत्रों की श्रेणी की ओर बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री विनय वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ0 मन्जू शिवाच द्वारा प्रस्तुत एवं श्री साकेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का

अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की जिन विकास नीतियों को प्रस्तुत किया गया है, उसका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, मैं नव निर्वाचित सदस्य अपना दल सोनेलाल पटेल के रूप में विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर से प्रथम बार वहां की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल को एक नई पहचान दी है। उच्च श्रेणी की मार्केटिंग और गुणवत्ता के कारण आज काला नमक चावल की खुशबू सिद्धार्थनगर से निकलकर प्रदेश भर में अपनी महक बिखेर रही है।

काले नमक, चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और लागत कम हुई है जिसका सीधा फायदा क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है। मैं इस संबंध में आग्रह करता हूँ कि तराई क्षेत्र में काले नमक चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने में सरकार द्वारा ध्यान दिया जाये तो राज्य, देश में ही नहीं व विदेश में भी ब्रांडिंग की जा सकती है जिससे प्रदेश सरकार का नाम भी रोशन होगा। जय हिन्द जय भारत।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है आपका आभार और धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहती हूँ 18वीं विधान सभा में चुनकर आये सभी सदस्यों को कि, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और अपने-अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बनेंगे। मैं बधाई देना चाहती हूँ महामहिम राज्यपाल जी को कि, इस सदन में आकर अपना अभिभाषण किया और इतने व्यवधान उत्पन्न किये गये उसके बावजूद भी उनका अभिभाषण पूरा हुआ। मैं बधाई देती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की उस वक्त पंक्तियां याद आ रही थीं। जब आदरणीय महामहिम राज्यपाल बोल रही थीं। कहते हैं, **देखकर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकताते नहीं भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं हो गये एक आन में उनके बुरे दिन भी भले सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले।** इसी तरह का भाव मेरे मन में आ रहा था जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण कर रही थीं और आज जब उनके पक्ष में बोलने का मौका मिला है। मैं उनको बधाई देती हूँ यशस्वी मुख्य मंत्री जी को जब से उन्होंने इस प्रदेश की कमान संभाली एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। चाहे हाई-वे की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे घर-घर राशन पहुंचाने की बात हो। मैं जानती हूँ आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो मैं आज इस सदन में बोल रही हूँ मैं पहली बार विधायक चुनकर आयी हूँ और आगरा की मेयर भी रही हूँ और आज मुझे जब मौका मिला है इस सदन का सदस्य बनने का तो मैं दाऊ जी की पवित्र धरती हाथरस से आती हूँ जो गुरू, सन्यासियों, साधुओं, खलीफाओं की धरती है उस धरती से मैं चुनकर आती हूँ और आज जब मैं अपनी बात यहां बोल रही हूँ

मुख्य मंत्री जी के बारे में गर्व और सम्मान से कह सकती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए इस प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यह एहसास कराया कि मैं उनके साथ हूँ और सरकार उनके साथ है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने सारे जिलों के दौरे किये और व्यक्तिगत तौर पर जाकर सुविधाओं के जायजे लिये और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्य मंत्री होना बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि मुख्य मंत्री सभी पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों सभी के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं।

मैं बधाई देना चाहती हूँ यशस्वी मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने तय किया है। **हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। राम काजु कीन्हैं बिना मोहि कहां विश्राम।** ऐसे आदरणीय योगी जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ जिनका संत का जीवन है और संत जीवन में काम को बहुत ही सक्रियता से करते हैं। और कानून व्यवस्था की जब मैं बात करती हूँ तो ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि बुलडोजर का भय लोगों के मन में है। मैं बताना चाहती हूँ कि बुलडोजर का भय सिर्फ अपराधियों के मन में है। जबकि नागरिकों के मन में तो उत्साह और सुरक्षा की भावना है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके नागरिकों के जीवन की स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा की होती है और इसको सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि इस समय अपराधी जेलों में जा-जाकर सरेण्डर कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर वह उत्तर प्रदेश की धरती पर रहेंगे तो जेल के अंदर ही ठीक हैं नहीं तो, उनको उत्तर प्रदेश की धरती से बाहर रहना पड़ेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूँ कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अपनी उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास का स्मरण हमें नई ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नये विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्म निर्भरताओं का अमृत। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपने को साकार करने का त्यौहार है और वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार है। मैं कहती हूँ कि हमारा विधान मण्डल इस लोकतंत्र का लघु मन्दिर है। जब आदरणीय मोदी जी संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो इस पवित्र मन्दिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले उन्होंने अपना मस्तक संसद की सीढ़ियों पर रखा था। हम आज इस मन्दिर के अंदर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मन में भी यह भावना होनी चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर बैठे हैं हम उसके सदस्य हैं। हमारा कोई आचरण, हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई शब्द ऐसा ना हो जो इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाये।

(इसी मध्य सायं 7 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करिये।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस हाथरस की धरती से आती हूँ, उसके बारे में दो-तीन बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने हमारे जिला हाथरस को मेडिकल कालेज दिया है और जिला जेल दिया है, जिला न्यायालय दिया है और उसका काम तीव्र गति से हो इसकी मांग मैं आपके सामने रखती हूँ। हमारे सासनी में बेटियों के लिए डिग्री कालेज बन जाये मैं यह मांग आपके सामने रखती हूँ। खारे पानी की समस्या हमारी विधान सभा क्षेत्र और विकास खण्ड सासनी में है मैं आपके सामने मांग रखती हूँ कि इस समस्या का निराकरण कराया जाये। क्योंकि, हाथरस का ट्रांसपोर्ट नगर बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है उसमें सुविधाओं के लिए विकास किया जाये। हमारे यहां पर हाथरस में दाऊजी महाराज का बहुत प्राचीन मन्दिर है जिसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाये और वहां पर भादों के महीने में 108 वर्षों से छठ में जो हर साल मेला लगता है उसको राजकीय मेला यदि घोषित किया जायेगा तो यह सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग अपनी बात निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी करें जिससे सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक साथी ने अभी एक बात कह दी थी जिस पर हमारे विपक्ष के लोगों को बहुत बुरा लगा था और काफी हंगामा किया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से जो व्यवस्था दी है उसका पालन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यह लोग यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लिया। आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। देश से प्रेम भी करते हैं, देश से प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसा सपा के लोगों ने बार-बार कहा है, तो भारत माता को डायन कहने वाले, इस देश के टुकड़े होंगे हजार, अफजल हम शर्मिन्दा हैं और तेरे कातिल अभी जिन्दा हैं, यह सब किसने कहा था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया आप पीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे साथियों ने बहुत हंगामा किया था। देश के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। पुलवामा जैसी घटना होती है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं क्या इन्होंने या इनके किसी नेता ने या इनके किसी मुस्लिम संगठन ने या किसी मुस्लिम नेता ने उन आतंकी घटना की आज तक निन्दा की है। अगर आप इस देश को अपना मानते हो तो आतंकी घटना की निन्दा क्यों नहीं की। आपका देवबंद है जहां से फतवा जारी किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया पीठ की ओर सम्बोधित करें अभिभाषण पर बात रखें।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

मान्यवर, पुलवामा की घटना में हमारे 40 जवान मारे गये। उन जवानों के नाम पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और आज तक निन्दा नहीं की। यह कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हिन्दुस्तान हमारा है तो इन्होंने यह सब क्यों नहीं किया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे साथियों ने कई बार यह कहा हमने महामहिम का विरोध नहीं किया बल्कि महामहिम के भाषण का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा सदन बैठा हुआ है। महामहिम ने एक लाइन भी नहीं पढ़ी तो इनको कैसे पता चल गया कि इसके अंदर यह शब्द लिखा हुआ है। इन्होंने बिना अभिभाषण सुने ही यह हंगामा किया और बाद में यह केवल टिप्पणी कर रहे हैं कि भाषण में यह लिखा हुआ है। यह तमाम सदस्यों ने कहा कि हमने उनका नहीं बल्कि उनके भाषण का विरोध किया है। उन्होंने एक लाइन भी नहीं पढ़ी थी और आपने एक लाइन भी नहीं सुनी, उसके बाद आपको यह गलतबयानी नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मा0 नेता प्रतिपक्ष बहुत पढ़े-लिखे हैं, ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि टेक्नोलोजी, वह अंग्रेजी के पढ़े हुए हैं, टेक्नोजी शब्द नहीं होता है बल्कि टेक्नोलोजी शब्द होता है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

यह मिनट्स में लिखा हुआ है। टेक्नोजी कहा है। आप देख लें। टेक्नोजी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी होता है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें। आप अपनी बात पीठ को सम्बोधित करें शालीनता से विषय पर बोलें। यह मेरा अनुरोध है।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

आपके टाइम पर शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया था। पूरा प्रदेश आपके नकल माफियाओं से भरा हुआ था। मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने समय में जिस तरह से नकल करने की छूट दी थी। आपके समय में कहते थे कि किसी भी तरह से हाई स्कूल, इण्टर कराओ तो आपकी शादी हो जायेगी और पुलिस में या कहीं और हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। मान्यवर, मैं भी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर हूँ। डॉ0 रागिनी यहां पर बैठीं थीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी एस0एन0 मेडिकल कालेज से एम0बी0बी0एस0 किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके समय में बहुत सारे स्टुडेन्ट हमारे पास अपने डाक्युमेंट अटेस्ट कराने के लिए आते थे। एक छात्र था जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिक्टेंशन मार्क्स थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ा हुआ था तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उससे पूछ लूँ कि भई तुम्हारे बहुत अच्छे नम्बर आये हैं। तुम्हारे कौन-कौन से सब्जेक्ट थे। मा0 अधिष्ठाता महोदय यह बहुत ध्यान देने की बात है। मान्यवर, मैं इनके समय की शिक्षा की बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि हिन्दी, अंग्रेजी, गणित और फिलिक्स। मैंने कहा कि क्या बोला तो वह बोला हिन्दी, अंग्रेजी, गणित और फिलिक्स। तो मैंने पूछा कि फिलिक्स क्या होता है। जब वह फिजिक्स का पूरा प्रोनाउसेंशन नहीं कर पाया तो मैंने उसके डाक्युमेंट फेंक दिये। मैंने कहा कि तू नकल करके पास हुआ है। आपके समय में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया था। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने नकलविहीन परीक्षा, समयबद्ध परीक्षा, समयबद्ध परिणाम देकर शिक्षा का स्तर उठाया है। इसके लिए मैं उनको बार-बार बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने नकलविहीन परीक्षा, समयबद्ध परीक्षा, समयबद्ध परिणाम देकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी मा0 सदस्य श्री शिवपाल जी बैठे हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हो, आप उनको निकम्मा बना रहे हो। आप कह रहे हो कि यह सरकार गरीबों का ध्यान नहीं रख रही है और जब सरकार गरीबों का ध्यान रख रही है तो आप कह रहे हैं कि उनको निकम्मा क्यों बना रहे हो। यहां पर दोहरी बात हो रही है। मा0 योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, नौजवानों के हित में काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप समय का ध्यान रखें और अपनी बात को समाप्त करें। आप लोग शान्ति बनाये रखें और अनावश्यक शोर न करें।

डॉ0 जी0एस0 धर्मेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जी मेरी विधान सभा क्षेत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक राजकीय विद्यालय दिया है जिसका आधा काम हो गया है और कुछ धनराशि शेष है। शेष

धनराशि को भी मुक्त कर दिया जाये जिससे शेष काम पूरा हो जाये। देवी रोड पर एक नाला है जिसमें हमेशा जल भराव रहता था, उसका 14 करोड़ रुपये का इस्टीमेट था जिसमें से 08 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं जिसमें आधा नाला बन चुका है और शेष धनराशि नगर निगम को देने की कृपा करें जिससे उस नाले का शेष कार्य पूर्ण हो जाये। ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास आर0ओ0बी0 बनना है जिसके लिए आधी धनराशि दी जा चुकी है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे अनुरोध करूंगा कि शेष धनराशि भी पहुंच जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदया जी के द्वारा दिनांक 23 मई, 2022 को दिये गये अभिभाषण की चर्चा के अवसर पर मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 लाल जी वर्मा जी के द्वारा अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में, मैं इस सदन में उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभिभाषण की पुस्तिका को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद यह लगा कि इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने 23 मई को जो सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये, वह पूरी तरह से झूठ का एजेण्डा था। मैं कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहूँगा कि उस पक्ष में बैठे हुए लोग जिन योजनाओं का महिमा-मण्डन करने का कार्य कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी मैं आपके सामने कुछ योजनाओं पर चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की बात हुई जिसमें यह बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा 01 करोड़ 67 लाख रुपये से उपभोक्ताओं को नि:शुल्क गैस सिलेण्डर बांटने का काम किया गया है लेकिन यह नहीं बताया कि 400 रुपये का सिलेण्डर, उस गरीब परिवार को 1000 रुपये से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ रही है। यह गरीब कल्याणकारी योजना नहीं है, यह अपने उद्योगपति मित्रों का व्यवसाय बढ़ाने वाली योजना है और गरीबों की जेब पर डाका डालने वाली योजना है। इसी तरह से सौभाग्य योजना का उल्लेख किया गया है, गरीबों से आधार कार्ड लिया गया, आधार कार्ड लेने के बाद अंजाने में ही कनेक्शन दे दिया गया। कितनी जगहें एवं बस्तियां ऐसी हैं जहां पर आज एक भी बल्ब नहीं जल रहा है लेकिन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत उनके घरों पर उनके नाम से बिजली का बिल आ रहा है। जो गरीब की जेब में पैसा बचता था, उस पर ऊर्जा विभाग डाका डालने का काम कर रहा है।

मान्यवर, अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे पांच वर्ष निष्पक्षता के साथ भर्तियां कराकर लोगों को नौकरियां देने का काम किया गया। मान्यवर, एक भी भर्ती ऐसी नहीं रही है जहां पर पिछड़े, दलित, अनुसूचित समाज के लोगों को उनके आरक्षण अधिनियम के अनुसार उनको सीटें दी गयी हों। हाल का मामला सभी के संज्ञान में है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बयान एक बार आया था कि कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर कर लिया जायेगा। 69000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है जिसमें आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-1 की उपधारा-3 और उपधारा-6 का खुला उल्लंघन करने का काम किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली ने जांच कराई

और जांच कराने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस भी भेजा कि बचे हुए अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम सरकार करे लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस आदेश को कचरे के डिब्बे में डालने का काम किया है। यह इस सरकार की कार्यशैली है। अभी सब-इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला प्रकाश में आया है। यहां बैठा हुआ हर एक सदस्य देख रहा है। जहां पर 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हो गयी हैं, ये एजेंसियां एक नेटवर्क बनाकर भ्रष्टाचार करने का काम कर रही हैं लेकिन सरकार उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है।

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की बात सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हर दिन हर रोज एक नये बलात्कार की घटना हम सबके सामने आ रही है। सामूहिक बलात्कार, लूट, डकैती, छिनैती हो रही है, सरकार उस पर अंकुश लगाने का कार्य नहीं करवा रही है। मैं प्रतापगढ़-प्रयागराज के बीच में रहता हूँ जहां पर चार-चार, पांच-पांच, छह-छह लोगों की सामूहिक हत्या कराने का कार्य किया गया लेकिन सरकार उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर पाई। लगातार पांच वर्षों से यह काम चल रहा है कि दो-दो हत्या, तीन-तीन हत्या, चार-चार हत्या, पांच-पांच हत्याएं एक-एक परिवार से हो रही हैं लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सरकार बुलडोजर चलाने का काम वहां करती है जहां पर दो पक्ष लोग आपस में लड़ते हैं। जनपद प्रतापगढ़ के मनेहू ग्राम पंचायत की घटना है, दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है, मारपीट होती है और बुलडोजर पहुंच जाता है, मनेहू के आधा दर्जन अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के घरों को ध्वस्त करने का काम इस सरकार ने किया। यहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान का सम्मान नहीं है। कोरोना की बात यह सरकार करती है। मान्यवर, यहां पर बैठे हुए हर एक सदस्य को ध्यान होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आयी थी, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायकों की निधि लेने का काम किया था कि कोरोना मैनेजमेंट के लिए संसाधन जुटाने का काम करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मई के महीने में वर्ष 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि-त्राहि मच गयी, न किसी को ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला, न डॉक्टर मिला। सम्मानित साथियों और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प-तड़प कर मरे। जिस गंगा मैया की सफाई कराने की बात ये सरकार करती है वह गंगा लाशों से ढक गयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, अब आप भाषण समाप्त करिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट दीजिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 400 रुपये का रेमेडिसीविर इंजेक्शन 40,000 से 50,000 रुपये में कैसे बिक रहा था ? माननीय अधिष्ठाता

महोदय, सरकार की आंख के सामने यह सब हो रहा था। आज जो उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की हालत है, केवल 6 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन सरकार के बिजली मंत्री इसी सदन में असत्य प्रलाप करने का काम कर रहे हैं कि 18 से 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वायदा करने वाली सरकार आज तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ा पाई।

(इसी मध्य सायं 7 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जबकि फसलों की लागत तीन गुना हो गयी है, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार झूठा प्रलाप करने का काम करती है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अरविन्द गिरी का नाम पुकारा गया, लेकिन वह अनुपस्थित थे)

श्री राजेश कुमार गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इस 18वीं विधान सभा में आये हुए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनन्दन, वन्दन करता हूँ। अध्यक्ष जी, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार का नारा था- "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" और उसी नारे पर हमारी सरकार ने निरन्तर काम किया है। 05 साल के अन्दर हम लोगों को 3 साल काम करने का मौका मिला, उसी में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आ गयी। उसके बाद भी जितने भी विकास के कार्य थे, वह कार्य हमारी सरकार ने किया और कभी-कभी हंसी आती है, जब विपक्ष में बैठे हुए लोग सवाल उठाते हैं, वह चाहे भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और चाहे शिक्षा की बात करते हैं। जब उनकी सरकारें रहीं, 2012 से लेकर 2017 तक, जो शिक्षा की बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया था। एक भी नौकरी अगर दी जाती थी तो गरीब का बेटा अपनी जमीन गिरवी रख देता था, गरीब की मां अपने गहने-जेवर गिरती रख देती थी, तब नौकरियां मिलती थीं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी, जितनी भी नौकरियां दी गईं, साढ़े चार लाख नौकरियां दी गयीं, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता, सभी जगह पारदर्शिता के साथ भर्ती की गयी, और जिस बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, "शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो।" अध्यक्ष जी, विपक्ष में बैठे हुए लोग जिन्होंने बाबा साहब के नारे का मजाक उड़ाया, इनकी सरकारों में शिक्षा का अता-पता कहीं नहीं था। शिक्षा के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार था। संगठन के नाम पर इन्होंने वोट संगठित किया और दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों के नाम पर वोट ले करके जब सरकार बनाते थे तो उनकी आवाज को कहीं न कहीं दबा दिया जाता था। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने

काम किया और जब 2022 में जनता के आशीर्वाद से पुनः हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता जवाब देती है और लोकतंत्र में जनता ही गर्मी शान्त करती है और वोट के माध्यम से विपक्ष की गर्मी भी शान्त कर दी गयी।

आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में चाहे आपरेशन कायाकल्प हो, चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, कायाकल्प के माध्यम से आज सबकी दशा, दिशा बदल रही है। इसी उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले जहां बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पर चल रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं सुल्तानपुर जिले से आता हूँ, मेरा विधान सभा क्षेत्र-191, कादीपुर विधान सभा सुरक्षित क्षेत्र है। 70 साल आजादी के हो गये थे, विकास से हमारी विधान सभा क्षेत्र वंचित थी। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ आज वहां 20 करोड़ की लागत से पालीटेक्निक कालेज बन करके तैयार हो गया है। नवोदय विद्यालय का शिलान्यास हो गया है, वहां पर काम शुरू हो गया है, स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, यह परिवर्तन होता है। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा कुछ न बोल करके संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। अध्यक्ष जी, जो सपना इस प्रदेश ने देखा था, मेरा सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र होने के नाते जो बाबा साहब का सपना था और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहब का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वहीं पर बजेठुवा महावीरन जैसा स्थान है, जहां पर कालनेमि राक्षस का बजरंगी भगवान ने वध किया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बजेठुवा महावीरन जो बहुत बड़ी सूरापुर बाजार है, अगर उसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जायेगा तो उस धर्म स्थल का विकास करने का मौका मिलेगा। एक विकास वहां पर भी होगा। मैं पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री चन्दन चौहान-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन रखे हैं उस पर बोलने का मौका दिया। प्रथम दृष्टया सरकार के विद्वान अधिकारियों ने जो अभिभाषण लिखकर दिया होगा यह उसी के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है और इसमें विधायकों की भूमिका का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां विधान सभा और विधान परिषद् के अन्दर लगभग 503 विधायक हैं और यह 503 विधायक विभिन्न इलाकों से आते हैं और इस प्रदेश की समस्याएं भी अलग-अलग हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो समस्या जनपद सहारनपुर की हो, वही समस्या जनपद बलिया की भी

हो। जबकि हम योजनाएं पूरे प्रदेश की एक रूप में बनाते हैं। इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के मंदिर में, इस ऐतिहासिक परिसर की उपयोगिता तब तक की है जब तक हम अपने नागरिकों को खुशहाल और उनके जीवन को सुलभ बना सकें। मैं किसी उद्योग व्यापार या आर्थिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस देश और प्रदेश के किसान यहां आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। महामहिम राज्यपाल जी के 43 पन्नों के अभिभाषण में किसानों को मात्र साढ़े चार पन्नों के अभिभाषण में किसानों को समर्पित करना इसको मैं न्याय संगत नहीं समझता। आज किसानों की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है न कि उन्हें जटिल बनाने की। मैं खुद एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से आता हूँ और मेरी जीविका भी कृषि पर आधारित है।

अभी पिछले दिनों हमारे यहां गन्ने की फसल में यूरिया की बहुत अधिक आवश्यकता थी। जो व्यक्ति मेरी खेती का काम देखता है उसका फोन आया भईया खेत के लिये खाद तब देगा जब आप यहां आकर अंगूठा लगा दोगे तो इस तरह की व्यवस्थाओं को सुलभ करने की आवश्यकता है न कि हमें जटिलताओं में फंसाने की आवश्यकता है। हमारी मृदा परीक्षण की सोयल टेस्टिंग जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है सोयल टेस्टिंग अगर हम सही समय पर सही फसल की कर पायेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने किसानों के लिए फसलों की पैदावार बढ़ा पाने का काम करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां गंगा सरकारी चीनी मिल मोरना की स्थापना लगभग 40 वर्ष पूर्व हुई थी और आज वह पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है और 25 हजार कुण्टल की कुल क्षमता उसकी रह गई है, गन्ने के पेराई की। हमारे यहां का किसान मेहनती है और मेहनत करके जब उसे फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता और वह औने-पौने दाम में फसल बेचने के लिए मजबूर होता है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार ने जो पूर्व में विस्तारीकरण की घोषणा की थी, सरकार को उसकी याद दिलाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार उस चीनी मिल की क्षमता 75000 कुण्टल की करके वहां सह उद्योग जैसे एथेनॉल प्लांट, सोलर एनर्जी और को-एनर्जी के लिए खोई से ऊर्जा आदि की व्यवस्था कर सके। जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक स्व0 चौधरी चरण सिंह, स्व0 चौधरी अजीत सिंह जी का सपना भी पूरा नहीं हो पायेगा। मान्यवर, मा0 प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और मा0 राज्यपाल जी ने भी उसकी बात अभी अपने अभिभाषण में की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत आपने 08 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण दिया है, पर मान्यवर पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने अतिक्रमण हटाने की एक घोषणा की है। उससे पथ विक्रेताओं में बहुत डर का माहौल है और उन पथ विक्रेताओं पर लगातार बुलडोजर का खतरा भी घूमता रहता है तो कहीं ऐसा न हो कि इस अतिक्रमण हटाओ योजना के अन्दर सरकार ने जो आठ लाख लोगों को ऋण दिया है, अगर उन पर किसी न किसी रूप में अतिक्रमण हटाओ अभियान आयेगा तो उनकी आजीविका पर बड़ा संकट आ सकता है। इसके

अलावा, मैं अपने यहां के शुक्रताल के बारे में भी कहना चाहूँगा और वहां पर हमारे मा0 योगी जी भी गये थे तो उस क्षेत्र का भी विकास करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

वह तो अच्छा है, उसको कराएंगे।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डॉ0 मंजू शिवाच जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आपकी आज्ञा से मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार आपका यह है कि मैंने जो अपनी आप बीती आपको सुनाई और आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास पांच मिनट हैं, चाहे आप मेरा धन्यवाद कर लें या अपनी बात कर लें।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बुलन्दशहर था। अध्यक्ष, जिला पंचायत रहते हुए मेरे खिलाफ सपा, बसपा के समर्थित अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये और मुझे अविश्वास प्रस्ताव लाकर उतार दिया। लेकिन मैंने तबसे यह कसम खा ली, प्रण कर लिया कि एक दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर में आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। सपा, बसपा के वे अधिकारी ए0एम0ए0 प्रदीप कुमार अभी आगरा में तैनात हैं जिनको पहले सी0बी0आई0 ने अरेस्ट किया और सी0बी0आई0 द्वारा 06 महीने बाद छोड़ा गया। उस समय सपा सरकार थी, उन्हें दोबारा उसी जिले के अन्दर जहां से वे अरेस्ट हुए वहीं तैनात कर दिया गया। यह खुली छूट और खुली लूट चल रही थी। वहां पर एक मॉल का निर्माण जिला पंचायत द्वारा सपा, बसपा के कार्यकाल में बुलन्दशहर में हुआ। वहां के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, आशा यादव जी और हरेन्द्र यादव जी और ए0एम0ए0 प्रदीप कुमार जो आगरा में तैनात हैं, उन्होंने ऐसी खुली लूट और खुली छूट की कि जितना भी निर्माण कराया, सब नीति और नियम के विरुद्ध कराया। सारा का सारा निर्माण गलत कराया और जब मैं वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बना और वहां के सदस्यों ने मुझसे शिकायत की तो मैंने उसकी परत दर परत खोलनी शुरू कर दीं। जब उन्हें यह लगा कि यह जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और संघ-संगठन का एक सिपाही है, न ये झुकेगा, न रुकेगा।

आदरणीय मोदी जी और योगी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला व्यक्ति है और यह न लूटेगा, न लूटने देगा। उन्होंने सोचा कि ये हमको जेल भेजने का काम करेगा तो इसलिए उन्होंने एक षडयंत्र के तहत मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से उतार दिया। लेकिन मैंने यह प्रण कर लिया कि एक दिन विधान सभा का चुनाव लड़कर विधायक बनकर इसी सदन में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, मेरा एक छोटा सा निवेदन यह है कि इनकी सम्पत्ति की जांच करा ली जाये और उस मॉल की जांच भी करा ली जाये। मैं इसके लिए बार-बार पत्र लिखता हूँ लेकिन केवल उसी संस्था जिला पंचायत के ही अधिकारी उसकी जांच करते हैं। अगर इसकी जांच किसी अन्य संस्था से करा ली जाये, जो उच्च श्रेणी की संस्था हो तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इसीलिए मैं अपनी बात सुनाने के लिए आपके पास पहुंचा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उस मॉल के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि बिना तकनीकी स्वीकृति के, जो कि निर्माण नियमावली के अधीन मांगी जाती थी, वह नहीं मांगी गई। मॉल का मानचित्र ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ और ग्रुप हाउसिंग योजना में मॉल के निर्माण के लिए जिला पंचायत काम नहीं करा सकती। उसमें 28 करोड़ 50 लाख रुपये का ठेका निर्माण नियमावली एवं संगत शासनादेशों के समस्त प्राविधानों के विपरीत जाकर बिना शासन की तकनीकी स्वीकृति लिये, मान्यता प्राप्ति के बिल्डर को दिया जा रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, डॉ0 नीरज बोरा, श्री अभय सिंह, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह, श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री मनीष असीजा, श्री मनीष रावत, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री महेश त्रिवेदी, श्री मूलचन्द्र सिंह निरंजन, श्री मौहम्मद फईम इरफान, श्री राकेश पाण्डेय, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री राम फेरन पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री सुरेन्द्र चौरसिया। जितने मा0 सदस्य उपस्थित हैं, सबकी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से 14, जनपद लखनऊ व जनपद फिरोजाबाद से 01-01 याचिका†

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं:-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम औरंगाबाद से भूमिसेन महाराज होते हुए मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर लाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम फिरोजपुर से ग्राम चनेहटा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सुकटिया से ग्राम बैरमनगर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सतुईया खास से ग्राम बकेनिया चम्पतपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पनथरिया से ग्राम पनथरा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बकैनिया चम्पतपुर से ग्राम औंध तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानू प्रताप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सतुईया खास से ग्राम खिरका कावरिया मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवपाल सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिरसा जागीर से ग्राम मनकरी तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मिर्जापुर से वाया बहादुरपुर बीथम होते हुए ग्राम मकड़ीखोय तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर शहीद भगत सिंह वार्ड में बाबू कुन्ज बिहारी मैरिज लॉन से अमित वर्मा के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लकी श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम रेतीपुरा-वंशीपुर के पास भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सेवाराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुरा के पास किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम मुगई, सिधौली व मांसीहाबाद में होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के नवीन भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कश्यप अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में शंखा नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सिधौली में आई0टी0आई0 का अधूरा भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

16- जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मुहल्ला चन्द्रवार गेट में प्रेस वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज व जानकीपुरम के नव विकसित क्षेत्रों में अमृत योजना अन्तर्गत नई सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में स्वीकृत 50 बेड के अस्पताल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में सेमरा गौढ़ी से गोरभीठ होते हुए गोमती नदी की ओर जाने वाले 8 किमी0 का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर लोधी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में चारों वार्डों हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना को स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर बने हुए जर्जर पीपे के पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के ग्राम प्रधान केशवपुर के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध खनन कराये जाने पर ग्राम प्रधान केशवपुर के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत कुमार सिंह, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड चौबेपुर के बरुआखुर्द में हो रहे श्मशान घाट के निर्माण को किसी अन्य स्थान पर निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरद त्रिवेदी, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-उ0प्र0 के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों में नियुक्त डिप्लोमाधारक कर्मचारियों को निर्धारित 5 प्रतिशत अवर अभियंता के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के पाण्डुनगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्मित मल्टी स्पेशियालिटी अस्पताल के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

4-जनपद कानपुर नगर में विकास प्राधिकरण द्वारा बसायी गयी नवीन मौरंग मण्डी विनगवा में मूलभूत आवश्यकताएं सड़क, नाली, पेयजल एवं शौचालय एवं आन्तरिक विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविशंकर मिश्र, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं।

1-जनपद-सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत रेउसा-तम्बौर रोड के ग्राम कंबकारी के आगे नाइखेर की पुलिया से दरियाना होते हुये सिसैया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद-सीतापुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद-सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता के अन्तर्गत रेउसा-तम्बौर रोड पर ग्राम कठूरा एवं पडरिया के मध्य ग्राम दरियाना तक रोड के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव रानी मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद-सीतापुर की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर की नगर पंचायत खिवाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशाद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी के ग्राम रसूलपुर धौलड़ी में राजकीय इण्टर कालेज के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तशरीफ व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर के ग्राम नानू में राजकीय इण्टर कालेज के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गय्यूर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

4-जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी के सिवालखास में अधूरे राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तसव्वर अली निवासी जनपद मेरठ की याचिका।

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड एवं ग्राम गंगीरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गजमोतिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

2-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

3-जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद हाथरस के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ में बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रताप गांधी व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

2-जनपद हाथरस के अन्तर्गत हंसायन नगर का बाईपास नगला रती-हंसायन मार्ग से श्यामपुर होते हुए श्यामपुर वाली मात के पास हंसायन-सिकन्दराराऊ मार्ग तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

3-जनपद हाथरस के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ में नगला जलाल से कपसिया होते हुए वाजीदपुर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के संबंध में श्री प्रेम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्री मनीष असीजा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 27 याचिकाएं†

श्री मनीष असीजा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला रहना में प्राथमिक पाठशाला वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नवनीत शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नगला भाऊ में महेश के घर से सुखदेव सिंह व पहलवान के घर तक व डॉ0 प्रवीन के घर से बृजेश के घर तक की गलियों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला करबला, गली नं0-7, तोताराम राठौर के मकान से जगदीश शंखवार के मकान तक गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविकांत शंखवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला अम्बेडकर पार्क सैलई में वीनू के मकान से लल्लू के मकान तक व टीटू के मकान से बीएमडब्लू के मकान की गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रॉकी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नगला मिर्जा बड़ा में जगदीश के मकान से अतर सिंह के मकान तक व केदार सिंह के मकान से सुभाष के मकान तक एवं

† छापी नहीं गयीं।

गेंदालाल के मकान से विद्याराम के मकान तक की गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रानी देवी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के ज्ञानोदय बुद्ध विहार, बौद्ध नगर ट्रांसफार्मर से बम्बा बाईपास तक मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारीलाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला संतोष नगर, रैपुरा रोड गली नं0-9 एवं अन्य गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोवरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला कृष्णा नगर में वीरेन्द्र प्लाजा के सामने, प्रवीन किराना वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद में रेलवे स्टेशन से आशाबाद फाटक तक रेलवे लाइन के सहारे का मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनिवास गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला रसूलपुर में प्रमोद मूंगफली वालों के सामने वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बुज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला भीम नगर में सामन्ती लाल के मकान तक एवं लिंक गलियों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला अमृत नगर में प्रजापति बस्ती की गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद में मीरा चौराहे से मास्टर ढाबा चौराहे तक सर्विस रोड तक के मुख्य मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पी0एल0 लटधारी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला टापाखुर्द, दयालु मेमोरियल इण्टर कालेज के पास दायीं तरफ की दो गलियां निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नगला विष्णु की नई आबादी में श्यामवीर धर्मशाला क आसपास की लिंक गलियों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नारायण नगर में संतोष मास्टर वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

17-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नूर नगर, कोहिनूर रोड का मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद तारबाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

18-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद में देवकी नगर में सुभाष के मकान से लेकर दीपचन्द्र शर्मा के मकान तक की गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

19-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला कुंज पिहार में मन्दिर के सामने अभिषेक शर्मा के मकान से रोड तक की गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला ककरऊ में दौलतराम संस्थान उच्चतर मा0 विद्यालय भर नगर, जलेसर रोड वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

21-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला कबीर नगर गली नं0-2 में इण्डियन गांधी के मकान के बगल वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इण्डियन गांधी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

22-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला सरस्वती नगर में गली नं0-3 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री कल्पना व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

23-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला न्यू अम्बेडकरनगर में अब्बल सिंह के घर से प्यारेलाल के मकान तक एवं रामवीर सिंह के मकान से नीरज दिवाकर के मकान की गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकांत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

24-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद में नगला विष्णु में पीर पतंगा के नीचे वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

25-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला प्रताप नगर में सूर्यप्रकाश के मकान से लेकर रविदास नगर के मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

26-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला नगला भाऊ, आनन्दीपुर व मिश्रा कालोनी की गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

27-जनपद एवं नगर निगम फिरोजाबाद के मोहल्ला आसफाबाद में तून पैलेस वाली गली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एनएच-24 से मिश्रिख रोड तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सिधौली-महमूदाबाद मार्ग से सतनापुर, शाहजहांपुर, मिशनी, दखिनावा होते हुए गनेरा चौराहा तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सिधौली-महमूदाबाद से विशुनदासपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

4-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एन0एच0-24 से उमरा तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द भार्गव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में तिलेण्डा-हलोर मार्ग खरगीखेड़ा मोड़ से नेवालीखेड़ा होते हुए महाराजगंज पक्के मार्ग तक पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां की ग्राम पंचायत ओसाह के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सौ बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 02 याचिकाएं व कानपुर नगर की 03 याचिकाएं†

श्री महेश त्रिवेदी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर के ब्लाक सरवन खेड़ा के ग्राम गुजराई में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0-38 में किदवईनगर थाने से गौशाला चौराहे तक पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के जोन-2 में बाईपास से हमीरपुर रोड तक सी0ओ0डी0 नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषभ शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर देहात के तहसील भोगनीपुर, ब्लाक मलासा के ग्राम कछगांव में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका, तथा

5-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर के वार्ड नं0-100 की साइट-2 में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु पाइप लाइन को बड़ी पाइप लाइन से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के कोंच नगर के अन्तर्गत सीवर लाइन के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच से नदीगांव मध्य प्रदेश सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ रत्नाकर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के अन्तर्गत कुठोंद से गोहन माधौगढ़ ऊंचा मध्य प्रदेश सीमा तक मार्ग (अवशेष भाग) का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच नगर में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई रोड से नहर पटरी परैथा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंअर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के अन्तर्गत बहादुरपुर, लिड़ऊपुर, जगमनपुर मार्ग पर विलौंहा सम्पर्क मार्ग के पास नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के अन्तर्गत पचनद संगम स्थल के पास पचनदा बैराज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजित सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विकास खण्ड माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम ऊमरी नगर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

9-जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगढ़ के ग्राम महोई के पास पहूज नदी से लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्राम सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री मौ0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी से दिनौरा गांव तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम सिहाली माला से समाथल ज्यातरत होते हुए नये गांव तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में यशोदा आईटीआई से ग्राम बगपुरा मोड़ तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बनियाठेर से ग्राम नरसरा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में ग्राम थांवला से ग्राम मनकुला तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेहान पाशा, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम इब्राहीमपुर से मुरादाबाद सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मुजस्सिम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-साक्षर भारत मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रेरकों का बकाया मानदेय भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अरकान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद के लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी व शाकुंभरी स्ट्रा प्रोडक्ट देवरी से प्रभावित क्षेत्र के जल नमूनों की जांच तथा उक्त औद्योगिक इकाईयों से निकल रहे प्रदूषित जल, राख, ध्वनि आदि रोकने हेतु एनजीटी मानकों का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में ग्राम न्यायालय प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

10-जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त डॉक्टर, सहायक स्टाफ एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उरमान सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत हाफिजपुर चौराहे से सी0एच0सी0 भियांव तक सड़क का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मोबीन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत सेमरा कटका से हाफिजपुर तक रोड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत निमटिनी से कौडाही से होकर एन0एच0-233 को जोड़ने वाले मार्ग तक जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत मरहरा चौराहे से मंझरिया दौलतपुर तक के मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माखनलाल निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत प्रतापपुर के मुण्डेहरा सम्पर्क मार्ग तक जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

6-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत हाफिजपुर माइनर से फुलवारी करीम नगर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 मोबिन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

7-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत मंगुराडिला-रफीगंज मार्ग पर डडवा मदरहा में श्री दीनदयाल के मकान से दक्षिण टोंस नदी तक पक्की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

8-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत मंगुराडिला के अन्तर्गत डडवा ग्राम में श्री रामनयन के खेत से भगवनपुर ग्राम सेक्टर रोड को जोड़ने के लिए मानसरोवर तालाब के नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

9-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक भियांव की ग्राम पंचायत कटका में चौराहे से गोविन्द साहब जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकल उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली एवं विधान सभा, जहानाबाद के ग्राम दपसौरा में अतिरिक्त सी0एच0सी0 अस्पताल को हैण्डओवर कर चलाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रामभक्त पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री रामफेरन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में गोपालपुर से गुलामपुरवा होते हुए भगवानपुर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में ग्राम पंचायत कटार मुख्य मार्ग से धर्मापुर शत्रोहन पाण्डेय के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में कटार से डिकरा तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में कुरबेनी मन्दिर से मीरामऊ मुख्य मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

5-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में फतुहापुर मुख्य मार्ग से दमावां तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

6-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत सीताद्वार सम्पर्क मार्ग से बरईपुर सम्पर्क मार्ग के मध्य पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलापति त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

7-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में कोट मुबारकपुर सरयू नहर पुल से कोट मुबारकपुर गांव होते हुए खड़खड़ापुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिद्वार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

8-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में मेन रोड से गिलौला गांव तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद पाण्डेय, निवासी जनपद श्रावस्ती की याचिका,

9-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत कसियापुर से निर्मल सिंह के खेत होते हुए बैदौरा में श्री मालिकराम के घर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

10-जनपद श्रावस्ती के ग्राम मलावा में महिलाओं के लिए डिग्री कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज में कटरा जैतीपुर मार्ग पर नहर पुलिया से ग्राम सिउरा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पातीराम राठौर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान में सूखानंगला से हरनोखा पुलिया तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान में कुण्डरिया से रठेली कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम नरायन नंगला परौर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री विरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री विरेन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर की ग्राम सभा पिपनार में स्थित प्राचीन शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव चौहान, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत रौजा ओवरब्रिज से फुल्लनपुर बाईपास तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विन्ध्याचल यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सहादतपुर में जर्जर तार एवं टूटे पोल को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र यादव, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पारा में जर्जर तार एवं टूटे पोल को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री राशिद, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर की ग्राम सभा लावा में जर्जर तार एवं टूटे पोल बदलवाने के सम्बन्ध में श्री अलाउद्दीन, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में महाराजगंज-इन्हौना मार्ग मऊ के पास से अहलादीपुरवा पूरेनायक होते हुये मजरे कैड़ावा तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में महाराजगंज-हैदरगढ़ मार्ग कुसुढ़ी सागरपुर से एहलाना होते हुये मौन तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसनेही निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में तिलेण्डा-हलोर मार्ग पर लल्लन के खेत से अकोहरी पक्के मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री मालती देवी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में हसवा लाल ड्रेन पर समरहा के पास पुक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर अवस्थी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में गूढ़ा रजवहा नेवाजीखेड़ा पुल से पुरबिया के पुल तक पक्का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में सोथी ड्रेन, हसवा ताल ड्रेन शिवगढ़ ड्रेन, महाराजगंज ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में सोथी ड्रेन पर नयापुरवा-चक सम्पर्क मार्ग पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में तिलेण्डा-हलोर मार्ग पर पंचायत भवन से अकोहरी तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में महराजगंज-शिवगढ़ मार्ग पारा खुर्द के पास से मोहनगंज तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में बछरावां लोधई खेड़ा कुंडौली से होते हुये सेंहगो पश्चिम गांव तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम लक्ष्मीखेड़ा मजरा रूरी सादिकपुर में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम सिन्धूपुर बेरियागाड़ में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नवदीप प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम चकहनुमान से मंगूखेड़ा तक डामर रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललेश अस्थाना व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद की ग्राम पंचायत देवखरी के मजरा प्रीतमपुरवा से लालपुर होते हुए चीतेपुर तक नवीन डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के ग्राम दबौली गढ़ाई के पास पुलिया का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत भटनी में रेलवे 115 नं0 गेट पर उपरिगामी पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत भरहे चौरा स्थित प्राचीन सिद्ध स्थान का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजित कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी के पटनवा पुल के पास अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर में डी0एम0 चौराहे से शेखदहीर सम्पर्क मार्ग पर माधवरेती में पुलिया के पास श्रीमती विमला देवी के मकान तक लगभग 800 मी0 खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर में बंजारी मोड़ से शेखदहीर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच नगर के ग्राम सभा डीहा में वाटर सप्लाई व श्री ओमकार मौर्या के घर से श्री बृजलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग 150 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-66 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-67

[08:00] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2022-2023 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" तथा "पंचायती राज समिति" और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2022-2023 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के

† छापी नहीं गयीं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" तथा "पंचायती राज समिति" और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शनिवार, 28 मई, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे तक
2-नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 31 मई, 2022 को अपराह्न 3:00 बजे तक (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	मंगलवार, 01 जून, 2022 को समय अपराह्न 4:00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	गुरुवार, 03 जून, 2022
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-44 ख में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 4:00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2022-2023 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" तथा "पंचायती राज समिति" और मन्त्रियों का परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 26 मई, 2022 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :-

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2022-2023 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" तथा "पंचायती राज समिति" और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2022-2023 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देश कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक .....।

(श्री लालजी वर्मा के बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले प्रस्ताव आना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले इन समितियों के निर्वाचन का प्रस्ताव आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

वही तो आ रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कहां आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह निर्वाचन के लिए ही तो अधिकृत किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

निर्वाचन के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है कि जो परसेन्टेज के हिसाब से सभी समितियों में सदस्य नामित कर दें। प्रक्रिया तो यही है रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष, 2022-2023 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" तथा "पंचायती राज समिति" और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक कि वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2022-23 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपयुक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों के नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एजेण्डे में यह था ?

श्री अध्यक्ष-

एजेण्डे में ये है, नियम-315 के खण्ड-14 और 15 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा कोई घोषणा हो तो उसमें ये घोषणा है। सभी माननीय सदस्य इसको अगर देखना चाहें तो नियम-51 के जो वक्तव्य हैं ये कार्य-सूची के परिपत्र में हैं। माननीय सदस्य अपने टैबलेट के परिपत्र सर्कुलर वाले आप्शन्स पर उन्हें देख सकते हैं। सर्कुलर जिस पर लिखा हुआ है।

[08:08] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 26-05-2022 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 97 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 22 सूचनाएं स्वीकार की गयीं, शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड रिक्शा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में ग्राम कुसहर मौजा में श्री वीर कुंवर सिंह शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री स्वामी ओउमवेश की जनपद बिजनौर में चांदपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जहानाबाद में बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ 'बब्बू भईया' की जनपद बदायूं के नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में नजूल की जमीनों से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर बस डिपो का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली में थाना थाना भवन के कस्बा जलालाबाद में पुलिस द्वारा दुकानों के सामने अवैध रूप से पुलिस बूथ रखने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राम दुलार गौड़ की जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिण्डारी ग्राम में विक्षू नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सलाहपुर में जिला प्रशासन द्वारा आवासीय भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर के जहानाबाद के ग्राम बेनीखेड़ा में पानी की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के ग्राम उकाथू में विद्युत तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ग्राम शेरपुर में कट बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन के कालपी तहसील में यमुना नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में नाले की सफाई के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डॉ0 वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा बीरबलपुर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री मनोज पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के धनौरा-कमेलपुर मार्ग पर सड़क निर्माण की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अरविन्द गिरी की जनपद लखीमपुर खीरी में वन्य जीव संरक्षण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में पेपर मिल्स की वजह से प्रदूषण के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर थाना व तहसील जलालपुर के कस्बा जलालपुर के नगपुर बाजार में सड़क

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की लखनऊ के जानकीपुरम व फैजुल्लागंज क्षेत्र की सीवर समस्या के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री आशुतोष शुक्ला, श्री सचिन यादव, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश जायसवाल, श्री महफूज किदवई, श्री चन्द्र प्रकाश, श्री नफीस अहमद, श्री गौरव कुमार रावत, श्री ब्रजेश यादव, इं0 बृजेश कठेरया, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री आशु मलिक, श्री प्रदीप यादव, श्री अनिल कुमार, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राम निवास वर्मा, श्री संजय शर्मा, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री जगदीश नारायण, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री जय प्रकाश निषाद, श्री राज बाला, श्री ज्ञान तिवारी, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री दीपक मिश्रा, डॉ0 आर0के0 वर्मा, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री रामचन्द्र यादव, श्री देवेन्द्र निम, श्री रमेश सिंह, श्री मुकेश चौधरी, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अनिल प्रधान, मो0 ताहिर खान, श्री जियाउर्रहमान, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री धर्मराज यादव 'सुरेश यादव', श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री ओम कुमार, श्री उमाशंकर सिंह, श्री अताउर्रहमान, श्री तसलीम अहमद, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री राहुल राजपूत, श्री राम कृष्ण भार्गव, श्री विवेक वर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री इन्द्राणी देवी, श्री ज्ञान तिवारी, श्री लक्ष्मी राज सिंह, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री पंकज गुप्ता, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री मनीष रावत, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री पंकज पटेल, डॉ0 सुरभी, श्रीमती जयदेवी, श्री संदीप सिंह, श्री अतुल प्रधान, श्री मोहम्मद फईम इरफान, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री वाचस्पति, श्री बेचई सरोज, श्री रवि शर्मा, डॉ0 शिव प्रताप यादव तथा मो0 इरफान सोलंकी।

[08:12] जनपद-रायबरेली के ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 का बिजली घर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ऊँचाहार की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में 132 के0वी0 के दो प्राथमिक उपकेन्द्रों क्रमशः 132 के0वी0 सलोन (क्षमता 2x40 एम0वी0ए0) एवं 132 के0वी0 अमावां (क्षमता 2x63 एम0वी0ए0) से की जाती है।

132 के0वी0 सलोन पर वर्तमान में 179 एम्पियर (अधिकतम भार) तथा अमावां पर 234 एम्पियर (अधिकतम भार) है। अतः क्षमता के सापेक्ष दोनों 132 के0वी0 सलोन एवं 132 के0वी0 अमावां उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है। अतः वर्तमान में 132 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

ऊँचाहार एवं आस-पास स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र ऊँचाहार, जगतपुर, इटौरा बुजुर्ग, रोहनियां, रसूलपुर एवं जमुनापुर पर लो-वोल्टेज की समस्या नहीं है। मात्र ऊँचाहार तहसील उपकेन्द्र जोकि 132 के0वी0 अमावां से पोषित है तथा तहसील उपकेन्द्र को पोषित करने वाली 33 के0वी0 पोषक की लम्बाई लगभग 60 कि0मी0 है, पर लो-वोल्टेज की समस्या है। जिसके निराकरण हेतु 132 के0वी0 सलोन उपकेन्द्र से 33 के0वी0 स्वतंत्र पोषक के निर्माण का कार्य रिवैम्प योजना (प्रणाली सुदृढ़ीकरण) में शामिल कर लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 33 के0वी0 अमावां, जगतपुर, ऊँचाहार लाइन के जर्जर तार को बदलने का कार्य भी रिवैम्प योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अनुमोदित होने एवं धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव है।]

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 का बिजली घर स्थापित किये जाने के बारे में माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का यह नोटिस हमको मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षिप्त में विषय को बता देता हूँ। रायबेरली में ऊँचाहार जो तहसील का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनको लो-वोल्टेज की समस्या है और उसके समाधान हेतु माननीय मनोज पाण्डेय जी ने 2016 से प्रयास शुरू किया था। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वर्ष याद रखा जाये। अभी तक प्रयास सफल नहीं हुआ है। उसमें इनका यह कहना था कि ऊँचाहार में बेसिकली दो सब-स्टेशन से इनको 132 के0वी0 की सप्लाई आती है, एक सलोन है और एक अमावां है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह तो लिखित रूप में इनके पास गया है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, इनको यह दे दिया गया है। बस मैं एक ही मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछेंगे तो आप बतायेंगे। बिना पूछे आप क्यों बता रहे हैं आप बिना पूछे कहां तक बताते रहेंगे ?

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य में यह हमारा प्रकरण आया है। हमारी विधान सभा ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र के सम्बन्ध में है, माननीय मंत्री जी ने काफी जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बात कर लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह लाइन 147 कि0मी0 दूर से अमावां उपकेन्द्र से आती है। 7 महीने पहले अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा के द्वारा एक पत्र हमको भेजकर अवगत कराया गया कि 132/33 का उपकेन्द्र जो ऊँचाहार में बनना है। उसके बनाये जाने पर विचार शीघ्र किया जायेगा। जब तक 132 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र ऊँचाहार में निर्मित नहीं कर दिया जाता है, तब तक सलोन में एक रिवैम्ड हमारे पास खाली है। 3 माह के अंदर उस रिवैम्ड सलोन से ऊँचाहार को जोड़ दिया जायेगा, जिससे गैप में बिजली खराब न रहे। मेरा निवेदन 132 के लिए था कि आपके शासन से अल्टर्नेट दिया है। उस पत्र की संख्या और अपर मुख्य सचिव जी का पत्र है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको शीघ्र 132 बनवा देंगे, तब तक सलोन से जोड़ देंगे। 9 महीने हो गये, न यह सलोन के रिवैम्ड से जोड़ा गया और न ही 132 पर कोई कार्यवाही हुई। मेरा निवेदन है कि टेक्निकल टीम ने भी यह रिपोर्ट में दे दिया है, जनहित में इसकी बहुत आवश्यकता है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी बात से आधा हमारा विभाग और हमारी टेक्निकल टीम सहमत है, आधी बात से सहमत नहीं है। जिस बात से सहमत है उसको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, वह यह है कि ऊँचाहार में लो-वोल्टेज की समस्या है उसके निराकरण के लिए माननीय सदस्य जी को यह बताया गया है कि अभी जो लाइन आती है वह अमावां से आती है उसकी लम्बाई 60 किलोमीटर की पड़ती है, इसकी वजह से लो-वोल्टेज की समस्या वहां पर आती है, उसकी जगह सलोन से 35 किलोमीटर की लम्बाई करके नई विद्युत लाइन 33 के0वी0ए0 की डालने के लिए हम सब सहमत हो गये हैं। और उससे इनकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा। साथ ही अमावां से ऊँचाहार के लिए जाने वाली जो जर्जर लाइनें हैं उनको भी हम बदलने का काम कर रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह उत्तर शासन ने 7 महीने पहले दे दिया मैंने जो कहा उस पर आपका संरक्षण चाहिए। 7 महीने पहले अपर मुख्य सचिव महोदय ने लिखकर दे दिया कि 3 महीने के अन्दर हम रिवैम्ड सलोन से जोड़ देंगे, आज 8 महीने से वह

जुड़ा नहीं है और यह कहा है कि आगे हम इस पर 132 के0वी0ए0 पर काम करेंगे तो न 7 महीने में रिवैम्ड सलोन से जुड़ा, यह तो स्वीकृति 7 महीने पहले हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि आगे जोड़ देंगे तो कुछ इसकी समय अवधि बता दीजिये कि अगर सलोन से जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ेंगे।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी उस कार्य को मैंने रिमांड योजना में ले लिया है इसमें वित्तीय उपलब्धता के हिसाब से करा देंगे।

जिला नगरीय विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा कार्यों में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण....

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[सूडा के माध्यम से विविध क्रियाकलाप संचालित किये जाते हैं। लखनऊ में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा जनहित के विविध कार्य कराये जाते रहे हैं। गत वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लखनऊ उत्तर क्षेत्र में कतिपय विकास कार्यों हेतु धनराशि निर्गत हुई थी, जिसमें अवशेष धनराशि लगभग 50 लाख के कार्यों हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए मैंने जिलाधिकारी/अध्यक्ष-डूडा, को दिनांक 15-10-2021 को कतिपय कार्यों का अनुरोध किया था। खेद का विषय है कि उक्त कार्य अभी तक नहीं हो पाये हैं और न ही मुझे इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कार्य में अनावश्यक विलम्ब कर सरकार की छवि बिगाड़ी जा रही है। जनहित में उक्त कतिपय कार्य अत्यन्त आवश्यक हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित कार्यों के प्रति विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अतः विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, डूडा, लखनऊ के पत्र संख्या-443, दिनांक 25-05-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ0 नीरज बोरा, मा0 विधायक द्वारा अपने पत्र संख्या-क-6एनओ-492158, दिनांक 15-10-2021 के माध्यम से 04 मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। मा0 विधायक के पत्र में उल्लिखित उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष क्रमांक संख्या-1, 2, 4 के कार्यों के आगणन (रु0 52.15 लाख) स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक संख्या-1762/डी0एम0/डूडा/2021-22, दिनांक 08-11-2021 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को प्रेषित किये गये थे। प्रस्ताव प्रेषण के सम्बन्ध में मा0 विधायक को भी सादर अवगत कराया गया था।

उक्त प्रेषित पत्र दिनांक 15-10-2021 द्वारा प्रस्तावित कार्यों को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के पत्र संख्या-3092/50/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 06-12-2021 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उक्त कार्य विभाग की स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित न होने के कारण उनकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की जा सकीं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-05-2022 को ...

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी क्षेत्र राजस्थान सीमा से लगा हुआ है। ब्लाक फतेहपुर सीकरी में करीब 70-80 ग्रामों में सिंचाई और पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। इलाके में पानी नहीं है। बरसात के कारण एक फसल ही किसान कर पाते हैं और पीने का पानी बहुत-बहुत दूर से लाया जाता है। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में 25 योजनाएं निर्मित हैं, जिनमें 09 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं एवं 16 एकल ग्राम पेयजल योजनाएं हैं। उक्त योजनाओं में से 14 पाइप पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिलिंग के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनसंख्या 408058 है। विधान सभा क्षेत्र में कुल 5713 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिसमें से 3613 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं।

3-उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद आगरा में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के नरौरा बैराज से गंगा जल के माध्यम से समस्त 615 ग्राम पंचायतों, (जिसमें ब्लाक फतेहपुर सीकरी के उल्लिखित 70-80 ग्राम भी सम्मिलित हैं) में सतही स्रोत आधारित पेयजल सुविधा प्रदान किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित है।]

श्री बाबूलाल-

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर सीकरी से जो 70-80 गांव राजस्थान सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और सिंचाई के बारे में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं लिखा है, पीने के पानी के बारे में इन्होंने कहा है कि इतने हैण्डपम्प लगे हुए हैं, इतनी टंकियां लगी हुई हैं। आप किसी भी एजेन्सी से जांच करा लें कि वहां पर कितने हैण्डपम्प चालू हैं, कितनी टंकियां चालू हैं, ज्यादातर बन्द पड़ी हैं, तब सरकार के सामने पूरा चिट्ठा आ जायेगा। 70-80 गांवों में सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है, हम चाहते हैं कि वहां पानी की व्यवस्था सरकार करे।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर मुझे दे देना, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर लूंगा।

जनपद फिरोजाबाद के अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, नगर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ एवं थाना दक्षिण के...

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पुराने, जर्जर अनावासीय/आवासीय भवनों का ध्वस्तीकरण तथा मलबे की नीलामी के उपरान्त भूमि रिक्त हो गयी है। उक्त दोनों थानों के मलबे की नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि क्रमशः रु0 8.10 लाख एवं रु0 4.01 लाख सी0ओ0 नं0-812, दिनांक 09-09-2021 एवं सी0ओ0 नं0-1009, दिनांक 13-10-2021 को राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है। वर्तमान में थाना रामगढ़ एवं थाना दक्षिण वैकल्पिक स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जहां संसाधनों के अभाव के कारण पूर्व क्षमता से कार्य संचालित नहीं हो पा रहा है तथा लाखों में कार्यरत पुलिस कर्मियों एवं आमजन को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए थाना रामगढ़ एवं थाना दक्षिण की रिक्त भूमि पर अत्याधुनिक नवीन प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करते हुए कार्यदायी संस्था नामित कराये जाने की महती आवश्यकता है। अतः नियम-51 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ एवं थाना दक्षिण की रिक्त भूमि पर अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धनावंटन की अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उक्तानुसार अवगत होना चाहें।]

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि प्रदेश में पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए और नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की जो बजटीय व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक मिसाल है। इसी कड़ी में एक छोटा सा नियम-51 में प्रस्ताव था, जनपद फिरोजाबाद में थाना दक्षिण और थाना रामगढ़ लगभग 70 साल पुराने थाने हैं। इनके भवन बहुत जर्जर थे, उन्हीं के आदेशानुसार इन थानों को नवीन आधुनिक भवन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उससे पहले ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ और वर्तमान में दोनों थाने जो पहले जर्जर भवन से संचालित थे वहां सपाट प्लॉट बन चुका है और कामचलाऊ व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें अन्यत्र स्थापित किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि थानों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है तो वहां पर बजटीय व्यवस्था और कार्यदायी संस्था नामित करने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस समय यह बता दें कि वैकल्पिक रूप से थाना कहां से चल रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, वैकल्पिक रूप से बगल के स्थानों पर जैसे कि कोई मकान बन रहा हो तो किराये पर कोई पड़ोस में चला जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

छप्पर में तो नहीं चल रहा है।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, छप्पर में नहीं चल रहा है। यह ध्वस्तीकरण इसीलिए हुआ है कि जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन बने।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस पर जरूर विचार कर लेंगे, जो परिस्थिति आपने बतायी, यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है कि थाना नया बनना चाहिए तो हम इससे सहमत हैं।

श्री मनीष असीजा-

आपका बहुत-बहुत आभार।

जनपद कानपुर नगर के सुजातगंज चन्दारी क्षेत्र में जे0एन0यू0आर0एम0 पेयजल परियोजना के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद हसन रूमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कानपुर नगर में जे0एन0यू0आर0एम0 परियोजना अन्तर्गत अनेक पानी...

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कानपुर नगर में जे0एन0यू0आर0एम0 परियोजना अन्तर्गत अनेक पानी की टंकियां, फीडर लाइनें एवं वितरण प्रणाली बनायी गयी थी जिससे सुजानगंज चन्दारी क्षेत्र में 10 लाख लीटर की पानी की टंकी 12-14 सालों से ठूंठ खड़ी है। जबकि क्षेत्र में लाखों की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः पेयजल संकट से निपटने हेतु उक्त टंकी को शीघ्र चालू कराये जाने व पेयजल संकट के विषय में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करते हैं।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सुजानगंज चन्दारी क्षेत्र में 1700 किलोलीटर का शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूर्ण कर लिया गया था, परन्तु भूमि विवाद के कारण पम्प हाउस बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य सम्बन्धित कार्य बाधित रहे। बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण न होने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा निर्मित सी0डब्लू0आर0 एच0टी0/एल0टी0 पैनल रूम एवं विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

पुलिस बल के सहयोग से माह फरवरी, 2022 तक सभी सिविल कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। अनुबन्धित फर्म रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों की आपूर्ति हेतु नया वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चार माह की अवधि में उक्त क्षतिग्रस्त उपकरणों के स्थान पर नये विद्युत उपकरण लगाकर एवं विगत लगभग 08 वर्षों से टंकी खाली रहने के कारण उसकी आवश्यकतानुसार रेट्रोफिलिंग करने के उपरान्त, पानी की टंकी क्रियाशील कर दी जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

शनिवार को भी हाउस बैठेगा, कुछ लोगों को शंका थी कि शनिवार को हाउस होगा या नहीं तो शनिवार को हाउस बैठेगा। अभी हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक : 26 मई, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(राज्यपाल अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में सदस्यों द्वारा दिये गये लिखित भाषण)

श्री अरविन्द गिरि-

मा0 अध्यक्ष/अधिष्ठाता महोदय, आपका हृदय से आभार कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ0 मन्जू शिवाच द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन पर मैं बल दे रहा हूं।

पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर मत व्यक्त किया। आज हम करोड़ों लोगों का ही सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी का व्यक्तित्व है कि आज सम्पूर्ण विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश का आज उत्तम प्रदेश का सपना यथार्थ हो गया है।

1-विधान सभा क्षेत्र-139, गोला गोकर्णनाथ जनपद खीरी के अन्तर्गत ग्राम सभा, सिकन्द्राबाद में एवं गरदहा विकास खण्ड कुम्भी, गोला में इण्टर कालेज भवन तैयार है। महाराजनगर विकास खण्ड बांकेगंज व गरदहा विकास खण्ड कुम्भी, गोला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) भवन तैयार है। मैलानी नगर पंचायत में बहुद्देशीय बारात घर व प्रेक्षागृह तैयार है। उक्त सभी को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-नगर पंचायत मैलानी में कन्या इण्टर महाविद्यालय की जनहित में स्थापना की जाय।

3-जनपद लखीमपुर खीरी वन सम्पदा में धनी है, सभी वन क्षेत्रों में वन विश्राम गृह है, गोला वन क्षेत्र में भी वन विश्राम गृह की आवश्यकता को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

4-मेरी विधान सभा क्षेत्र-139, गोला गोकर्णनाथ में अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्गों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से स्वीकृत कराकर चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में :-

1-मढ़िया सड़क से अल्लीपुर होते हुए लखीमपुर मार्ग तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

2-गोला गोकर्णनाथ मार्ग से गनेशपुर-झाऊपुर-सुभाषनगर होते हुए अमीरनगर चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

3-टेढ़ेनाथ मन्दिर से मगदापुर-भोगियापुर-गफ्फानगर होते हुए मोहम्मदी मार्ग तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

4-लखीमपुर-बिजुआ मार्ग से चौसन्दे बाबा स्थान होते हुए चन्दपुरा तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

5-लखीमपुर मार्ग से बेलहा सिकटिहा-चकपुरवा-रूरा-गुजारा होते हुए मोहम्मदी तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

6-भीरा लखीमपुर मार्ग से महेशापुर-बहादुरनगर-अम्बारा होते हुए नौगवां चौराहे तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

7-अलीगंज से हरसिंहपुर-गुरुद्वारा नं0-2-बसलीपुर होते हुए छैरासी तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

8-अलीगंज-रायपुर मार्ग से लखरावां-मूड़ा सवारान-हिकमतनगर-फूलपुर होते हुए छैरासी तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

9-शारदा नदी से रायपुर प्रा0पा0 होते हुए बस्तौली तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

10-गोला-कोटवारा-जड़ौरा-अल्लीपुर होते हुए सिकन्द्राबाद तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।

डॉ0 अमित सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर कार्य करते हुए प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा।

मान्यवर, प्रदेश के विकास की गति 2017 के पूर्व रुक सी गयी थी, लेकिन 2017 से निरन्तर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने से लोगों में आत्म विश्वास बढ़ा है।

1-विद्युत व्यवस्था-

पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक हफ्ते दिन व एक हफ्ते रात लाइट रहती थी एवं वोल्टेज की भारी दिक्कत रहती थी। ग्रामीण क्षेत्र में जब ट्रांसफार्मर खराब होता था तो महीनों-महीनों लग जाते थे। किसान की सिंचाई प्रभावित रहती थी लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता मा0 योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनायी कि ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी है। मान्यवर, अब हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो एक से दो दिन के भीतर बदल जाया करता है। आज किसान खुशहाल है क्योंकि आज सिंचाई सुचारु रूप से हो पा रही है।

2-शिक्षा-

हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर आमूल-चूल कार्य किया है। पहले की सरकारें सरकारी विद्यालयों पर ध्यान नहीं देती थीं लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय योगी जी को जिन्होंने मिशन कायाकल्प के जरिये स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की तथा स्कूलों की रंगाई-पोताई, टाइल्स सहित सरकारी स्कूल का कायाकल्प कराया। पहले उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में जूता, मोजा, किताब, कापी, स्वेटर, ड्रेस एवं बैग उपलब्ध कराया,

अब अभिभावकों के खाते में 11 सौ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से भेज रही है। आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

3-स्वास्थ्य-

मान्यवर, मैं पेशे से एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर हूं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में प्रभारी चिकित्साधिकारी भी रहा हूँ। आज खुशी की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। मान्यवर, हमारे जनपद अयोध्या में दशरथ मेडिकल कालेज का भी हमारी सरकार में निर्माण हुआ है।

4-आयुष्मान भारत-

मान्यवर, विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 1.84 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण किया जा चुका है। निश्चित ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता मा0 योगी जी को जिन्होंने मेरी विधान सभा क्षेत्र में कई विकास कार्य किये हैं।

1-बीकापुर को एक राजकीय महाविद्यालय दिया।

2-राजकीय गेस्ट हाउस दिया।

3-किसान कल्याण केन्द्र दिया।

4-अयोध्या एवं गोण्डा को जोड़ने वाले ढेमवा पुल का निर्माण कराया गया।

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मुझे बैठने का अवसर मिल रहा है। निश्चित ही मुझे पूज्य सदन में बैठकर अपने विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, अयोध्या के किसान, गरीब, मजदूर, गांव की समस्या को उठाने का अवसर मिल रहा है।

मान्यवर, मैं स्व0 मुन्ना सिंह चौहान जी का पुत्र हूँ, जो 2002 से 2010 तक विधान परिषद सदस्य के रूप में विभिन्न समितियों, याचिका समिति, विधायी समाधिकार समिति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सभापति के रूप में एवं 2005 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के रूप में कार्य किया तथा उ0प्र0 विधान परिषद् के सदस्य के रूप में सर्वाधिक प्रश्न पूछने का रिकार्ड प्राप्त था तथा मान्यवर मेरी माता श्रीमती शोभा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य 2017 से 2022 तक थीं।

मान्यवर, हमारी सरकार पं0 दीन दयाल के सपनों को साकार कर रही है जिनकी सोच थी जब तक देश में रहने वाले अन्तिम व्यक्ति तक विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होता।

मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

कुँ0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं उपरोक्त अन्य शिक्षाओं के स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 90 प्रतिशत बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रायः देखने में आया है कि यह विद्यालय ढांचागत सुविधाओं के मामलों में निजी विद्यालयों से पिछड़े हुए हैं, जबकि इन विद्यालयों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। विधान सभा सदस्यों को विकास कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली विधान सभा क्षेत्र विकास निधि में विद्यालयों को सुधारने हेतु धन का प्रावधान न होने के कारण शिक्षा जैसे आवश्यक विषय पर समुचित कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अतः विद्यालयों के समेकित विकास, आधुनिक शिक्षण, तकनीकियों से लैस कराने हेतु विधायक निधि आवंटन में निम्न संशोधन किया जाना जनहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

1-प्रवेश द्वार एवं प्रवेश स्थल के सौन्दर्यीकरण।

2-विद्यालय प्रांगण में इण्टरलॉकिंग, नाली एवं विभिन्न मरम्मत कार्य हेतु।

3-विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था।

4-स्मार्ट क्लास हेतु आवश्यक उपकरण।

5-निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा एवं जेनरेटर, इन्वर्टर तथा बैटरी की व्यवस्था।

6-स्वच्छ पेयजल हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापना।

7-कम्प्यूटर, पंखे, कूलर, ए0सी0, एल0ई0डी0 एवं प्रोजेक्टर आदि आवश्यक इलेक्ट्रानिक उपकरण।

8-शौचालय निर्माण, खेल सामग्री व उपकरण।

9-विद्यालय में पार्क व पुस्तकालय।

10-विद्यालयों में इन्डोर एवं आउटडोर जिम की स्थापना।

11-स्कूल के भीतर व बाहर समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा।

12-मध्याह्न भोजन हेतु किचन व भोजन स्थल निर्माण एवं मरम्मत आदि कार्य।

13-विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई, बिजली की फिटिंग, फर्श का निर्माण, शौचालय का निर्माण तथा मरम्मत परिसर के अन्दर फर्श, इण्टरलॉकिंग, टाइल्स एवं विभिन्न खेल उपकरणों एवं पानी की टंकी आदि की स्थापना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य।

श्री विनय कुमार द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी के द्वारा राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष दिये गये अभिभाषण के समर्थन में मा0 सदस्य डॉ0 मन्जू शिवाच जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और आज देश में सबसे तेज तरक्की करने और विकास की गंगा बहाने वाला भी राज्य है। मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पांच वर्ष के अपने प्रथम कार्यकाल में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सरकारों में सबसे कई गुना अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश की जनता के दिलों में यह विश्वास पैदा कर दिखलाया कि उनके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर योगी सरकार बखूबी खरा उतरकर राज्य को चहुंमुखी विकास की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प रखती है और आमजन की आकांक्षाओं की ही सरकार है तथा उनकी बेहतरी को प्रतिबद्ध है। मान्यवर, सरकार के प्रति जनता का यह विश्वास ही है कि योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पुनः प्रचण्ड बहुमत से विजयी होकर सत्ता में आई और प्रदेश के इतिहास में एक नया कीर्तिमान लिखने का काम किया। मान्यवर, हमारी सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल खण्ड का सामना करने के बावजूद भी प्रदेश के तीव्र विकास की गति को कायम रखा और इस आपदा के काल में प्रदेश के आम जन की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा, लोगों को दवा, भोजन, राशन और ऑक्सीजन की शत-प्रतिशत आपूर्ति कर लोगों के जीवन रक्षा में भी सफल साबित हुई। मान्यवर, मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसी सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला।

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विगत पांच वर्ष के अपने कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन एवं बिजली जैसे प्रदेश के चहुंमुखी विकास के सभी आधारभूत विषयों पर ऐतिहासिक कार्य कर प्रदेश को तरक्की की ओर आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है योगी 2.0 में भी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी तथा उत्तर प्रदेश का गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर-मजलूम, महिलायें सहित समूचे प्रदेश के हर तबके को विकास की ओर ले जाने का कार्य करेगी।

मान्यवर, देश के ओजवान प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार ने छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त करने हेतु उन्हें स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर उनके भविष्य की उत्कृष्ट आधारशिला रखने का काम किया, आज दुनिया तकनीकी की ही राह पर आगे बढ़ रही

है। ऐसे में मा0 मुख्य मंत्री जी का यह कदम उत्तर प्रदेश के हर छात्र का भविष्य उज्ज्वल करने में सबसे बड़ी आधारशिला होगा।

मान्यवर, अच्छी सड़कों को विकास का सबसे बड़ा आधार कहा जाता है और मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में प्रदेश हर दिन नया इतिहास लिख रहा है, मान्यवर, हमारी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराकर बेहतर सड़कें बनाने का भी गौरव हासिल किया तथा उसके साथ-साथ प्रदेश में अन्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी प्रगति पर है, ऐसी सुन्दर और सुगम सड़कों को बनाने का निर्णय लेकर मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे दूरगामी सरकार है।

मान्यवर, हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए युवा उद्यमिता विकास अभियान सहित विभिन्न स्वरोजगार का अभियान चलाकर युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया है जिसके फलस्वरूप आज प्रदेश के युवा अपना भविष्य बनाने के साथ-साथ बड़ी संख्या में अन्य को रोजगार भी दे रहे हैं, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को समर्पित इस लोक कल्याणकारी कार्य के लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, गन्ना विकास, ग्राम विकास एवं पंचायती राज, जल शक्ति, नमामि गंगे योजना, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, आवास एवं नगर विकास, लोक निर्माण विभाग, न्याय, पशुपालन जैसे सभी विभागों के तहत सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, मुझे विश्वास है इन पांच वर्षों में भी प्रदेश के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान को और सशक्त कर उनकी और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद गोण्डा के मेहनौन विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। काकोरी काण्ड के महानायक राजेन्द्र लाहिड़ी जी ने जब गोण्डा की जेल में फांसी के फंदे को चूमा था तो उन्होंने कहा था, 'मैं मर नहीं रहा बल्कि पुनर्जन्म ले रहा हूँ', मुझे विश्वास है यदि आज उन्होंने कहीं पर पुनर्जन्म लिया होगा तो उनकी आत्मा उनके सपनों के भारत के आज के इस रामराज्य की सरकार को तथा ऐसे उत्कृष्ट बजट को देखकर खुश होगी।

मान्यवर, यह सभी जानते हैं 2017 में जब हमारे नेता मा0 योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का पद संभाला था तो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, अपराध, गुण्डई से जूझ रहा था। मान्यवर, ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने चन्द दिनों में ही प्रदेश को चमत्कारिक ढंग से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कर दिखलाने का कार्य किया, मान्यवर, हर तरफ गड्ढायुक्त सड़कें थीं, सड़कों में गड्ढा था या गड्ढों में सड़क थी, इसका अन्दाजा लगा पाना मुश्किल था, परन्तु मान्यवर किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि नीयत अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे ही होते हैं और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सड़कें गड्ढामुक्त हुईं, यातायात सुगम हुआ।

मान्यवर, जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो भ्रष्टाचार एवं अपराध पर कड़ा नियंत्रण लगाकर, कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराधमुक्त, भयमुक्त व अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित करने का लक्ष्य भी बड़ा कठिन था परन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी के साहसिक इरादों से आज प्रदेश के वे अपराधी भी दया की भीख मांग रहे हैं जिनसे कभी सरकारें डरा करती थीं और उनका संरक्षण करने का काम करती थीं, वे सभी या तो जेल के अन्दर हैं या उनका सफाया किया जा चुका है और मा0 मुख्य मंत्री जी का अपराधियों और दंगाईयों पर नियंत्रण का मॉडल आज देश के अन्य राज्यों के साथ ही साथ दुनिया के कई देश भी इस मॉडल को अपना रहे हैं।

मान्यवर, कभी उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाया करते थे, कहीं उन्हें हीन भाव से देखा जाता था तो कहीं उन्हें पिछड़े प्रदेश का कहकर भगा दिया जाता था परन्तु जबसे उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तबसे अब उत्तर प्रदेश के दिन बदल रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ-साथ अन्य राज्यों के नौजवानों के लिये भी धीरे-धीरे रोजगार का केन्द्र बन रहा है, अन्य राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं। मान्यवर, इन्वेस्टर समिट जैसे सफल आयोजनों से दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में रोजगार के नये-नये आयाम लेकर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में रोजगार देने वाले प्रदेश की तरफ अग्रसित है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने केन्द्र की मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं को न सिर्फ सफल रूप से लागू किया बल्कि प्रदेश के नागरिकों को उसका लाभ दिला सबके अनुपालन में पूरे देश में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। मान्यवर, एक कर्मशील सरकार यदि सही इरादे से कार्य करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। यह हमारे मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में अनूठे तरह से कर के दिखलाया और विश्वास है दूसरे कार्यकाल में और बेहतर करेगी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तबका खेती-किसानी पर निर्भर है परन्तु पिछली सरकारों ने किसानों का क्या कुछ शोषण नहीं किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, गन्ना किसान अपने बकाये के लिये दर-दर भटकते थे, पर जब से उत्तर प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की भाजपा सरकार आयी है तब से उनके गन्ने का एक भी पैसा रुकता नहीं बल्कि उनके पिछले बकाये के पाई-पाई का भुगतान कराने का कार्य भी कर दिखलाया। मान्यवर, यही असली रामराज्य है, जिस राज्य का अन्नदाता खुश, नौजवान खुश, व्यापारी खुश, महिलायें खुश, बहन-बेटियां खुश, वही रामराज्य है।

चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं।।
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी।।

मान्यवर, हमारी सरकार सड़क, शिक्षा, बिजली जैसे विकास के सभी क्षेत्रों में अत्यन्त तीव्रता से कार्य कर रही है, सरकार बड़ी-बड़ी, अच्छी-अच्छी सड़कें बनाने का कार्य कर रही है, पिछली सरकारों में सड़कों में जो काला काम होता था, वह किसी से छिपा नहीं है परन्तु हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के उन सभी रास्तों को बन्द कर न सिर्फ सड़कों को बनाने के बजट में भारी कमी लायी बल्कि राजकोष को भी बड़ा फायदा पहुंचाने का कार्य किया।

मान्यवर, ये कार्य इस बात को साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर-मजलूम, नौजवानों के लिए यदि कोई सरकार काम कर रही है तो वह एकमात्र योगी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या को रखूंगा, महोदय मेरे क्षेत्र की जीवन रेखा कही जाने वाली इथियाटोक, बाबागंज मार्ग जो कि अन्य जिला मार्ग (ओ0डी0आर0) में से एक है, बहुत ही पुराना मार्ग है। उक्त मार्ग पर आवागमन बहुत ही अधिक रहता है। आये-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस मार्ग की चौड़ाई मात्र तीन मीटर ही है और अक्सर लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाय, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को इस बड़ी समस्या से निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का स्वप्न था। मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रत्येक गरीब के सिर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति की है, गरीबों का सहारा बनने के लिए भी मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं आज बड़े ही खुशी मन से अभिभाषण के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी के पदचिन्हों का अनुसरण कर प्रदेश में रामराज्य की असल परिकल्पना को साकार करने का जो काम किया है, उसका मैं अपने मेहनौन विधान सभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ तथा अन्त में मा0 मुख्य मंत्री जी के सम्मान में एक कविता कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा-

तू प्राण सनातन का है, मानवता का जीवन है।
तू सतियों का आंचल है, तू पावनता का धन है।
तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है।
सच कोई मुझसे पूछे, तो तू ही तू भारत है।।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा खातून-

महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहती हूँ और सदन के माध्यम से अपनी बात लोकहित में सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ।

1-महोदय, ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सरकार 18 घण्टे बिजली दे रही है परन्तु महोदय मेरे क्षेत्र के किसी भी ग्राम सभा में 04 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं रहती है, इस भीषण गर्मी में लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2-सरकार ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन इस सरकार में एक महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है। एक थानेदार महिला विधायक के अधिकारों की धज्जियां उड़ाकर उसे अपमानित करने का काम करता है। महोदय, मेरे क्षेत्र के थाना-डिडई का थानाध्यक्ष अपने आपको कानून से बड़ा मानता है। आये दिन आम जनता से बदतमीजी करता है, हालात यह है कि डर के नाते कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर नहीं जाता है। वसूली के लिए लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। महोदय, अभी हाल ही में ग्राम-मसिना में खड़े होकर बंजर जमीन पर कब्जा कराने का काम किया। जबकि सरकार बंजर जमीन के नाम पर लोगों के घर पर बुलडोजर चला रही है।

3-महोदय, मेरे क्षेत्र के ग्राम-मिश्रोलिया में स्थापित आई0टी0आई0 कालेज भवन का निर्माण पिछले कई सालों से अधूरा रुका पड़ा है, जिसके कारण शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे यहां क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है और इस आई0टी0आई0 के शुरू होने से यहां के युवाओं को सशक्त बनाने की तरफ एक कदम उठाया जा सकता है।

4-महोदय, हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहां हजारों एकड़ फसलें हर साल बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो जाती हैं। महोदय, मेरे क्षेत्र के ग्राम-भोजपुर के पास राप्ती नदी के तट पर बने बंधे जो कि तेनवी, वीरपुर, कोलहवा से आता है, बीच-बीच में कई जगह कटा हुआ है जिसके कारण यहां पर भी हर साल भीषण बाढ़ का प्रकोप होता है। अतः मेरी सरकार से आग्रह है कि इस बंधे के कटे, टूटे हुए हिस्से के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाये जिससे लोगों के जान-माल की हानि को रोका जा सके।

5-इसी प्रकार के हमारे क्षेत्र के ग्राम-बिथरिया राप्ती नदी तट पर साइफन न बने होने के कारण उस क्षेत्र के कई गांव की हजारों बीघा फसलें बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो जाती हैं और आवागमन बाधित हो जाता है। अतः इस जगह राप्ती नदी के तट पर साइफन बनाकर इस बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सकता है।

6-विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम-लटिया के पास सरयू नहर के बने साइफन पर अभी तक नाले का निर्माण कार्य नहीं हो पाया जिसके कारण क्षेत्र के दर्जनों गांव जल भराव से प्रभावित हैं। जल भराव के कारण हजारों बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। लोगों का आवागमन रुक जाता है। अतः निवेदन है कि साइफन पर नाले का निर्माण करके इस क्षेत्र की

समस्या का समाधान किया जाय जोकि जनहित में अति आवश्यक है। इसी प्रकार ग्राम-सिसई, बरगदवा में साइफन तो बन चुका है, परन्तु अभी तक नाले का कार्य नहीं हुआ है जिसके कारण आम जनता को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस नाले का भी निर्माण लोकहित में अति आवश्यक है।

7-महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज बीते विधान सभा क्षेत्र चुनाव में काफी चर्चा में रहा है। यहां के पूर्व विधायक के द्वारा जाति समुदाय विशेष के खिलाफ कई बार अपशब्द टिप्पणी की गई, उनके द्वारा सभाओं में धर्म विशेष के खिलाफ बोलकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इस सम्बन्ध में उक्त पूर्व विधायक पर विभिन्न थानों में गम्भीर मुकदमे भी दर्ज हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और नफरत फैलाने का काम इस पूर्व विधायक द्वारा अभी तक जारी है। महोदय, इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच करके कठोर कार्यवाही करना अति आवश्यक है।

8-इसी प्रकार मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता थाने में नहीं जायेगा। इस पूर्व विधायक डुमरियागंज के द्वारा थाने में बैठकर थानाध्यक्ष और अधिकारियों पर दबाव बनाकर गरीब और बेगुनाह लोगों पर फर्जी मुकदमे करवाता है। तहसीलदार और उप जिलाधिकारी पर दबाव बनाकर अनैतिक कार्य कराता है। महोदय, यह पूर्व विधायक अपने आपको मुख्य मंत्री जी का बहुत करीबी बताता है और धौंस दिखाकर सारे अनैतिक कार्य कराता है। महोदय, मैं चाहती हूँ कि मुख्य मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया जाये कि इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। क्या यह मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर क्षेत्र में अराजकता फैलाये, महोदय यह हमारे क्षेत्र के गंगा-जमुनी तहजीब को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि इस विषय पर विशेष जांच कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह-

आदरणीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष 23 मई, 2022 को दिया। मैं उनका आदरपूर्वक धन्यवाद प्रकट करता एवं गर्व महसूस करता हूँ और राज्यपाल जी ने योगी सरकार के विकास कार्यों एवं सर्वजनों के हितों के लिए कोरोना महामारी के दौरान 24 घण्टे किये कार्यों को इस सम्मानित सदन के माध्यम से आम-जन तक गौरवशाली सन्देश दिया है।

भाजपा की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किये हैं।

1-यूपी को विकास का नया आयाम दिया है।

2-महिलाओं को विपक्ष के गुण्डा-माफियाओं से सुरक्षा का माहौल दिया है।

3-सरकार ने भू-माफियाओं, गुण्डों को जेल के अन्दर या प्रवेश से बाहर जाने हेतु विवश कर दिया है।

4-मोदी-योगी जी की सरकार ने हर गरीब को माह में 2-2 बार निःशुल्क राशन दिया।

5-डबल इंजन की सरकार ने किसानों को सूदखोरों से बचाने के लिए किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जाना ऐतिहासिक योजना है।

6-आमजन के लिए घर-घर शौचालयों को अभियान के रूप में बनवाया है।

7-स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे यूपी में युद्ध स्तर पर विदेशी स्तर के सुधार एवं बदलाव किये।

8-पुलिस व्यवस्था को और हाईटेक बनाने के लिए विशेष अभियान के रूप में बदलाव किये हैं।

9-डायल-112 को विश्व स्तर का प्रभावी सेवा बनाया है। आमजन हेतु वृहद् रूप से प्रचार-प्रसार किया गया है।

10-मेरी विधान सभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार की कृपा से मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हुआ।

11-राजकीय कृषि आश्रम पद्धति स्कूल एवं छात्रावास बनकर तैयार हुआ।

12-प्राचीन मन्दिर दाऊजी महाराज पर्यटक स्थल के रूप में विस्तार हुआ।

13-हवाई पट्टी का राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विस्तार होना ऐतिहासिक एवं गौरवशाली अध्याय जुड़ा है।

14-योगी जी की सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में विश्व बैंक के सहयोग से एक बड़ी सड़क का निर्माण कराया।

15-मेरे क्षेत्र में गंगीरी विकास खण्ड के बच्चे स्कल जाने के लिए नीम नदी में पानी में होकर या किसी अन्य सहारे से बैठकर पार करके जाते थे। किसानों को खेती करने के लिए अत्यन्त दुविधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन योगी जी की सरकार ने पुलों का निर्माण कराकर जनहित-लोकहित में जनकल्याण किया।

मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि-

1-मेरी विधान सभा क्षेत्र के अधिक लोक महत्व वाले मार्ग गोपी से तेहरा वाया भिलवाली को लोक निर्माण विभाग में शामिल कराकर करवाने की कृपा करें।

2-मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुशलतापूर्वक संचालित जसरथपुर ट्रामा सेन्टर में आवश्यकतानुसार और डॉक्टरों की तैनाती व एक्स-रे मशीन, सी0टी0 स्कैन मशीन, पैथलॉजी लैब की सुविधा बढ़वाने की कृपा करें।

3-मेरी विधान सभा क्षेत्र के अधिक व्यस्ततम मार्ग नानऊ से सासनी तक का चौड़ीकरण कराने की कृपा करें।

4-मेरी विधान सभा क्षेत्र के अधिक व्यस्ततम मार्ग अकराबाद से सासनी तक का चौड़ीकरण कराने की कृपा करें।

5-मेरे क्षेत्र में कुशलतापूर्वक संचालित गौशालाओं को और प्रभावी बनाने हेतु एवं प्रतिदिन चारे-भूसे की दर बढ़ाने तथा गौशालाओं को विद्युत से जोड़ने की विभागीय स्तर से स्टीमेट सरकार की ओर से जमा कराये जाने की कृपा करें।

6-मेरी विधान सभा क्षेत्र के जी0टी0 रोड सिंधौली से रामघाट रोड तक वाया जाफरी ड्रेन, ओजोन सिटी व सांगवान सिटी का पुनः नवनिर्माण एवं चौड़ीकरण-सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा करें।

7-मेरे क्षेत्र की शेष विद्युत कनेक्टिविटी जनपद हाथरस की सप्लाई से हटाकर जनपद अलीगढ़ करवाने की कृपा करें।

8-मेरे क्षेत्र के एटा-चुंगी चौराहे से क्वारसी चौराहे तक वाया क्यामपुर मोड़ बाईपास का चौड़ीकरण करवाने की कृपा करें।

9-मेरी विधान सभा क्षेत्र की 2 प्रमुख नगर पंचायतों कोड़ियागंज एवं पिलखना का सीमा विस्तार कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

श्रीमती पूजा पाल-

किन्तु खेद है कि माननीय श्री राज्यपाल महोदया जी के द्वारा अपने अभिभाषण में जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय।

1-तिल्हापुर विद्युत उपकेन्द्र पर ओवरलोड के कारण फीडर का बार-बार ट्रिप करने के कारण कई-कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। उक्त क्षेत्र में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-मोहम्मदपुर मनौरी फीडर में भी ओवरलोड होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या बराबर बनी रहती है। उक्त क्षेत्र में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।

3-हरदरमऊ से सरकारी नलकूप होते हुए नूरपुर कच्ची सड़क का नवनिर्माण लगभग 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

4-हरदरमऊ-सेवढ़ा लिंक मार्ग से उत्तर की तरफ जुनैद के नलकूप वाली कच्ची सड़क का नवनिर्माण लगभग 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

5-बिगहरा उसमानपुर नगर हनुमान मन्दिर से जवई सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण लगभग 9 कि0मी0 धन आवंटित करने के सम्बन्ध में।

6-ग्राम सभा जरैनी से अहलादपुर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण लगभग 2 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में

7-नसीरपुर पक्की सड़क से शेरगढ़ तक पक्की सड़क नवनिर्माण लगभग 2 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

8-शेरगढ़ जू0 विद्यालय से पन्ना लाल गौशाला तक नवनिर्माण 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

9-तालाब से बड़ी नहर तक नवनिर्माण डहरा 1.5 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

10-चन्दुपुर से अमरायन तक नवनिर्माण लगभग 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

11-कल्यानचन्द्र पासी के पश्चिमी मेड़ से गयाप्रसाद यादव साना के ट्यूबवेल से होते हुए सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण 1.5 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

12-कादी रोड तालाब के पास से काली रोड तक नवनिर्माण 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

13-मनौरी चरवा रोड से हथगहां रोड तक नवनिर्माण लगभग 2 कि0मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-बहादुर मार्ग से हरहराई मार्ग तक नवनिर्माण लगभग 6 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

15-लौकीपुर पतेरिया तक नवनिर्माण लगभग 1.2 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

16-ट्रांसफार्मर से छोटेलाल के घर तक नवनिर्माण पन्नोई लगभग 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

17-डामर रोड से राम विशाल के घर तक नवनिर्माण 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में।

18-ग्राम कटैया में मकतब स्कूल से सरकारी प्राइमरी पाठशाला होते हुए डामर रोड कटैया तक लगभग 1.5 कि0मी0 नवनिर्माण के सम्बन्ध में।

19-ग्राम कटैया इकबाल के घर से निशाद बस्ती तक लगभग 1.0 कि0मी0 नवनिर्माण के सम्बन्ध में।

20-ग्राम बेनपुर कटैया मार्ग पर 500 मी0 सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में।

21-जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा क्षेत्र में चौराडीह में राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय स्थापित है, उक्त क्षेत्र के आस-पास मनौरी चायल तिल्हा मोड़ आदि क्षेत्रों में आने-जाने हेतु सड़क मार्ग का अभाव है। अतः उक्त क्षेत्रों में सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

22-विधान सभा क्षेत्र चायल के महमूदपुर मनौरी बाजार में सी0एस0सी0 हास्पिटल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री सन्दीप सिंह-

महोदय, आपको अवगत कराना है कि महमहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर मेरे द्वारा लिये गये भाषण में समयाभाव के कारण कुछ तथ्य छूट गये थे।

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओं की कार्यवाही का अंग बनाये जाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

1. क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है अतः उस गांव में चकबन्दी कराना अनिवार्य है-पकरी सेवार, चौकठा नरवर, कठौली व बिसहिजन कला।

2. क्षेत्र से पैसेन्जर ट्रेन रद्द होने के कारण ग्रामीणों को शहर जाने में दिक्कतें होती हैं। विभिन्न गांवों में सिटी बस का परिचालन कराया जाये-परानीपुर, माण्डाखास, मेजा खास, कोहडार, मदरा मुकुन्दपुर से।

3. क्षेत्र के उसकी गांव में ''उसकी माइनर'' व सिरसा केनाल पम्प पकरी सेवार के ''पकरी-माइनर'' व ''दक्षिण माइनर'' की लाइनिंग कर पक्का निर्माण।

4. क्षेत्र में परानीपुर घाट से गंगा नदी के ऊपर लाक्ष्यागृह घाट तक पक्का पुल का निर्माण।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में वर्ष 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास कार्यों की बाढ़ आ गई है।

माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश को माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा दिया है, अपराधी जेल में पहुंच गये हैं। कई आत्मसमर्पण करने पुलिस थानों में पहुंच रहे हैं, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

इससे पहले वर्ष 2012-2017 तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह का अराजकता, गुण्डाराज और ताण्डव हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास कार्य तो किये थे लेकिन उन्होंने वह विकास कार्य खुद के लिए किये थे।

सपा शासन में सपा नेताओं ने अवैध खनन, जमीन कब्जों व दबाव बनाकर किसानों की जमीन लेकर उन पर अवैध कालोनियां बनाईं और अरबों की कमाई की, खनिज की सपा नेताओं ने चोरी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में खनिजों से जितना पैसा आ रहा है और प्रदेश को जितना राजस्व प्राप्त हो रहा है वह सारा का सारा पैसा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में लगाया जा रहा है। वर्ष 2017 के पहले यहां पर नेताओं का विकास होता था और इन्होंने हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति अपने नाम कर रखी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार के समय में सभी जगह पर शानदार सड़कें बनी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खुल रहे हैं जबकि हमारे पास संसाधन नहीं थे। हमारी गरौठा विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र थी लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में यहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराये गये हैं। बडवार झील से कम से कम हमारे 70-80 गांवों को सिंचाई का साधन मिल गया है। हम कह सकते हैं कि एरच बांध का काम लम्बे समय से रुका हुआ था, जिसको हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा किया गया है। हमारी सरकार के समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया गया है तथा इसमें और काम करने की जरूरत है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के द्वारा जहरीला भोजन, अनाज, फल, सब्जियां हम लोग ग्रहण करते हैं जिससे घातक बीमारियां पैदा हो रही हैं। कैंसर, किडनी इत्यादि तमाम तरह की बीमारियों के कारण हमारे स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ रहा है। हम जो निर्यात करते थे वह भी घट रहा है। हम आज वास्तव में प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं जिससे गेहूं, चना, मसूर, राई, धान तमाम तरह की फसलों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी अगर एक गाय किसान के खेत में बंधी रहेगी तो 10 एकड़ से लेकर 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। हम फिर उसी युग में लौट सकते हैं जहां केवल एक एकड़ में धान, गेहूं, सरसों पर्याप्त मात्रा में हो जाता था। उस समय पानी तक की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन आज हम लोगों ने रासायनिक कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करके खेतों की उर्वरा शक्ति को कम कर दिया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और सब्सिडी देनी चाहिये ताकि हमारे स्वास्थ्य पर कम से कम प्रतिकूल असर पड़े। आज हम देख सकते हैं कि लौकी हो, तोरई हो या फल हो, गेहूं हो, मटर हो, मसूर हो, चना हो, हमें जो भोजन मिल रहा है वह विषाक्त भोजन मिल रहा है। यदि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो उससे छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में सरकार के द्वारा यह प्रयास लगातार किया गया है कि गुण्डाराज हमें समाप्त करना है। हमारी मातायें-बहनें जो

आधी रात को नहीं चल सकती थीं हमारी बच्चियां स्कूल और कोचिंग नहीं जा पाती थीं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उन पर टेढ़ी नजर करने वाले जेल के सींखचों में हैं या प्रदेश से बाहर हैं। सरकार गुण्डाराज के खिलाफ लगातार प्रयास कर रही है। आज किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार का भरपूर प्रयास चल रहा है। चाहे बलिया जिला हो, मेरठ हो या बुन्देलखण्ड हो, सभी जगह एक जैसी बिजली मिल रही है और लगातार शहरों में 24 घण्टे बिजली मिल रही है। इसी के साथ किसानों के लिए लगातार हमारा प्रयास है कि कोरोना काल में जो सब्सिडी किसी न किसी कारण से खत्म कर दी थी और उसमें हजारों किसानों की जो धनराशि तीन साल से जमा है उसमें पुनः किसानों को कनेक्शन जारी किये जाने का अनुरोध करता हूँ।

हमारी गरौठा विधान सभा क्षेत्र में एरच का जो बांध बन रहा था वह रुका हुआ है उसे भी जल्दी प्रारम्भ किया जाये। जो हमारी बडवार झील बन रही है उसे भी पूरा किया जाये। बाकी गरौठा-गुरसरांय में जो पेयजल का संकट लगातार रहा है। आजादी के बाद पहली बार आदरणीय पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने स्वीकृत किया था उसे भी जल्द पूरा किया जाये। हमारे यहां सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है उसे भी जल्दी पूरा किया जाये। इससे वहां के किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ हर तीन साल में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि सौर ऊर्जा में भी झांसी नम्बर एक पर हो जायेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बाकी हमारे यहां डिफेंस कॉरीडोर एरच के पास बन रहा है उसमें भी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें भी जल्दी उद्योग-धन्धे स्थापित हों और डिफेंस कॉरीडोर का काम प्रारम्भ हो जिससे वहां के नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा और बुन्देलखण्ड के लोगों को दिल्ली, मुम्बई या अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों के लिए यह सरकार निरन्तर काम कर रही है। चना, मसूर, राई के क्रय केन्द्र पहले नहीं खोले गये थे। यह मा0 योगी जी की सरकार है कि 17 से लेकर 22 तक चना, मसूर, राई के आज भी क्रय केन्द्र खुले हुए हैं और उनकी खरीद हो रही है। समर्थन मूल्य तो तमाम लोग घोषणा कर देते हैं लेकिन यह सरकार क्रय केन्द्र चलाकर यह प्रमाणित कर रही है कि हम किसानों के हित में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि किसानों का किसी दैवीय आपदा के कारण जब कोई नुकसान होता है तो लगातार यह सरकार प्रयास करती है। आज हमारे यहां झांसी में भी ओलावृष्टि हुई है और सरकार का प्रयास है कि जायद की फसल में मूंग की जो फसल बर्बाद हुई, उन किसानों को भी जल्दी ही मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सरकार का लगातार प्रयास है कि बुन्देलखण्ड जो सबसे ज्यादा दैवीय आपदा से पीड़ित रहा है वहां पर जल्दी से जल्दी मुआवजा और क्षतिपूर्ति मिले। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी और वह विषाक्त नहीं होगी और उससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी दूनी करने का

हमारा लक्ष्य पूरा होगा। मान्यवर, हमारे यहां राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना होगी। बाकी हमारे यहां गुरसराय में जो सी0एच0सी0 सेन्टर है, उसमें जो संसाधन कम हैं, वह पूरे किये जायें। इसी के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

पी0एस0यू0पी0-एल0-176 विधान सभा (327)-06-12-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।